सप्तदश माला, खंड 28, अंक 8 बुधवार, 13 दिसम्बर, 2023

22 अग्रहायण, 1945 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

चौदहवां सत्र
(सत्रहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

(खंड 28 में अंक 1 से 14 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

सम्पादक मंडल

उत्पल कुमार सिंह
महासचिव
लोक सभा

ममता केमवाल
संयुक्त सचिव

अमर सिंह
निदेशक

इंदु बक्शी
संयुक्त निदेशक

संजय कुमार
उप निदेशक

© 2023 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा सचिवालय की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी भी सामग्री की न तो नकल की जाए और न ही पुन: प्रतिलिपि तैयार की जाए, साथ ही उसका वितरण, पुन: प्रकाशन, डाउनलोड, प्रदर्शन तथा किसी अन्य कार्य के लिए इस्तेमाल अथवा किसी अन्य रूप या साधन द्वारा प्रेषण न किया जाए, यह प्रतिबंध केवल इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल, फोटोप्रति, रिकॉर्डिंग आदि तक ही सीमित नहीं है। तथापि, इस सामग्री का केवल निजी, गैर-वाणिज्यिक प्रयोग हेतु प्रदर्शन, नकल और वितरण किया जा सकता है बशर्ते कि सामग्री में किसी प्रकार का परिवर्तन न किया जाए और सभी प्रतिलिप्यधिकार (कॉपीराइट) तथा सामग्री में अंतर्विष्ट अन्य स्वामित्व संबंधी सूचनाएं सुरक्षित रहें।

लोक सभा वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण का अनुवाद कृत्रिम मेधा (Artificial Intelligence**) आधारित सॉफ्टवेयर एप्पलीकेशन की सहायता से किया गया है और सटीक अनुवाद उपलब्ध कराने के लिए यथोचित प्रयास किए गए हैं। तथापि,** हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। इसमें सम्मिलित मूलत: अंग्रेजी और अन्य भाषाओं में दिए गए भाषणों का हिन्दी अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा। पूर्ण प्रामाणिक संस्करण के लिए कृपया लोक सभा वाद-विवाद का मूल संस्करण देखें।

विषय-सूची

सप्तदश माला, खंड 28, चौदहवां सत्र, 2023 / 1945 (शक)
अंक 8, बुधवार, 13 दिसंबर, 2023 / 22 अग्रहायण, 1945 (शक)

विषय	पृष्ठ संख्या
अध्यक्ष द्वारा उल्लेख	
13 दिसम्बर, 2001 को संसद भवन पर हुए आतंकवादी हमले की दुःखद घटना	2
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 141 से 146	3-33
प्रश्नों के लिखित उत्तर	34
तारांकित प्रश्न संख्या 147 से 160	
अतारांकित प्रश्न संख्या 1611 से 1650 और 1652 से 1840	

* किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने ही पूछा था।

सभा पटल पर रखे गए पत्र 35-70

राज्य सभा से संदेश
तथा 71-72
राज्य सभा द्वारा यथा पारित विधेयक

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति

35वां प्रतिवेदन 73

शिक्षा, महिला, बाल, युवा और खेल संबंधी स्थायी समिति

357वें से 359वां प्रतिवेदन 74

मंत्रियों द्वारा वक्तव्य 75-81

(एक)(क) पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2020-2021) (मांग सं. 23) के बारे में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन संबंधी स्थायी समिति के 332वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति 75

(ख) पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2021-2022) (मांग सं. 23) के बारे में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन संबंधी स्थायी समिति के 347वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति 75

(ग) पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2022-2023) (मांग सं. 24) के बारे में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन संबंधी स्थायी समिति के 364वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति 76

(घ) पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2022-2023) के बारे में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन संबंधी स्थायी समिति के 364वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई के बारे में समिति के 372वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति 76

(ड़) पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2023-2024) (मांग सं. 24) के बारे में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन संबंधी स्थायी समिति के 379वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति

श्री किरेन रिजीजू 77

(दो) अंतरिक्ष विभाग से संबंधित अनुदानों की मांगों (2023-2024) के बारे मे विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन संबंधी स्थायी समिति के 377वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई के संबंध में समिति के 384वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति

डॉ. जितेंद्र सिंह 78

(तीन) इस्पात मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2023-24) के बारे में कोयला, खान और इस्पात संबंधी स्थायी समिति के 40वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति

साध्वी निरंजन ज्योति 79

(चार)(क) रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) से संबंधित 'रेल भूमि विकास प्राधिकरण का कार्यनिष्पादन' के बारे में रेल संबंधी स्थायी समिति के 16वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति 80

(ख) कोयला मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2022-23) के बारे में कोयला, खान और इस्पात संबंधी स्थायी समिति के 30वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति 80

(ग) कोयला मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2023-24) के बारे में कोयला, खान और इस्पात संबंधी स्थायी समिति के 38वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति 80·

श्री दानवे रावसाहेब दादाराव

(पांच) दूरसंचार विभाग, संचार मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2023-2024) के बारे में संचार और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति के 43वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों के कार्यान्वयन की स्थिति

श्री देवुसिंह चौहान 81

समितियों के लिए निर्वाचन 82 -84

(एक) प्राक्कलन समिति 82

(दो) सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति 83

(तीन) अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति 84

कार्य मंत्रणा समिति के 46वें और 47वें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव 85

सरकारी विधेयक – पुरःस्थापित 86-90, 155

(एक) केंद्रीय माल और सेवा कर (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2023 86-87

(दो) अनंतिम कर-संग्रहण विधेयक, 2023 88-90

(तीन) दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र विधि (विशेष उपबंध) दूसरा (संशोधन) विधेयक, 2023 155

अध्यक्ष द्वारा घोषणा

दर्शक दीर्घा से दो घुसपैठियों के सदन में कूदने की घटना 116-122

नियम 377 के अधीन मामले 123-154

(एक) ग्वालियर क्षेत्र में रेल सुविधाओं में सुधार किए जाने के बारे में

श्री विवेक नारायण शेजवलकर 123-124

(दो) दरभंगा से नई हाई स्पीड ट्रेन चलाए जाने की आवश्यकता

श्री गोपाल जी ठाकुर 125

(तीन) झाड़ग्राम स्टेशन पर विभिन्न रेलगाड़ियों का ठहराव प्रदान किए जाने के बारे में

श्री कुनार हेम्ब्रम 126

(चार) महाराष्ट्र के मराठवाड़ा क्षेत्र में एक्स-बैंड डॉपलर मौसम रडार स्थापित किए जाने की आवश्यकता

श्री सुधाकर तुकाराम श्रंगारे 127

(पांच) अजमेर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में किशनगढ़ के शहरी क्षेत्र में रेलवे लाइन पर एक अंडरपास/फुट ओवर ब्रिज का निर्माण किए जाने के बारे में

श्री भागीरथ चौधरी 128

(छह) धौलपुर रेलवे स्टेशन पर तेलंगाना एक्सप्रेस और केरला एक्सप्रेस के ठहराव के बारे में

डॉ. मनोज राजोरिया 129

(सात) असम के दरांग जिले को रेल कनेक्टिविटी प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री दिलीप शइकीया 130

(आठ) मरियम्मनाहल्ली - शिवमोगा एस.एच.-25 का राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में उन्नयन किए जाने की आवश्यकता

श्री जी.एम. सिद्देश्वर 131

(नौ) नन्दुरबार और पुणे के बीच दैनिक आधार पर एक इंटरसिटी रेलगाड़ी शुरू किए जाने की आवश्यकता

डॉ. हिना विजयकुमार गावीत 132

(दस) 'जलवायु परिवर्तन' को प्राकृतिक आपदा घोषित किए जाने की आवश्यकता

श्री तीरथ सिंह रावत 133-134

(ग्यारह) रेल यात्रियों को रेल टिकट काउंटर से खरीदे गए रेलवे टिकट की वर्तमान स्थिति जानने की सुविधा प्रदान करने के लिए एक प्रणाली स्थापित किए जाने की आवश्यकता

श्री घनश्याम सिंह लोधी 135

(बारह) चुरू संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग पर रेलवे पुल (आर.ओ.बी.), मवेशी अंडरपास (सी.यू.पी.) एवं वाहन अंडरपास (वी.यू.पी.) का निर्माण किए जाने की आवश्यकता

श्री राहुल कस्वां 136

(तेरह) रतलाम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

इंजीनियर गुमान सिंह दामोर 137

(चौदह) दिल्ली-हावड़ा एवं दिल्ली-मुंबई मार्ग पर अत्यधिक रेलवे ट्रैफिक के बारे में

सुश्री सुनीता दुग्गल 138

(पंद्रह) मध्य प्रदेश के खरगौन संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज की स्थापना के बारे में

श्री गजेन्द्र उमराव सिंह पटेल 139

(सोलह) मध्य प्रदेश में मक्सी - रुथियाई रेलवे लाइन के दोहरीकरण के बारे में

श्री रोड़मल नागर 140

(सत्रह) अंगमाली-एरुमाली-सबरी नई रेल लाइन परियोजना के लिए निधि आवंटन और उसे पुनः प्रारंभ किए जाने के बारे में

श्री बैन्नी बेहनन 141

(अठारह) ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में उपलब्ध चिकित्सा सुविधाओं के बीच विसंगति से निपटने के लिए कानून बनाए जाने की आवश्यकता

श्री अब्दुल खालेक 142

(उन्नीस) पेरम्बलुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में रेलगाड़ियों के ठहराव के बारे में

डॉ. टी.आर. पारिवेन्धर 143

(बीस) केंद्र सरकार के अधीन रिक्त पदों को भरे जाने के बारे में

श्री बेल्लाना चन्द्र शेखर 144

(इक्कीस) किसानों के लिए व्यवहार्यता मूल्य का निर्धारण किए जाने के बारे में

श्री श्रीधर कोटागिरी 145

(बाईस) पश्चिम बंगाल के लिए मनरेगा के अंतर्गत पर्याप्त निधि उपलब्ध कराए जाने के बारे में

श्रीमती अपरूपा पोद्दार 146

(तेईस) पश्चिम बंगाल को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एन.एच.एम.) निधियां जारी किए जाने के बारे में

श्रीमती प्रतिमा मण्डल 147

(चौबीस) विस्कोस फिलामेंट यार्न (वी.एफ.एन.) पर एंटी डंपिंग शुल्क हटाए जाने के बारे में

डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे 148

(पच्चीस) काराकाट संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में एम्स या एम्स जैसे संस्थान की स्थापना के बारे में

श्री महाबली सिंह 149

(छब्बीस) नाल्को, ओडिशा में स्थायी और संविदा कर्मचारियों की सेवा शर्तों के बीच असमानता के बारे में

श्री महेश साहू 150

(सत्ताईस) बी.एस.एन.एल. को 4जी और 5जी सेवाएं शुरू करने की अनुमति दिए जाने की आवश्यकता

श्री पी.आर. नटराजन 151-152

(अठाईस) कार्बन न्यूट्रल शैक्षणिक संस्थाओं को विकसित करने के लिए नीति के बारे में

श्री पी. रविन्द्रनाथ 153

(उनतीस) गैर-बासमती चावल के निर्यात पर प्रतिबंध हटाए जाने की आवश्यकता

श्री जगदम्बिका पाल 154

डाकघर विधेयक, 2023 157-176

विचार करने के लिए प्रस्ताव 157

श्री अश्विनी वैष्णव 157-160

डॉ. शशि थरूर 161-172

श्री तापिर गाव 172-176

अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी

दर्शक दीर्घा से दो घुसपैठियों के सदन में कूदने की घटना 178-179

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्री ओम बिरला

सभापति तालिका

श्रीमती रमा देवी

डॉ. (प्रो.) किरिट प्रेमजीभाई सोलंकी

श्री राजेन्द्र अग्रवाल

श्री कोडिकुन्नील सुरेश

श्री ए. राजा

श्री पी.वी. मिधुन रेड्डी

श्री भर्तृहरि महताब

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन

डॉ. काकोली घोष दस्तीदार

श्री श्रीरंग आप्पा बारणे

महासचिव

श्री उत्पल कुमार सिंह

लोक सभा वाद-विवाद

लोक सभा

बुधवार, 13 दिसंबर, 2023 / 22 अग्रहायण, 1945 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[**माननीय अध्यक्ष** *पीठासीन हुए*]

अध्यक्ष द्वारा उल्लेख

13 दिसम्बर, 2001 को संसद भवन पर हुए
आतंकवादी हमले की दुःखद घटना

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, आज हम 13 दिसंबर, 2001 की उस दु:खद घटना का स्मरण करते हैं, जब कुछ आतंकवादियों ने हमारे संसद भवन पर हमला किया था तथा हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था पर आघात करने का प्रयास किया था।

आज के दिन हम उन सशस्त्र सुरक्षा बलों की बहादुरी को नमन करते हैं, जिन्होंने हमारे लोकतंत्र के प्रतीक संसद भवन पर हुए इस कायरतापूर्ण हमले को विफल कर दिया था।

आज हम संसद सुरक्षा सेवा, दिल्ली पुलिस सेवा और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के उन आठ सुरक्षाकर्मियों द्वारा दिए गए सर्वोच्च बलिदान का भी स्मरण करते हैं, जिन्होंने इस हमले को विफल करते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी।

इस आतंकवादी हमले में एक सी.पी.डब्ल्यू.डी. कर्मी भी शहीद हुए थे। यह सभा उन अमर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करती है। यह सभा उन शहीदों के परिवारों के प्रति सहानुभूति के साथ दृढ़तापूर्वक खड़ी है।

इस अवसर पर हम आतंकवाद का डटकर सामना करने के अपने संकल्प को दोहराते हैं तथा अपने राष्ट्र की एकता, अखंडता और संप्रभुता की रक्षा हेतु लिए गए अपने शपथ की पुन: पुष्टि करते हैं।

अब यह सभा दिवंगत आत्माओं के सम्मान में थोड़ी देर मौन रहेगी।

पूर्वाह्न 11.01 बजे

तत्पश्चात् सदस्यगण थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

माननीय अध्यक्ष : ओम शांति: शांति: शांति: ।

<u>पूर्वाह्न 11.02 बजे</u>

[1]प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न संख्या – 141, श्री एम. सेल्वराज ।

… (व्यवधान)

(प्रश्न संख्या 141)

[अनुवाद]

डॉ. टी.आर. पारिवेन्धर: माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने डायनामिक किराया प्रणाली के संबंध में बहुत विस्तृत उत्तर दिया है। तथापि, मेरे निर्वाचन-क्षेत्र की बात करें तो रेल लाइन के निर्माण के लिए मेरा अनुरोध अभी भी लंबित है। माननीय रेल मंत्री इस विषय से भली-भांति परिचित हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से उनसे मिला हूँ। इतना ही नहीं, मैं समय-समय पर उन्हें अपने निर्वाचन क्षेत्र में रेलवे लाइन की आवश्यकता के बारे में भी बताता रहता हूँ।

यह एक पिछड़ा निर्वाचन-क्षेत्र है और शिक्षित युवाओं के लिए नियोजन नहीं है। साथ ही, रेलवे स्टेशन न होने के कारण उन्हें यह बहुत मुश्किल लगता है। इतना ही नहीं, बल्कि किसान, जो उनके उत्पादों का उत्पादन कर रहे हैं, अपने उत्पादों को बेहतर मूल्य पर बेचने के लिए अपने उत्पादों को अपने पड़ोसी जिलों में नहीं ले जा पा रहे हैं। अत: इसमें रेल लाइन का अत्यधिक महत्व है। यह मेरे निर्वाचन-क्षेत्र के लोगों का 50 वर्ष का सपना है। अब मेरे अनुरोध और मेरे निर्वाचन-क्षेत्र के लोगों के 50 वर्ष के सपने को एक छोटी सी आशा देते हुए, मुझे रेल विभाग से एक पत्र प्राप्त हुआ है।

---

[1] **प्रश्नों और उनके उत्तरों के लिए ग्रंथालय में रखी गई वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण की मास्टर-प्रति का संदर्भ लें। प्रश्नों और उनके उत्तरों के संबंध में अधिक जानकारी हेतु आप इस लिंक पर जाएं।** https://sansad.in/ls/hi/questions/questions-and-answers

इस लिंक के खुलने के बाद लोक सभा का चयन करें, फिर सत्र का चयन करें तत्पश्चात् फिल्टर में जाकर वाद-विवाद की तारीख का चयन करने के पश्चात् इसे लागू करें।

[हिन्दी]

श्री अश्वनी वैष्णव: माननीय अध्यक्ष जी, सांसद महोदय ने जो विषय उठाया है, वह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। [अनुवाद] माननीय सदस्य ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है। हमने माननीय सदस्य के साथ कई बार चर्चा की है। महोदय, रेलवे लाइन के 2-3 विकल्पों, जिनका माननीय सदस्य ने उल्लेख किया है, का अध्ययन किया जा रहा है। जैसे ही सर्वेक्षण और डी.पी.आर. को अंतिम रूप दिया जाएगा, हम अगला कदम उठाएंगे।

श्री अधीर रंजन चौधरी: महोदय, सबसे पहले, मैं आपसे थोड़ा सा समय देने का अनुरोध करूंगा, ताकि मैं प्रश्न के मुख्य विषय से थोड़ा अलग कुछ कह सकूं। तथापि, मेरा दृढ़ विश्वास है कि हमारे माननीय मंत्री जी बहुमुखी व्यक्तित्व के धनी हैं और वे मेरे द्वारा उठाए जाने वाले छोटे से मुद्दे का उत्तर देने में पूर्णत सक्षम हैं। [हिन्दी] आप जानते हैं कि मैं अपने राज्य के एक जिले का मुद्दा बार-बार उठाते आ रहा हूं। कोविड के समय से एक स्पेशल ट्रेन चलाई गई है। उससे हर रोज गरीब लोग कटवा से अजीमगंज तक सफर करते हैं। उनसे एक टिकट के लिए 30 रुपए लिए जाते हैं। नदी के उस पार एक ही डिसटेंस के लिए एवं एक टिकट के लिए 10 रुपए लिए जाते हैं। इसकी वजह यह है कि स्पेशल ट्रेन कोविड के समय चालू हुई थी। कोविड गायब हो गया, लेकिन अभी भी अतिरिक्त किराया उनको चुकाना पड़ता है। वह गायब नहीं हो पाया है। इसकी वजह क्या है? आप यहां कहते हैं कि हम सब्सिडी दे रहे हैं। हमारा जिला एस्प्रेशनल डिस्ट्रिक्ट है। यह देश के पिछड़े जिलों में से एक है।

श्री अश्वनी वैष्णव: माननीय अध्यक्ष जी, भारत सरकार पैसेंजर सर्विसेज के लिए बहुत ही संवेदनशील है और आज भी भारत सरकार की तरफ से पैसेंजर्स के लिए करीब-करीब 60 हजार करोड़ रुपए की सब्सिडी दी जाती है। यह रेलवे सिस्टम दुनिया के सबसे अफोर्डेबल रेलवे सिस्टम में से एक है।

मान्यवर एलओपी साहब की तरफ से जो विषय आया है, वह स्पेसिफिक ट्रेन का है। मैं स्पेसिफिक ट्रेन के बारे में मान्यवर एलओपी साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वे मेरे साथ जरूर चर्चा करें।…(व्यवधान)

श्री कौशलेन्द्र कुमार : सर, यह देश का मामला है।…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : सबका विषय अधीर रंजन जी ने बता दिया है और मंत्री जी के संज्ञान में आ चुका है।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न संख्या – 142, श्री हसनैन मसूदी।

(प्रश्न संख्या 142)

[अनुवाद]

श्री हसनैन मसूदी: महोदय, जम्मू और कश्मीर में लम्बे समय से राष्ट्रपति शासन रहा है। इसलिए, वहां निर्वाचित सरकार की अनुपस्थिति के कारण, एक बड़ा मानव संसाधन संकट उत्पन्न हो गया है। इसके परिणामस्वरूप केंद्र शासित प्रदेश के प्रमुख विभागों में मानव संसाधन संकट उत्पन्न हो गया है। स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली की देखरेख करने वाला एक विभाग 40 प्रतिशत मानव संसाधन के साथ कार्य कर रहा है। मंत्री महोदय ने इस बात को स्पष्ट और ईमानदारी से स्वीकार किया है कि विभिन्न श्रेणियों अर्थात् अराजपत्रित, राजपत्रित और मल्टीटास्किंग में स्वीकृत पदों में से 50 प्रतिशत से भी कम मानव संसाधन है। इसलिए, प्रत्यक्ष परिणाम यह है कि यह समग्र रूप से शासन को प्रभावित करता है। पहला परिणाम यह है कि इससे लोगों को अवैध खनन करने के लिए प्रोत्साहन मिलता है। हमारे पास वहां पर्याप्त मानव संसाधन नहीं है। दूसरा, लोग खनन के लिए आवंटित किए गए अपने क्षेत्रों का अतिक्रमण कर रहे हैं या एकतरफा रूप से उनका विस्तार कर रहे हैं। कम कर्मचारियों के कारण पर्यवेक्षण की कमी है।

यद्यपि उत्तर में वास्तव में यह कहा गया है कि कुछ कदम उठाए गए हैं और भर्तियां की गई हैं लेकिन पर्याप्त कार्य नहीं किए जा रहे हैं। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे चयन प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए संघ राज्य क्षेत्र सरकार से कहें।

इस बीच, जेएंडके सीमेंट के कुछ 50 कर्मचारियों को पहले ही प्रतिनियुक्त किया जा चुका है। मेरा सुझाव है कि पहले भूवैज्ञानिक और खनन विभाग में दैनिक मजदूरी पर काम करने वाले कामगारों को नियमित किया जाए और दूसरा, जे एंड के सीमेंट लिमिटेड में हमारे 51 दैनिक मजदूरी पर काम करने वाले कामगारों को भी प्रतिनियुक्त किया जा सकता है। अतः मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह इन दैनिक मजदूरी पर काम करने वाले कामगारों को नियमित करने और प्रतिनियुक्ति पर विचार करे।

तीसरी बात, सरकार को विभिन्न कारखाना मालिकों को खनन के लिए आवंटित क्षेत्रों का सीमांकन करने के लिए भी कदम उठाने चाहिए क्योंकि कर्मचारियों की कमी ने उद्यमियों को एकतरफा

वहां जाने और खनन क्षेत्रों का अतिक्रमण करने के लिए दुस्साहित किया है। इस संबंध में, स्थानीय आबादी और प्रशासन के बीच संघर्ष होता है।

श्री प्रहलाद जोशी: महोदय, जहां तक भर्ती का संबंध है, वर्तमान में जम्मू और कश्मीर में स्थिति सामान्य हो गई है। अन्यथा, हर कोई जानता है कि 2019 से पहले क्या हो रहा था। समग्र स्थिति में काफी सुधार हुआ है। अब लोग हर क्षेत्र में प्रगति की उम्मीद कर रहे हैं। मैं माननीय सदस्य की सराहना करता हूँ कि उन्होंने एक बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है।

जम्मू और कश्मीर सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, भर्ती प्रक्रिया जारी है। यह सच है कि कुछ पद रिक्त हैं। अब, हमें वहां लिथियम भी मिला है, और उसी के लिए नीलामी प्रक्रिया जारी है। वह सब ध्यान में रखते हुए, [हिन्दी] माइनिंग डिपार्टमेंट और जियोलॉजिकल डिपार्टमेंट में जो खाली पद हैं, हम उनकी भर्ती के लिए निवेदन कर रहे हैं। जम्मू और कश्मीर में स्थिति अलग है एवं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब बहुत बढ़िया कोशिश कर रहे हैं। मैंने इसके आंकड़े दिए हैं, इसलिए मैं रिपीट नहीं कर रहा हूं। इसको प्रमोशन के थ्रू करना है और एलिजिबल कैंडीडेट्स भी नहीं हैं। यह भी एक इश्यू है।

दूसरी बात, यह लेगेसी इश्यू है। जो 10-15 वर्षों से हैं, उनको प्रमोशन देनी पड़ती है, लेकिन आज के दिन एलिजिबल कैंडीडेट्स ही नहीं हैं। इसके कारण बाकी रिक्रूटमेंट प्रोसेस वगैरह शुरू किया है, उसको एक्सपीडाइट करने के लिए मैं माननीय उपराज्यपाल महोदय को आग्रह करता हूं। मेरा पूरा आग्रह है, इस सदन में जिन्होंने यह क्वेश्चन उठाया, उनको मैं कहना चाहता हूं। [अनुवाद] खनन एक प्रमुख गतिविधि है जो हमारी अर्थव्यवस्था में योगदान कर सकती है। खनन क्षेत्र ने अब तक 1.14 करोड़ से अधिक लोगों को नियोजन दिया है। [हिन्दी] अगर माइनिंग में एक परसेंट ग्रोथ होती है तो इंडस्ट्री सेक्टर में, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में 1.4 परसेंट ग्रोथ होती है। [अनुवाद] यह अनुमान लगाया गया है कि खनन क्षेत्र में एक प्रत्यक्ष रोजगार 10 प्रत्यक्ष नौकरियों का सृजन करता है।

[हिन्दी]

सर, यह इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इसके लिए आप मुझे एक मिनट का समय दे दीजिए। माइनिंग का क्वेश्चन भी बहुत कम आता है और यह आज ही आया है। हमने माइनिंग में बदलाव किया है और केप्टिव, नॉन केप्टिव को हटा दिया है। जो लाइसेंसेस और क्लियरेंसेज़ हैं, उसका सरलीकरण किया है। एनएमईटी (एनमेट) के थ्रू जो पैसा देते हैं, हम राज्यों को बुला-बुला कर पैसा दे रहे हैं कि आप एक्सप्लोरेशन कीजिए। आप माइनिंग के लिए काम कीजिए। इसलिए मेरा आग्रह यह है कि कई राज्यों में माइनिंग की स्थिति बहुत ही गम्भीर है। कई राज्यों में तो ऑक्शन ही शुरू नहीं हुआ है। इसलिए मेरा सभी राज्यों से आग्रह है और झारखंड, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, बिहार, तेलंगाना ऑक्शन ही नहीं कर रहे हैं। जहां ऑक्शन हुआ है, वहां बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। उनका रेवेन्यू भी बढ़ा है। उदाहरण के लिए ओडिशा का रेवेन्यू 861 परसेंट बढ़ा है, कर्नाटक का 316 परसेंट बढ़ा है, छत्तीसगढ़ का 623 परसेंट बढ़ा है। मैं ऐसे कई राज्यों का उल्लेख कर सकता हूं, लेकिन समय की पाबंदी के कारण और समय की लिमिटेशन के कारण मैं डिटेल्स में नहीं जा रहा हूं। [अनुवाद] खनन क्षेत्र एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जो अर्थव्यवस्था में सीधे योगदान दे सकता है और रोजगार सृजन कर सकता है।

[हिन्दी]

इसलिए मैं सब से आग्रह करता हूँ, मैं सभी राज्य सरकारों से आग्रह करता हूँ कि हम इतनी सुविधाएं दे रहे हैं, कृपया रिक्रूटमेंट कीजिए, एक्सप्लोरेशन कीजिए। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम जो बदलाव लाये हैं, उससे बड़ी मात्रा में आपके राज्यों के लिए राजस्व प्राप्त हो सकता है। यह मेरी प्रार्थना है।

[अनुवाद]

श्री हसनैन मसूदी: महोदय, खनिज विकास निधि से धन खर्च करने के लिए एक तंत्र है। स्थानीय निर्वाचन क्षेत्र का संसद सदस्य भी इसका एक हिस्सा है। माननीय मंत्री जी इससे सहमत होंगे।

मैं कहना चाहूंगा कि प्रक्रिया का अनुसरण किए बिना लाखों खर्च किए जा रहे हैं। मैं इसे माननीय मंत्री जी के ध्यान में लाया है। इस योजना के अंतर्गत, यह धन उन क्षेत्रों में खर्च किया जाना है जहां खनन हो रहा है, लेकिन उस निधि में से एक रुपया भी वहां खर्च नहीं किया जा रहा है। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वह संघ राज्य क्षेत्र को एक समिति गठित करने का निदेश दें जो खनिज विकास निधि से व्यय को प्राधिकृत करे और यह देखेगी कि जो कुछ भी खर्च किया गया है, उसे कैसे खर्च किया गया और किसके प्राधिकार से इसे खर्च किया गया।

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : सबका विषय उसी से संबंधित है। माननीय सदस्य ने जो विषय उठाया, वही विषय सब के लिए है।

श्री प्रह्लाद जोशी : जी हाँ सर।

डीएमएफ का जो कांसेप्ट लाया गया, वह माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा सत्ता संभालने के बाद शुरू हुआ है। इससे पहले कोई डीएमएफ और एनमेट नहीं था। लेकिन डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन में जो फण्ड इकट्ठा होता है, हर राज्य में जनप्रतिनिधियों को बिना इंवॉल्व किये हुए करने की बहुत कोशिश होती रहती है, लेकिन हमने रूल में अमेंडमेंट करके गवर्निंग काउंसिल में मेम्बर ऑफ पार्लियामेंट को इनक्लूड करके भेजा है।

माननीय अध्यक्ष : लेकिन अभी भी मेम्बर ऑफ पार्लियामेंट को नहीं बुलाया जाता है।

श्री प्रह्लाद जोशी : सर, मैं वही बता रहा हूँ।

माननीय अध्यक्ष : सारा सदन इस पर एक मत है।

श्री प्रह्लाद जोशी : क्या सर?

माननीय अध्यक्ष : मेम्बर ऑफ पार्लियामेंट को नहीं बुलाते हैं।

श्री प्रह्लाद जोशी : सर, मैं वही बता रहा हूँ। आप जो बता रहे हैं, मैं वही बात बता रहा हूँ।

प्रदेश की जो सरकारें हैं, मैं इस पार्टी और उस पार्टी की बात नहीं कह रहा हूँ, वे अपने आप खर्च करना चाहती हैं। इसलिए हमने डायरेक्शन इश्यू किया है। हमने गवर्निंग बॉडी में गाइडलाइन इश्यू की है। गाइडलाइन इश्यू करने के बाद यह कई राज्यों में शुरू हुआ है। इसमें हम और रूल्स को अमेंड करके एमपी और एमएलएज को कम्पल्सरी रूप से इनक्लूड करके गवर्निंग बॉडी में ही अप्रूव करना है, इसको हम कम्पल्सरी बनाने जा रहे हैं। हमने पहले रूल में अमेंडमेंट करके एडवाइज़री दी थी, लेकिन उस एडवाइज़री को वे मान नहीं रहे हैं। इसलिए यदि पर्टिकुलर राज्य सरकार नहीं करती है, तो हम डायरेक्शन और एडवाइज़री इश्यू करते हैं। जहाँ पर अलग-अलग सरकारें हैं… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप यह बता दें कि आप रूल कब तक बना देंगे क्योंकि साल भर का समय हो गया है।

श्री प्रह्लाद जोशी : सर, हमने ऑलरेडी रूल बनाया है, लेकिन रूल बनाने के बाद भी, मूल रूप से खनन राज्य का विषय है, हम पॉलिसी बनाते हैं, हम कानून बनाते हैं, लेकिन अल्टीमेट्ली उसका एक्जिक्यूशन स्टेट में ही होता है। इसलिए सभी एमपीज और एमएलएज को इंवॉल्व करने के लिए हम स्टेट्स को डायरेक्शन इश्यू कर रहे हैं। गवर्निंग बॉडी में एमपीज और एमएलज को रखकर ही इसे करना है, उसमें अप्रूवल के साथ ही करना है, गाइडलाइंस में अमेंडमेंट करके हम ऐसा डायरेक्शन दे रहे हैं।

माननीय अध्यक्ष : आप संसदीय कार्य मंत्री हैं, इसलिए सारे संसद सदस्य आपसे अपेक्षा करते हैं।

श्री मनीष तिवारी : माननीय अध्यक्ष जी, जम्मू-कश्मीर से जो नदी-नाले आते हैं, वे पंजाब होते हुए आगे जाते हैं। उन नदी-नालों में काफी रेत और बजरी भी आती है। जो माइन एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एक्ट है, उसमें जो रेत है, वह माइन और मिनरल है। उसको रेगुलेट करने का अधिकार राज्य सरकारों के पास है। लेकिन केन्द्र सरकार ने, मंत्री जी के मंत्रालय और मिनिस्ट्री ऑफ एंवायरमेंट एंड फॉरेस्ट ने वर्ष 2016 में सस्टेनेबल सैंड माइनिंग गाइडलाइंस इश्यू की थी।

उन गाइडलाइंस के तहत पांच एकड़ सेकम का जो एनवॉयर्नमेंट क्लियरेंस है , वह जिला पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण देती है।

अध्यक्ष जी, मेरा सवाल यह है कि जहां से ये नदियां बहती हैं और जहां यह खनन होता है, चाहे वैध खनन होता हो या अवैध खनन होता हो, उससे गांव वाले बहुत त्रस्त रहते हैं। टिपर्स की वजह से उनकी सड़कें टूट जाती हैं और एनवॉयर्नमेंट में बहुत प्रदूषण होता है, वातावरण खराब होता है। मेरा माननीय मंत्री जी से यह सवाल है कि जो सस्टेनेबिल माइनिंग गाइडलाइंस हैं, उनमें संशोधन करके क्या आप यह प्रावधान कर सकते हैं कि जो आसपास के गांव हैं, जहां इस खनन की अनुमति दी जाती है, वहां उन गांव वालों की अनुमति के बगैर, ग्राम पंचायत की अनुमति के बगैर कोई खनन नहीं हो सकता। इससे वहां का जो वातावरण है, और वहां का उनका जो रहन-सहन है, उनकी जो सड़के हैं, वे सुरक्षित रह सकें और इस वैध और अवैध खनन की वजह से जो वातावरण प्रदूषित होता है, उससे वे बच सकें।

[अनुवाद]

श्री प्रह्लाद जोशी: महोदय, माननीय सदस्य अत्यंत योग्य और ज्ञानी सदस्य हैं। उन्होंने स्वयं गौण खनिजों का उल्लेख किया है। … (*व्यवधान*)

अभी, उन्होंने प्रश्न पूछा है। आप भी बहुत विद्वान हैं, भर्तृहरि जी। अन्य सदस्य भी योगय हैं। सभी सदस्य ज्ञानी हैं। मुझे इस पर कोई संदेह नहीं है। मुद्दा यह है कि वे स्वयं इस बात से सहमत हैं कि गौण खनिज राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। [हिन्दी] हम समय-समय पर गाइडलाइंस इश्यू करते रहते हैं। जहां तक उन्होंने सैंड का इश्यू उठाया है, जो बालू की माइनिंग का इश्यू उन्होंने उठाया है, तो इसमें जो भी माइनिंग होती है, ग्राम सभा द्वारा अप्रूवल करके ही उसे करना एक जनरल गाइडलाइंस हैं। अगर उसका एग्जिक्यूशन नहीं हो रहा है, इंप्लिमेंटेशन नहीं हो रहा है, उसका पालन नहीं हो रहा है, तो हम फिर से एक बार, जो हमने वर्ष 2017 में गाइडलाइंस इश्यू की थीं, उनको हम रिवाइज करके फिर से एक बार डायरेक्शंस इश्यू करते हैं।

माननीय अध्यक्ष : क्वेश्चन नंबर – 143, श्री रितेश पाण्डेय जी।

… (व्यवधान)

(प्रश्न संख्या 143)

श्री रितेश पाण्डेय : अध्यक्ष जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष, नेट न्यूट्रैलिटी का सिद्धांत यह सुनिश्चित करता है सभी इंटरनेट ट्रैफिक के साथ भेदभाव किए बिना या किसी विशेष वेबसाइट, सेवा या एप्लिकेशन को वरीयता दिए बिना समान रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए.

[हिन्दी]

सर, हाल में टेलिकॉम अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अपना एक कनसलटेशन पेपर निकाला था, जिसके निकलने के बाद बहुत ही ज्यादा हलचल हो गई कि कुछ बड़ी कंपनियां यह दबाव डाल रही हैं कि जो भी छोटे ओटीटी प्रोवाइडर्स हैं, उन पर अपनी टेलिकॉम सर्विसेज़ देने के लिए अलग से चार्जेज लगाकर उनसे पैसा लिया जाए।

मेरा प्रश्न यह है कि मैं एक पिछड़े इलाके, अम्बेडकर नगर से आता हूं। अम्बेडकर नगर में बहुत सारी महिलाओं के पास मोबाइल फोन नहीं है। इंटरनेट एक ऐसी चीज है, जो इकोनॉमिक यानी आर्थिक और सोशल मोबिलिटी देने का कार्य करता है। … (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : यह तो सबको पता है। आप अपना क्वेश्चन पूछिए।

… (व्यवधान)

श्री रितेश पाण्डेय : अध्यक्ष जी, मेरा क्वेश्चन यह है कि जब इसके ऊपर अलग से चार्ज लगेगा, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स सोशल मोबिलिटी के लिए जो वेबसाइट्स यूज करते हैं, उनसे चार्जेज लेना शुरू कर दिया जाएगा, तो यह ऐसे लोगों के लिए महंगा हो जाएगा।

चाहे जियो हो, रिलायंस हो या टाटा हो, इनकी खुद की बड़ी-बड़ी सर्विसेज हो गई हैं। यह सारा का सारा ट्रैफिक अपनी वेबसाइट्स की तरफ ले जाएंगे। इससे कॉम्पिटिशन के ऊपर भी खासा प्रभाव आएगा। मैं इसके बाद एक सप्लिमेंट्री और पूछूंगा।

क्या इसको रोकने के लिए यह लक्ष्य साफ है कि ऐसा नहीं होने दिया जाएगा और टीआरएआई ने अपना जो नया कनसलटेशन पेपर निकाला था, उससे जो यह हलचल बढ़ी है, उसको रोका जाएगा? नेट न्यूट्रेलिटी को मेंटेन किया जाएगा? साफ शब्दों में इसके बारे में माननीय मंत्री जी बताने का कार्य करें। धन्यवाद।

श्री अश्वनी वैष्णव: महोदय, मान्यवर सांसद महोदय ने जो प्रश्न पूछा है, यह प्रश्न बहुत पहले डिसाइड हो चुका है। इसमें कोई नयापन नहीं है। वर्ष 2015 में जब सबसे पहले नेटवर्थ को न्यूट्रल करने की जो डिबेट आयी थी, उसके बाद, वर्ष 2015 के बाद में वर्ष 2017 में ट्राई ने रिकमंडेशन दिए थे। वर्ष 2018 में फ्रेमवर्क पब्लिश हुआ था। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम ने, भारत सरकार ने इसको कम्प्लीट एक्सेप्ट करके लाइसेंस की टर्म्स को मोडिफाई किया कि लाइसेंसी किसी भी कन्टेंट प्रोवाइडर को, किसी भी ऐप को, किसी के भी प्रति कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता है। यह एक वेल-स्टैब्लिश्ड प्रिंसिपल है, जो लागू है। रेगुलरली टेक्निकल ऑडिट्स होते हैं। किसी भी टेक्निकल ऑडिट में अभी किसी के भी प्रति भेदभाव का एक भी विषय नहीं आया है।

महोदय, अगर आप अनुमति दें तो एक बड़ा ही चिंता का विषय है। एक्जेक्टली सेम क्वेश्चन, कांग्रेस के श्री मुरलीधरन जी ने सेम वर्ड्स का क्वेश्चन पूछा, एक्जेक्टली सेम क्वेश्चन कांग्रेस के श्री विनसेंट एच. पाला जी ने पूछा, एक्जेक्टली सेम क्वेश्चन कांग्रेस और शिव सेना के क्रमश: श्री दिग्विजय सिंह जी ने राज्य सभा में और श्रीमती प्रियंका चतुर्वेदी जी ने राज्य सभा में पूछा। आज मान्यवर सदस्य एक्जेक्टली सेम वर्ड्स, सेम वर्डिंग के प्रश्न पूछ रहे हैं। यह मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ।… (व्यवधान)

श्री रितेश पाण्डेय : सर, मैं एक चीज कहना चाहता हूँ… (व्यवधान) एक सेकेंड, मुझे बोलने दीजिए।… (व्यवधान) दादा, मुझे बोलने दीजिए।… (व्यवधान)

सर, क्वेश्चन डिपार्टमेंट यह साफ कहता है कि अगर तीन-चार मेंबर्स एक प्रकार का सवाल पूछते हैं तो उसका ज्यादा चांस आने के लिए होता है, इसलिए मेंबर्स आपस में भी सवालों को शेयर करते पूछते

हैं।... (व्यवधान) यह देखा जाता है कि जो-जो सवाल जिन-जिन मेंबर्स के पूछे गए हैं, वे आ जाते हैं।... (व्यवधान) यह तो रूल्स के हिसाब से हो रहा है।

महोदय, मेरा दूसरा सवाल यह है कि जो एक सेस लिया जाता है, 70 हजार करोड़ रुपये का यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड पड़ा हुआ है। यह खास तौर से नेट न्युट्रेलिटी को भी आगे बढ़ावा देने के लिए है ताकि सभी को मिल सके। 70 हजार करोड़ रुपये का यह फंड कई सालों से पड़ा हुआ है। इसका कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा है। इस पर माननीय मंत्री जी यह बताने का कार्य करें कि इस फंड का इस्तेमाल क्यों नहीं हो रहा है और आगे आने वाले समय में इस फंड का कहाँ पर इस्तेमाल होगा? मेरे क्षेत्र अम्बेडकर नगर में इस फंड का क्या इस्तेमाल होने जा रहा है? माननीय मंत्री जी इस पर थोड़ा प्रकाश डालें।

श्री अश्वनी वैष्णव: महोदय, वैसे तो मान्यवर सांसद जी का यह प्रश्न इस प्रश्न से संबंधित नहीं है, फिर भी मैं बताना चाहूँगा, रिकॉर्ड पर रखना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड के जरिये से भारत नेट के माध्यम से करीब-करीब 2 लाख पंचायतों तक ऑप्टिकल फाइबर का नेटवर्क बिछाया है। जिस तरीके से आज ग्रामीण क्षेत्रों में, अनकनेक्टेड क्षेत्रों में 4जी की सर्विसेज पहुँचायी गयी हैं, वह भी यूएसओएफ के माध्यम से पहुँचायी गयी हैं। करीब-करीब 40 हजार गाँव ऐसे थे, जहाँ पर कनेक्टिविटी नहीं थी, वहाँ के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने 4जी टावर्स सैंक्शन किए हैं और बहुत तेजी से उस पर काम चल रहा है।

[अनुवाद]

डॉ. शशि थरूर: अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। माननीय मंत्री जी के उत्तर में कहा गया है कि ट्राई की सिफारिशें दूरसंचार विभाग के विचाराधीन हैं। अब, सिफारिशें वर्ष 2020 में जारी की गई थीं। दूरसंचार विभाग को इन मामलों पर विचार करने में कितना समय लगता है? बाधा यह है कि तीन वर्षों के बाद वे किसी निर्णय पर पहुंच रहे हैं। यह एक टिप्पणी है। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। ... (*व्यवधान*)

यह सामान्य रूप से एक अथया दो महीने के भीतर होने की उम्मीद है। यह काफी अनुचित है। विचाराधीन विभिन्न मूल आपत्तियों को छुपा सकता है, और हम जानना चाहेंगे कि वे क्या हैं।

हमें इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि ग्लोबल एनक्रिप्शन कोएलिशन ने पहले ही ट्राई की सिफारिशों के बारे में गंभीर चिंता व्यक्त की है, विशेष रूप से एन्क्रिप्शन के लिए ट्राई की सिफारिशों के परिणामों के बारे में। ओ.टी.टी. प्लेटफार्मों के मुद्दे हैं जैसा कि रितेश जी ने पहले ही व्हाट्सएप और सिग्नल और ऐसे अन्य संचार प्रदाताओं को शामिल करने का उल्लेख किया है।

क्या मैं मंत्री जी से हमें यह आश्वासन देने का अनुरोध कर सकता हूं कि इन सिफारिशों पर आपके विचार में ऐसा कुछ भी नहीं है जो भारत के नागरिकों के वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार और निजता के अधिकार में हस्तक्षेप करेगा और साथ ही यह सुनिश्चित करेगा कि यह भारत में नेट निरपेक्षता के लिए हानिकारक नहीं है। धन्यवाद, अध्यक्ष महोदय।

[हिन्दी]

श्री अश्वनी वैष्णव: अध्यक्ष जी, जो रिक्मेंडेशन्स ट्राई ने वर्ष 2020 में दी हैं, उनमें अनविलडी मल्टी स्टेक होल्डर फोरम बनाने की प्रमुख रिक्मेंडेशन है। करीब-करीब ढाई हजार से अधिक लोगों की मेम्बरशिप का अगर कोई फोरम बनता है, तो क्या वह फोरम कुछ कर सकता है या नहीं, इस चीज पर विचार चल रहा था। मोस्ट प्रोबेबली यह रिक्मेंडेशन एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। वर्ष 2017 की जो मेन रिक्मेंडेशन्स थीं, वे ऑलरेडी सरकार ने एक्सेप्ट कर लिए हैं और उनके ऊपर ऑलरेडी कार्यवाही होकर लाइसेंस की कंडिशन्स को ऑलरेडी अमेंड किया जा चुका है और जैसा मैंने स्पष्ट तौर से कहा है कि आज की तारीख में भारत के अंदर नेट न्युट्रेलिटी का प्रिंसिपल वेल एस्टेब्लिशड है।

श्री गौरव गोगोई : अध्यक्ष जी, हमारे देश में ओटीटी सर्विसेज को मिनिस्ट्री ऑफ इंफोर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी रेगुलेट करती है और मिनिस्ट्री ऑफ इंफोर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी काफी अच्छे तथा महत्वपूर्ण नोटीफिकेशन्स और गाइडलाइन्स ओटीटी सर्विसेज को रेगुलेट करने के लिए बीच-बीच में निकालती रहती है। पब्लिक डोमेन में टेलीकॉम का जो ड्राफ्ट बिल है और सरकार जिस पर कंसल्टेशन मांग रही है,

इसमें देखा जा रहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकम्युनिकेशन्स अपनी पॉवर्स एक्सपेंड कर रही है, उन ओटीटी एनटिटीज को रेगुलेट करने में जो पहले से ही मिनिस्ट्री ऑफ इंफोर्मेशन टेक्नोलॉजी रेगुलेट कर रही है। आदरणीय मंत्री जी ने प्रिंसिपल की तो बात की कि नेट न्युट्रेलिटी प्रिंसिपल पर वर्तमान सरकार विश्वास करती है लेकिन ड्राफ्ट बिल और पेपर में नेटवर्क यूसेज फीस यदि रहेगी तो नेट न्युट्रेलिटी कैसे रहेगी, इसका विवरण हम बार-बार मंत्री जी से चाहते हैं? यह सवाल रितेश पांडे जी ने किया, लेकिन इसका उत्तर नहीं आया। हम मंत्री जी से उत्तर चाहते हैं।

अध्यक्ष जी, अंत में मैं कहना चाहता हूं कि एक संकेत मंत्री जी ने दिया था, एक संकेत मैं भी देना चाहता हूं। टेलीकॉम सेक्टर में केवल दो मेजर कम्पनीज भारत में रूल कर रही हैं और उनमें से एक कम्पनी तो अपने इश्तिहार में प्रधान मंत्री श्री मोदी जी का चेहरा इस्तेमाल करती है। … (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : यह विषय क्या है?

… (व्यवधान)

श्री गौरव गोगोई : अध्यक्ष जी, संकेत मैं भी देना चाहता हूं कि यह जो बिल आ रहा है, ओटीटी में बहुत-से भारतीय ओटीटी हैं।… (व्यवधान)

श्री अश्वनी वैष्णव: अध्यक्ष जी, माननीय सांसद महोदय ने इस सदन की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाली बात कही है।… (व्यवधान) पहली बात, नेट न्युट्रेलिटी पर जो प्रश्न माननीय सांसद जी ने पूछे हैं या जितने भी सप्लीमेंट्री क्वैश्चन्स आए, मैंने सभी का स्पष्ट तौर पर जवाब दिया है कि नेट न्युट्रेलिटी के प्रिंसिपल को भारत सरकार ने वर्ष 2017 के रिक्मेंडेशन ऑफ ट्राई के बाद में क्लीयरली एक्सेप्ट करके सारे के सारे जितने सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, उनकी लाइसेंस कंडिशन्स में क्लीयर मोडिफिकेशन करके उस प्रिंसिपल को एस्टेब्लिश किया है, फॉलो किया है, टेक्निकल ऑडिट्स समय-समय पर हो रहे हैं। इसके साथ ही साथ टेलीकॉम सेक्टर में जिस तरह से 2जी वाला जमाना था, मान्यवर सांसद उस जमाने की याद न दिलाएं। जिस तरह से टेलीकॉम सेक्टर को आपकी यूपीए की सरकार के समय टेलीकॉम सेक्टर और विशेषकर बीएसएनएल को जिस तरह से बर्बाद किया था, उसके बजाय आज भारत सरकार मान्यवर प्रधान मंत्री

नरेन्द्र मोदी जी ने टेलीकॉम सेक्टर को सनराइज सेक्टर बनाया है।… (व्यवधान) आज टेलीकॉम सेक्टर में ग्रोथ है, इनवेस्टमेंट है, ट्रांसपेरेंसी है।… (व्यवधान)

मान्यवर अध्यक्ष जी, 5जी का रोल आउट 14 महीने में चार लाख साइट्स अगर आज हुई हैं, तो भारत में हुई हैं और सारी दुनिया कह रही है कि भारत में 5जी का रोल आउट फास्टेस्ट रोल आउट इन दि वर्ल्ड है। सबसे ज्यादा डिजिटल इन्क्लूजन की बात है, तो वह भारत में है और मोदी जी ने डिजिटल इंडिया के जरिए इन्क्लूसिव ग्रोथ की है।… (व्यवधान) माननीय सांसद जी को इन्क्लूसिव ग्रोथ स्वीकार करनी पड़ेगी। यदि ये स्वीकार नहीं करेंगे तो भी यह देश इन्हें स्वीकार कराएगा।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न-144, डॉ. लोरहो फोज़।

(प्रश्न संख्या 144)

[अनुवाद]

डॉ. लोरहो फोज़: महोदय, भारत सरकार ने पहले ही "लुक ईस्ट पॉलिसी" को "एक्ट ईस्ट पॉलिसी" में बदल दिया है। हमें जो जवाब मिल रहे हैं, उसके अनुसार, 2018 में खुलने वाला एल.सी.एस. मोरेह को दो साल बाद कोविड-19 और निश्चित रूप से पड़ोसी देश में कानून और व्यवस्था की स्थिति के कारण फिर से बंद करना पड़ा।

यह दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन इस दौरान हमें जो झटका मिला है, ये हमारे लिए अपनी सीमाओं को विकसित करने का एक अवसर होना चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि अब हम यह भी देख रहे हैं कि दूसरी ओर म्याँमार की ओर कोई अवसंरचनात्मक विकास नहीं हो रहा है। मुझे लगता है कि जब हम विकास करेंगे, तभी वे भी विकसित होंगे। मैं आशा करता हूँ कि सरकार इस मामले की जांच करेगी।

मुझे जवाब सुनकर बहुत दुख हुआ है। मैंने पूछा था कि क्या सरकार इन जरूरतों/मांगों को पूरा करने के लिए कार्रवाई करने पर विचार कर रही है। जहां तक मांगों का सवाल है, वर्ष 2019 से मैं लगातार हमारी सीमाओं को विकसित करने के इस मुद्दे को उठा रहा हूँ। मैंने प्रधान मंत्री और वाणिज्य और उद्योग मंत्री सहित सभी संबंधित मंत्रियों को पत्र लिखे हैं। अब भी, जवाब 'नहीं' है। मेरे विचार से अब समय आ गया है कि हम इस पहलू पर गौर करें। भारत के पास आयात और निर्यात दोनों के लिए काफी संभावनाएं हैं। दूसरी तरफ, बहुत से लोग हैं जिन्हें जरूरत है। मुझे यकीन है कि जब हम अपनी सीमाएं खोलेंगे, तो उन्हें भी फायदा होगा, और इसका मतलब है इससे हमारे अपने देश को काफी लाभ होगा। भारत सरकार की एक्ट ईस्ट पॉलिसी में पूर्वोत्तर सीमाओं के विकास पर ध्यान देने की आवश्यकता है।

श्रीमती अनुप्रिया पटेल: महोदय, मैं माननीय संसद सदस्य की भावना को पूरी तरह समझती हूँ। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, म्याँमार, बांग्लादेश और चीन जैसे देशों के साथ भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमाओं पर हमारे पास 122 सीमा शुल्क चौकी है। इनमें से 122... (*व्यवधान*) मुझे जवाब देने दीजिए। ... (*व्यवधान*) दादा, कृपया थोड़ा धैर्य रखें। ... (*व्यवधान*) मैंने अभी बोलना शुरू किया है

और आपने इस तरह व्यवधान डालना शुरू कर दिया है। … (*व्यवधान*) मुझे जवाब देने का मौका दें। … (*व्यवधान*) मैं माननीय सदस्य को उत्तर दे रही हूँ। … (*व्यवधान*) यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। … (*व्यवधान*) कृपया मुझे बोलने दीजिए। … (*व्यवधान*) नहीं, यदि आपके पास कोई प्रश्न हैं ... (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : आप डिबेट क्यों करते हैं? आप प्रश्नों के जवाब दीजिए।

मैं एक विषय से सभी माननीय मंत्री महोदय एवं माननीय सदस्यों को अवगत कराना चाहता हूं कि जो माननीय सदस्य बिना मेरे बुलाए हुए अपने आप उठ कर बोलने लग जाते हैं, उनकी बात रिकॉर्ड में नहीं जाती है और बाहर भी नहीं जाती है। वे उठ कर कुछ बोलते हैं और आप उनके साथ डिबेट करने लग जाते हैं।

… (व्यवधान)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : आप डिबेट ही क्यों करते हैं? आप उनकी बातों का जवाब ही मत दीजिए।

… (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्रीमती अनुप्रिया पटेल: महोदय, हमने भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर 122 सीमा शुल्क चौकियां स्थापित की है।

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : आपको मैं एक और बात बता देता हूं। उनकी बातें न तो रिकॉर्ड में आती हैं, न ही टीवी पर आती हैं, ये बस इसी कैम्पस में खड़े होते हैं।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : टीवी में तब आता है, जब मैं किसी को बोलने के लिए कहता हूं।

… (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्रीमती अनुप्रिया पटेल: महोदय, इन 122 सीमा शुल्क चौकियों में से, 44 चौकी हैं जो उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में स्थित हैं। इन 44 चौकियों में से भारत-म्याँमार सीमा पर तीन सीमा शुल्क चौकी स्थापित किए जा चुके हैं। माननीय सदस्य ने कहा है कि हमारे उत्तर में कहा गया है कि राज्य की ओर से ऐसी कोई मांग नहीं आई है जो सच है। राज्य सरकार ने अतिरिक्त सीमा शुल्क चौकियों के निर्माण के लिए कोई मांग नहीं की है। हां, वर्ष 2017 के बाद से बहुत पत्राचार हुआ है। हमें वर्ष 2022 में पूर्वोत्तर परिषद के पूर्व सचिव और संसद सदस्य से भी कई पत्राचार प्राप्त हुए हैं। हमने सचिव, पूर्वोत्तर परिषद को भी उस समय जवाब दिया था जब उन्होंने वर्ष 2017 में पहला पत्र लिखा था कि हम सीमा हाट के निर्माण पर विचार कर रहे हैं। उसके बाद उन्होंने कुछ और पत्र लिखे और हमने मणिपुर राज्य के मुख्य सचिव से संपर्क करने की कोशिश की और उनसे और सीमा शुल्क चौकियां बनाने की व्यवहार्यता अथवा वांछनीयता और व्यापार की संभावनाओं का पता लगाए, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। अत, हमने अपने उत्तर में कहा है कि राज्य सरकार ने अतिरिक्त सीमा शुल्क चौकियों के सृजन के लिए कोई मांग नहीं की है।

मैं यहां यह भी कहना चाहूंगी कि जहां तक अतिरिक्त सीमा शुल्क चौकियों के सृजन का संबंध है, हमारे पास अरुणाचल प्रदेश में मोरेह, जोखावथार और नामपोंग में पहले से ही तीन प्रमुख सीमा चौकी हैं। लेकिन दूसरी ओर म्याँमार में बहुत अधिक राजनीतिक अस्थिरता है और एक राजनीतिक संकट है, इसलिए वे चौकियां बहुत निष्क्रिय हैं। हमें इस पर तभी विचार करने में प्रसन्नता होगी जब हमें पड़ोसी देशों की भी सहमति प्राप्त होगी क्योंकि जब अतिरिक्त सीमा शुल्क चौकियों के सृजन की बात आती है तो ऐसे अनेक कारक हैं जिन पर विचार किया जाना होता है।

इनमें पड़ोसी देश की सहमति काफी अहम होती है। इसके अलावा, व्यापार की संभावनाएं, अंतर-मंत्रालयी परामर्श और निर्यात अवसंरचना या संचार, बैंकिंग, ऐसी बहुत सी सुविधाएं, चाहे वे मौजूद हों,

निर्णय लेने से पहले ये सभी कारक एक पूर्वापेक्षा हैं। इसमें कई विभाग आते हैं। इसमें केवल वाणिज्य मंत्रालय ही नहीं बल्कि राजस्व विभाग, विदेश मंत्रालय और गृह मंत्रालय भी शामिल हैं।

डॉ. लोरहो फोज़: महोदय, मंत्री जी ने जो कुछ कहा है, मैं समझ गया हूँ। अरुणाचल में, 1962 वह वर्ष था जब इसे बंद कर दिया गया था। अब, 60 वर्ष से भी ज्यादा हो गये है। मैं जानना चाहूंगा कि क्या सरकार की इसे फिर से शुरु करने में कोई रुचि नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मुझे लगता है कि जब हमारी तरफ से कोई दिलचस्पी नहीं है ... (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : ओके, माननीय मंत्री जी, उत्तर दें।

… (व्यवधान)

[अनुवाद]

डॉ. लोरहो फोज़: महोदय, एक और सवाल है।

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : अभी आपने पूछ लिया है कि सन् 1962 से चालू करना चाहते हैं, हाँ या न। मंत्री जी जवाब दे दें हाँ या न। यहां पर कभी तो हाँ या न में जवाब दो? सभी इतना लंबा जवाब देते हैं।

मंत्री जी, इनको बताओ और हाँ-न में जवाब दीजिए।

… (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्रीमती अनुप्रिया पटेल: महोदय, जैसा कि मैंने पहले कहा, सरकार एक्ट ईस्ट पॉलिसी के प्रति वचनबद्ध है। हम पड़ोसी देशों के साथ अपने द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाना चाहते हैं। वर्ष 2022-23 में म्याँमार के साथ हमारा द्विपक्षीय व्यापार 1.76 बिलियन डॉलर का रहा। हम सभी देश में राजनीतिक उथल-पुथल, आपातकाल की स्थिति और जो कुछ भी हो रहा है, उसे समझते हैं। ये स्थितियां व्यापार के लिए अनुकूल

नहीं हैं, और व्यापारियों के बीच भी कम रुचि है। तो, नाम्पोंग में, यह 1962 में बनाया गया था। यह गैर-कार्यात्मक रहा है। लेकिन हमने एक बॉर्डर हाट भी बनाया है। नामपोंग और पंगसाऊ दर्रे पर दोनों तरफ सभी बुनियादी ढांचा तैयार है। लेकिन दूसरे पक्ष की भी इच्छा होनी चाहिए। केवल तभी हम कार्य करना शुरू कर सकते हैं।

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मैं संसदीय कार्य मंत्री जी के माध्यम से और सबको सदन में यह कहना चाहता हूँ कि प्रश्न काल केवल एक घंटे का होता है और प्रश्न 20 होते हैं। प्रश्न पूछने वाले भी बहुत बड़ी-बड़ी भूमिका बांध देते हैं और माननीय मंत्री जी उससे बड़ी भूमिका बांध देते हैं। ऐसे में हम कैसे 20 प्रश्नों को पूर्ण कर पाएंगे? सदन में अपना टारगेट तो 20 प्रश्नों का होना चाहिए। मैं दोनों तरफ बैठे सभी सदस्यों से कह रहा हूँ, आपको भी कह रहा हूँ और इधर भी कह रहा हूँ।

श्री तापिर गाव जी।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप एक प्रश्न पूछो – यस ऑर नो, बात खत्म हो गयी।

… (व्यवधान)

श्री गौरव गोगोई : सर, जवाब के लिए बड़े मंत्री जी को कहिए। … (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : बड़े मंत्री जी तो और बड़ा जवाब दे देंगे।

… (व्यवधान)

श्री तापिर गाव : ऑनरेबल स्पीकर सर, आउट ऑफ 44 बॉर्डर ट्रेड में, पूर्वोत्तर राज्यों में अरुणाचल प्रदेश में एक ही है और वह नामपोंग में है। यह नामपोंग, सन् 1942 से पहले, स्टीलवेल रोड, डिग्बोई से ले कर साइनाकुमिंगटॉन्ग तक है और अभी भी वह रास्ता एग्ज़िस्टिंग है। मेरा संसदीय क्षेत्र नामपोंग में है। सन् 1962 से नहीं, कोविड से पहले बॉर्डर ट्रेड वहां बार्टर सिस्टम में हुआ करता था। कोविड के बाद

अरुणाचल प्रदेश सरकार ने भी लेटर लिखा, हमने भी लेटर लिखा, डेलिगेशन भी आ कर मिले। म्यांमार भी चाहता है कि वह बॉर्डर ट्रेड शुरु हो। इसलिए अरुणाचल प्रदेश सरकार और भारत सरकार को भी इसको देखना चाहिए कि पहले म्यांमार और नामपोंग में इंडियन ट्रेड अच्छे से चल रहा था। कोविड के बाद से बंद पड़ा हुआ है।

मंत्री जी से मेरा यही अनुरोध है कि इस बॉर्डर के लिए इतना इंफ्रास्ट्रक्चर बना कर रखा हुआ है, म्यांमार ने भी बनाया है, इंडिया ने भी बनाया है, उसको अलाऊ करने के लिए आपकी मिनिस्ट्री से पहल कर दीजिए। इससे दोनों देशों को फायदा होगा। इस पर आपकी क्या राय है?

[अनुवाद]

श्रीमती अनुप्रिया पटेल: महोदय, मैं माननीय सदस्य को सूचित करना चाहूंगी कि संभवत उनके पास सही जानकारी नहीं है। अरुणाचल प्रदेश के नामपोंग में हमारी एक सीमा शुल्क चौकी है। बुनियादी ढांचा तैयार है। सीमा शुल्क अधिकारियों के पास एक अतिरिक्त प्रभार भी है। लेकिन म्यॉंमार में नामपोंग के तदनुरूपी हमारी कोई सीमा शुल्क चौकी नहीं है। तथापि, भारत और म्यॉंमार ने सीमा हाट पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। सीमा हाट तैयार है। नामपोंग, पंगसाऊ दर्रा सीमा हाट तैयार है। लेकिन प्रचालन के तरीकों पर अभी भी काम किया जा रहा है। एक बार जब वे तैयार हो जाएं, तो हम उन प्रचालन को शुरू कर सकते हैं। लेकिन सीमा शुल्क चौकी. के संबंध में म्यॉंमार की ओर कोई तदनुरूपी अवसंरचना नहीं है।

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न संख्या – 145, प्रो. अच्युतानंद सामंत।

(प्रश्न संख्या 145)

प्रो. अच्युतानंद सामंत : ऑनरेबल स्पीकर सर, माननीय मंत्री महोदय ने बहुत अच्छी तरह से उत्तर रखा है। इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं। मुझे जानकारी है कि 142 किलोमीटर की दशापल्ला-खुर्दा रेल लाइन शुरू कर दी गई है। दशपल्ला वासियों को कब तक रेल सेवा उपलब्ध होगा? मुझे एक और जानकारी चाहिए। [अनुवाद] मैं यह भी जानना चाहूंगा कि क्या धार्मिक महत्व के दो स्थानों को जोड़ने के लिए पुरी रेलवे स्टेशन और श्री माता वैष्णो देवी कटरा रेलवे स्टेशन के बीच सीधी सुपरफास्ट रेलगाड़ी शुरू करने की सरकार की कोई योजना है।

[हिन्दी]

श्री अश्वनी वैष्णव: माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले माननीय सांसद महोदय ने जो प्रश्न पूछा है, उसके बैकग्राउण्ड में फूलबानी जिला एक बहुत ही सुंदर जिला है। वहां बहुत ही अच्छा लैंडस्कैप है। वह करीब पूरी तरह से आदिवासी क्षेत्र है। वहां की कनेक्टिविटी के लिए रेढ़ाखोल से गोपालपुर का एक प्रोजेक्ट है। राज्य सरकार की एक कंपनी ओआरआईडीएल है। इस कंपनी के जरिए यह प्रोजेक्ट डेवलप हो रहा है। मैं माननीय सांसद महोदय से भी कहूंगा कि फूलबानी जिले की जो कनेक्टिविटी है, उसके लिए राज्य सरकार से संपर्क करके काम कराए। हमारे यहां से भी रिकमेंडेशन जाएगा कि ओआरआईडीएल ने जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनायी है, उस प्रोजेक्ट रिपोर्ट को वापस राज्य सरकार के पास भेजे, ताकि फूलबानी जिले को भी उसमें कनेक्टिविटी मिले।

माननीय सांसद महोदय ने दूसरी बात दशपल्ला के बारे में बोला है। खुर्दा-बोलांगीर प्रोजेक्ट एक ऐसा प्रोजेक्ट है, जो 40-45 वर्षों से पेंडिंग था। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने जो काम किया है, उस 40-45 वर्ष पुराने प्रोजेक्ट पर आज तेजी से काम चल रहा है।

मान्यवर अध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही खुशी की बात है, मैं मान्यवर भूपेन्द्र यादव जी को धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि उनकी मदद से सारे इश्यूज़ रिजॉल्व हुए और काम तेजी से चल रहा है। 40-45 वर्षों से लंबित कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट बहुत जल्द पूरी हो जाएगी।

प्रो. अच्युतानंद सामंत : सर, मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। कंधमाल जिला एक एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है। फूलबानी उसका डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है। उसके लिए जो प्रोजेक्ट चल रहा है, अभी उसका डीपीआर तैयार हो चुका है। माननीय मंत्री जी उसको थोड़ा स्पीड अप करेंगे और कंधमाल वासियों के सपनों को साकार करेंगे। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि दशपल्ला वासियों को कब तक ट्रेन सेवा उपलब्ध होगा?

श्री अश्वनी वैष्णव: मान्यवर अध्यक्ष जी, जैसा मैंने कहा, यह जो डीपीआर ओडिशा सरकार से आई है, उसको अभी हम ओडिशा सरकार के पास रिटर्न करेंगे, ताकि कंधमाल जिले को उसमें इंक्लूड कर सकें। अभी उसमें इंक्लूड नहीं है। उसके लिए हम डीपीआर को राज्य सरकार के पास रिटर्न करेंगे।

[अनुवाद]

श्रीमती सुमलता अम्बरीश: माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक कर्नाटक का संबंध है, लगभग 20 स्वीकृत रेल परियोजनाएं हैं और उनमें से कुछ अभी भी कागजों पर हैं। ऐसी ही एक परियोजना 142 किलोमीटर लंबी नई लाइन वाली हेज्जाला-चामराजनगर रेल लाइन है। यद्यपि इसे वर्ष 1997-98 में अनुमोदित किया गया था, लेकिन 25 वर्षों के बाद भी उक्त परियोजना की वास्तविक प्रगति शून्य है।

मैं माननीय मंत्री जी से परियोजना की वर्तमान स्थिति के बारे में जानना चाहूंगी और यह जानना चाहूंगी कि क्या इस दिशा में कोई ठोस कदम उठाए जा रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री अश्वनी वैष्णव: मान्यवर अध्यक्ष महोदय, वैसे यह प्रश्न मूल प्रश्न से संबंधित नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपके जरिए रिकॉर्ड पर रखना चाहूंगा कि पिछले साढ़े नौ वर्षों में मोदी जी ने रेलवे को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म किया है। करीब 26 हजार किलोमीटर नए ट्रैक्स बने हैं। आज नए ट्रैक्स बनने की जो गति है, वह करीब 12-13 किलोमीटर प्रति दिन के हिसाब नए ट्रैक्स बनाए जा रहे हैं।

मैं आपके माध्यम से विभिन्न राज्य सरकारों से भी निवेदन करना चाहूंगा कि रेलवे के डेवलपमेंट के लिए राज्य सरकारों का बहुत बड़ा सहयोग चाहिए होता है, विशेष कर लैंड एक्विजिशन के लिए, लॉ

एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, और भी कई तरह के अप्रूवल्स व परमिट्स हैं, उसमें भी राज्य सरकारें सहयोग करती हैं।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न संख्या – 146, श्री लावू श्रीकृष्णा देवरायालू ।

(प्रश्न संख्या 146)

[अनुवाद]

श्री लावू श्रीकृष्णा देवरायालू: महोदय, मैंने मंत्रालय से एक लिखित प्रश्न विशेष रूप से पूछा था कि क्या मंत्रालय की सार्वजनिक वितरण प्रणाली योजना में पोषक तत्वों से भरपूर मिलेट्स और समुद्री भोजन जैसे विकल्पों की पेशकश करने की योजना है। मैंने जो कारण पूछा है उसके दो आयाम हैं। एक तो यह है कि 2019 में नीति आयोग के एक दस्तावेज़ में कहा गया था कि वे पीडीएस योजना में प्रोटीन से भरपूर खाद्य पदार्थों जैसे समुद्री भोजन पर सरकारी सब्सिडी देने पर काम कर रहे हैं, और दूसरा यह है कि सरकार प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना को भी प्रोत्साहन दे रही है। तो इन दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए, मैंने यह प्रश्न पूछा था। लेकिन किसी कारणवश, पूरे उत्तर में समुद्री भोजन का कोई उल्लेख नहीं है। महोदय, आपके माध्यम से मैं इस सभा में यह पूछ रहा हूँ कि क्या सरकार इस देश के बच्चों में बौनेपन, कम वजन और लौह तत्व की कमी को दूर करने के लिए समुद्री खाद्य पदार्थों जैसे पोषक तत्वों से भरपूर खाद्य पदार्थों को शामिल करने पर विचार कर रही है।

[हिन्दी]

साध्वी निरंजन ज्योति : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं संसद सदस्य का जवाब दूं, इसके पहले माननीय प्रधान मंत्री जी का अभिनन्दन करना चाहती हूं। जो गरीबों का भोजन माना जाता था, रागी, बाजरा, ज्वार, अधिकांश गांव के लोगों का भोजन था, जिसमें आपके प्रदेश में सबसे ज्यादा बाजरा होता है। … (व्यवधान) माननीय सदस्य ने फिश के लिए कहा है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अवगत कराना चाहती हूं कि राज्य सरकारें जो भी फूड खाद्यान्न में जोड़ना चाहें, वे उन्हें जोड़ सकती हैं। उन्होंने फिश के लिए कहा है। यह राज्य सरकारों का विषय है, वे इसे जोड़ सकती है।

माननीय अध्यक्ष : राज्य सरकार कैसे जोड़ सकती है?

माननीय मंत्री जी, आप कुछ कहेंगे।

वाणिज्य और उद्योग मंत्री; उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री तथा वस्त्र मंत्री (श्री पीयूष गोयल): यह देश के लिए गर्व की बात है कि अब गरीबों को पैसे से अनाज नहीं खरीदना पड़ता है। 81 करोड़ लोगों को नि:शुल्क उनकी जरूरत के खाद्यान्न, फूडग्रेन्स, केन्द्र सरकार देश भर में पूरी तरह से उपलब्ध कराती है, आपके राज्य में भी उपलब्ध कराती है। जहां तक और चीजें जोड़ने की बात है, स्वाभाविक रूप से दो लाख करोड़ रुपये से अधिक केन्द्र सरकार गरीबों की चिन्ता में खर्च कर रही है। इसके अलावा अगर कुछ और जोड़ने की इच्छा अलग-अलग राज्यों की हो, तो राज्यों को पूरी छूट है।

केन्द्र सरकार का जहां तक सवाल है, हमने यह छूट दे रखी है कि वह मोटा अनाज, श्रीअन्न, कोर्सग्रेन या मिलेट्स, अगर चावल और गेहूं के बदले देना चाहें तो उसको स्वॉप किया जा सकता है। उसको राज्य सरकार खरीदे या एफसीआई को आर्डर देकर खरीदवाये, वह उसे स्वॉप कर सकती है।… (व्यवधान) आज की तारीख में अन्य कोई पदार्थों को जोड़ने का प्रस्ताव केन्द्र सरकार के सामने नहीं है। मेरे ख्याल से जो सामान्य जरूरतें हैं, वे फूडग्रेन के माध्यम से गरीबों की पूरी की जा रही है। यह भी बहुत बड़ी राहत है। हमने कोविड के समय में भी इसे देखा। इसको दोगुना करके आज पूरे देश को यह संतुष्टि है कि एक भी व्यक्ति भुखमरी के कारण नहीं मरता है। बाकी वस्तुओं में अलग-अलग प्रदेश स्वेच्छा से काम कर सकते हैं।

[अनुवाद]

श्री लावू श्रीकृष्णा देवरायालू: महोदय, मुझे यह समझ में नहीं आता कि राज्य सरकारें इसे कैसे शामिल कर सकती हैं, क्योंकि यह एक दस्तावेज़ है जो नीति आयोग ने स्वयं 2019 में प्रस्तुत किया था।

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य आप क्या चाहते हैं?

[अनुवाद]

श्री लावू श्रीकृष्णा देवरायालू: महोदय, मैं अगले प्रश्न पर आ रहा हूँ।

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : गेहूं, चावल और मोटे अनाज के अलावा इसको भी दें, क्या आप यह चाहते हैं?

[अनुवाद]

श्री लावू श्रीकृष्णा देवरायालू: यह प्रस्ताव नीति आयोग द्वारा प्रस्तुत किया गया था न कि राज्य सरकार द्वारा।

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी।

… (व्यवधान)

श्री पीयूष गोयल: सर, लगता है कि इनको अच्छा नहीं लग रहा है कि गेहूं और चावल मुफ्त में दिया जा रहा है। इनका इससे कुछ विरोध है।… (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री लावू श्रीकृष्णा देवरायालू: मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ। मैं कह रहा हूँ कि नीति आयोग की रिपोर्ट में इन प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थों को शामिल करने की सिफारिश की गई थी। इसलिए, मैं चाहता हूं कि आप इसे कार्यान्वित करने के लिए सिफारिश करें। मैं कुछ और नहीं पूछ रहा हूँ।

[हिन्दी]

श्री पीयूष गोयल: नीति आयोग का काम है कि नये-नये विचारों के ऊपर वह अपने विचार व्यक्त करे और गहराई से, गम्भीरता से स्टडी करके अपने विचार रखे। ऐसे कई विचार वे राज्य सरकारों को भी देते हैं, कई विचार हमारे समक्ष भी आते हैं। उस पर समय-समय पर उपयुक्त विचार करके केन्द्र सरकार को निर्णय लेना होता है। प्लानिंग कमीशन का पहले के जमाने में, पुरानी सरकारों के जमाने में चलता था कि हर राज्य को प्लानिंग कमीशन के दरवाजे खटखटाने पड़ते थे, हर योजना के लिए नीति आयोग यानी उस समय के प्लानिंग कमीशन की अप्रूवल लगती थी, वह जमाना खत्म हो गया। … (व्यवधान) अब

राज्य सरकारें स्वेच्छा से काम कर सकती हैं। उनको अपने बजट में जो इच्छा हो, वह करने की पूरी छूट है। प्लानिंग कमीशन का अब कंट्रोल खत्म कर दिया गया है।…(व्यवधान) उनको सुझाव को सुझाव के रूप में देखना चाहिए।… (व्यवधान) यह आदेश नहीं होता है। … (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्री ए. राजा जी।

… (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री ए. राजा: महोदय, मुझे तमिल में अपना प्रश्न पूछने की अनुमति दी जाए। तब ही मेरे संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र के लोगों इसे अच्छी तरह से समझ सकेंगे।

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष: इसमें तमिल भाषा का इंटरप्रेटेशन है, इसमें तमिल भाषा आएगी।

… (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री ए. राजा: महोदय, मैं अंग्रेजी में पूछूंगा

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप बटन दबाइए, तमिल भाषा आएगी।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आप थोड़ा रुकिए, आप जल्दी क्यों कर रहे हो?

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: श्रीकृष्णा देवरायालू जी, आप बैठ जाइए, आपने सप्लीमेंटरी पूछ लिया है।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: ए. राजा जी।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आप सदन नहीं चला रहे हैं।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: ए. राजा जी।

… (व्यवधान)

[अनुवाद]

*__श्री ए. राजा:__ माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे नीलगिरी संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र में चाय बागान एक महत्वपूर्ण व्यवसाय है। माननीय मंत्री वाणिज्य और उपभोक्ता मामलों के विभागों का काम भी देख रहे हैं। इसलिए मैं यह सवाल पूछ रहा हूँ। नीलगिरी संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र और पूरे भारत में उगाई जाने वाली चाय का लाभकारी मूल्य नहीं मिलता है। पर्याप्त खरीद नहीं होती है। यदि आप सार्वजनिक वितरण प्रणाली में चाय को शामिल करते हैं तो इससे उत्पादकों, कृषकों और प्रापण एजेंसियों को सहायता मिलेगी। मुझे अनुकूल जवाब की आशा है।

श्री पीयूष गोयल: महोदय, एक अच्छा उत्तर पाने के लिए, आपको एक अच्छा प्रश्न पूछने की आवश्यकता है। प्रश्न प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना से संबंधित है। प्रश्न मिलेट्स और समुद्री खाद्य पदार्थों जैसे पोषक तत्वों से भरपूर विकल्पों और माननीय सदस्य द्वारा उल्लिखित कुछ सिफारिशों से संबंधित है।

मैं नहीं जानता कि हमारे माननीय सहयोगी, जो स्वयं मंत्री रह चुके हैं, ने इसे समझा है या नहीं। संसदीय कार्य मंत्रालय को इस बात पर विचार करना चाहिए कि क्या हम सदस्यों के लिए प्रश्न का भी विभिन्न भाषाओं में अनुवाद कर सकें ताकि वे समझ सकें कि प्रश्न क्या है।… (*व्यवधान*)

---

* मूलतः तमिल में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

उनका मेरे कक्ष में स्वागत है। मैं श्री राजा को कॉफी के लिए आमंत्रित करता हूँ। … (*व्यवधान*) वास्तव में, मुझे उन्हें नीलगिरि की चाय पिलाने में खुशी होगी। (*व्यवधान*) मैं दुनिया भर में नीलगिरी चाय का प्रचार कर रहा हूँ। दुनिया भर से मेरे कार्यालय में आने वाले लोग नीलगिरि चाय का आनंद लेते हैं .... (*व्यवधान*) मैं उन्हें खूबसूरती से पैक की गई नीलगिरी चाय, चिकमगलूर चाय, दार्जिलिंग चाय, असम चाय देता हूँ। (*व्यवधान*) मैं इसे दुनिया भर से आने वाले लोगों को देता हूँ .... (*व्यवधान*) वास्तव में, कल ही, मेरे पास चार देशों - स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड और लिक्टेन्स्टाइन के आगंतुक थे ...। (*व्यवधान*) मैंने उन्हें भारत द्वारा बनाई गई चाय और कॉफी पिलाई और उन्हें उपहार के रूप में नीलगिरी चाय दी। (*व्यवधान*) तो, हम नीलगिरि चाय के ब्रांड एंबेसडर हैं। … (*व्यवधान*) मैं आशा करता हूँ कि माननीय संसद सदस्य भी नीलगिरी के चाय उत्पादकों की सहायता के लिए कुछ प्रयास करेंगे।.. (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

डॉ. (प्रो.) किरिट प्रेमजीभाई सोलंकी: अध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे एक महत्वपूर्ण विषय पर प्रश्न करने की अनुमति दी है। मिलेट्स श्रीअन्न के नाम से जाना जाता है जैसे, बाजरा, रागी, ज्वार, मक्का। मैं यशस्वी प्रधानमंत्री जी का बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उनके सुझाव पर यूनाइटेड नेशन्स ने इस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष के नाम पर घोषित किया है। प्रश्न यह है कि यहां जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, उसमें हम गेहूं और चावल ही देते हैं। क्यों नहीं श्रीअन्न भी दिया जाए, क्योंकि ज्यादातर लोग श्रीअन्न खाते हैं। इसमें पौष्टिकता भी ज्यादा होती है, मिनरल्स और विटामिन भी ज्यादा होती है। क्लाइमेज चेंज के लिए भी यह फ्रेंडली है, इसे कम्पलसरी दिया जाए। क्या इसके लिए भारत सरकार से आदेश जाएगा?

<u>मध्याह्न 12.00 बजे</u>

साध्वी निरंजन ज्योति : माननीय अध्यक्ष जी, माननीय प्रधान मंत्री जी ने जब से श्री अन्न योजना लागू की है, इससे मांग भी बढ़ी है। … (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आप यह बताएं कि इसे लागू किया गया है या नहीं?

… (व्यवधान)

साध्वी निरंजन ज्योति: इसे लागू किया गया है।

माननीय अध्यक्ष: बारह बज गए हैं। प्रश्न काल समाप्त।

… (व्यवधान)

---

[2]प्रश्नों के लिखित उत्तर

(तारांकित प्रश्न संख्या 147 से 160

अतारांकित प्रश्न संख्या 1611 से 1650 और

1652 से 1840)

---

[2] प्रश्नों और उनके उत्तरों के लिए ग्रंथालय में रखी गई वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण की मास्टर-प्रति का संदर्भ लें। प्रश्नों और उनके उत्तरों के संबंध में अधिक जानकारी हेतु आप इस लिंक पर जाए। https://sansad.in/ls/hi/questions/questions-and-answers

इस लिंक के खुलने के बाद लोक सभा का चयन करें, फिर सत्र का चयन करें तत्पश्चात फिल्टर में जाकर वाद-विवाद की तारीख का चयन करने के पश्चात् इसे लागू करें।

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण मुझे कुछ विषयों पर स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। किसी भी स्थगन प्रस्ताव की सूचना को अनुमति प्रदान नहीं की गई है।

…(व्यवधान)

<u>अपराह्न 12.01 बजे</u>

सभा पटल पर रखे गए पत्र

माननीय अध्यक्ष : अब पत्र सभा पटल पर रखे जाएंगे।

मद संख्या 2, श्री किरेन रिजीजू।

[अनुवाद]

पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री किरेन रिजीजू): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

(1) (एक) भारतीय उष्णदेशीय मौसम-विज्ञान संस्थान, पुणे के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय उष्णदेशीय मौसम-विज्ञान संस्थान, पुणे के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 10327/17/23]

(2) (एक) राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान, चेन्नई के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान, चेन्नई के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 10328/17/23]

(3) (एक) राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान अध्ययन केन्द्र, तिरूवनन्तपुरम के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान अध्ययन केंद्र, तिरूवनन्तपुरम के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 10329/17/23]

(4) (एक) भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केन्द्र, हैदराबाद के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केन्द्र, हैदराबाद के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 10330/17/23]

(5) (एक) राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं समुद्री अनुसंधान केन्द्र, वास्को-दा-गामा के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं समुद्री अनुसंधान केन्द्र, वास्को-दा-गामा के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 10331/17/23]

[हिन्दी]

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री; पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री; प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री; परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह): माननीय अध्यक्ष जी, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) (एक) महाराष्ट्र एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस - आघारकर अनुसंधान संस्थान, पुणे के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) महाराष्ट्र एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस - आघारकर अनुसंधान संस्थान, पुणे के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 10332/17/23]

(2) (एक) आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान, नैनीताल के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान, नैनीताल के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 10333/17/23]

(3) (एक) बोस इंस्टीट्यूट, कोलकाता के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) बोस इंस्टीट्यूट, कोलकाता के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 10334/17/23]

(4) (एक) बीरबल साहनी पुराविज्ञान संस्थान, लखनऊ के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) बीरबल साहनी पुराविज्ञान संस्थान, लखनऊ के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 10335/17/23]

(5) (एक) नैनो एवं मृदु पदार्थ विज्ञान केंद्र, बेंगलुरु के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नैनो एवं मृदु पदार्थ विज्ञान केंद्र, बेंगलुरु के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 10336/17/23]

(6) (एक) इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस, कोलकाता के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस, कोलकाता के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 10337/17/23]

(7) (एक) भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान, बेंगलुरु के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय खगोलभौतिकी संस्थान, बेंगलुरु के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 10338/17/23]

(8) (एक) भारतीय भूचुम्बकत्व संस्थान, नवी मुम्बई के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय भूचुम्बकत्व संस्थान, नवी मुम्बई के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 10339/17/23]

(9) (एक) विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी उन्नत अध्ययन संस्थान, गुवाहाटी के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी उन्नत अध्ययन संस्थान, गुवाहाटी के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 10340/17/23]

(10) (एक) नैनो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, मोहाली के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नैनो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, मोहाली के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 10341/17/23]

(11) (एक) इंटरनेशनल एडवान्स्ड रिसर्च सेंटर फॉर पाउडर मेटालर्जी एंड न्यू मेटेरियल्स, हैदराबाद के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंटरनेशनल एडवान्स्ड रिसर्च सेंटर फॉर पाउडर मेटालर्जी एंड न्यू मेटेरियल्स, हैदराबाद के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 10342/17/23]

(12) (एक) जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवान्स्ड साइंटिफिक रिसर्च, बेंगलुरु के वर्ष 2022-

2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवान्स्ड साइंटिफिक रिसर्च, बेंगलुरु के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 10343/17/23]

(13) (एक) रामन अनुसंधान संस्थान, बेंगलुरु के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) रामन अनुसंधान संस्थान, बेंगलुरु के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 10344/17/23]

(14) (एक) श्री चित्रा तिरुनाल आयुर्विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, तिरुवनंतपुरम के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) श्री चित्रा तिरुनाल आयुर्विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, तिरुवनंतपुरम के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 10345/17/23]

(15) (एक) सत्येन्द्र नाथ बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंसेज, कोलकाता के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सत्येन्द्र नाथ बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंसेज, कोलकाता के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 10346/17/23]

(16) (एक) वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान, देहरादून के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान, देहरादून के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 10347/17/23]

(17) (एक) नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन-इंडिया, गांधीनगर के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन-इंडिया, गांधीनगर के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 10348/17/23]

(18) (एक) नॉर्थ ईस्ट सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन एंड रीच, शिलांग के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नॉर्थ ईस्ट सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन एंड रीच, शिलांग के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 10349/17/23]

(19) (एक) साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक

प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 10350/17/23]

(20) (एक) टेक्नोलॉजी इन्फॉर्मेशन, फॉरकास्टिंग एंड एसेसमेंट काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) टेक्नोलॉजी इन्फॉर्मेशन, फॉरकास्टिंग एंड एसेसमेंट काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 10351/17/23]

(21) (एक) विज्ञान प्रसार, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) विज्ञान प्रसार, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 10352/17/23]

(22) (एक) इंडियन एकेडमी ऑफ साइंसेज, बेंगलुरु के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन एकेडमी ऑफ साइंसेज, बेंगलुरु के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 10353/17/23]

(23) (एक) इंडियन नेशनल एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन नेशनल एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 10354/17/23]

(24) (एक) इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 10355/17/23]

(25) (एक) इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन, कोलकाता के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन, कोलकाता के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 10356/17/23]

(26) (एक) नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज, इंडिया, प्रयागराज के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज, इंडिया, प्रयागराज के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 10357/17/23]

(27) (एक) रीजनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी, फरीदाबाद के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) रीजनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी, फरीदाबाद के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 10358/17/23]

(28) (एक) इंस्टीट्यूट ऑफ बायोरिसोर्सेज एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इम्फाल के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंस्टीट्यूट ऑफ बायोरिसोर्सेज एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इम्फाल के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 10359/17/23]

(29) (एक) नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंस, पुणे के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंस, पुणे के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 10360/17/23]

(30) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 10361/17/23]

(31) (एक) नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर, मानेसर के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर, मानेसर के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 10362/17/23]

(32) (एक) सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक्स, हैदराबाद के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक्स, हैदराबाद के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 10363/17/23]

(33) (एक) बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 10364/17/23]

(34) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 24 की उप-धारा (3) के अंतर्गत

अधिसूचना सं. सा.का.नि. 864(अ) जो दिनांक 23 नवम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित उक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 10365/17/23]

(35) अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उप-धारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) भारतीय वन सेवा (परिवीक्षाधीन अधिकारी प्रशिक्षण और मूल्यांकन) नियम, 2023 जो दिनांक 23 नवम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.862(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय वन सेवा (परिवीक्षा) संशोधन नियम, 2023 जो दिनांक 23 नवम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.863(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 10366/17/23]

(36) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(क) (एक) नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, नई दिल्ली का वर्ष 2022-2023 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 10367/17/23]

(ख) (एक) भारतीय नाभिकीय व़िद्युत निगम लिमिटेड, चेन्नई के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण

की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड, चेन्नई का वर्ष 2021-2022 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 10368/17/23]

(ग) (एक) सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, साहिबाबाद के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, साहिबाबाद का वर्ष 2022-2023 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 10369/17/23]

विधि और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री; संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): माननीय अध्यक्ष जी, मैं पंद्रहवीं, सोलहवीं और सत्रहवीं लोक सभा के विभिन्न सत्रों के दौरान मंत्रियों द्वारा दिए गए आश्वासनों, वायदों और वचनों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई को दर्शाने वाले निम्नलिखित विवरणों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:-

पंद्रहवीं लोक सभा

1. विवरण सं. 38 पांचवां सत्र, 2010

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 10370/17/23]

2. विवरण सं. 32 बारहवां सत्र, 2012

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 10371/17/23]

सोलहवीं लोक सभा

3. विवरण सं. 32 दूसरा सत्र, 2014

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 10372/17/23]

4. विवरण सं. 32 चौथा सत्र, 2015

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 10373/17/23]

5. विवरण सं. 28 पांचवां सत्र, 2015

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 10374/17/23]

6. विवरण सं. 27 छठा सत्र, 2015

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 10375/17/23]

7. विवरण सं. 27 आठवां सत्र, 2016

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 10376/17/23]

8. विवरण सं. 22 दसवां सत्र, 2016

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 10377/17/23]

9. विवरण सं. 24 ग्यारहवां सत्र, 2017

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 10378/17/23]

10. विवरण सं. 24 बारहवां सत्र, 2017

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 10379/17/23]

11. विवरण सं. 18 चौदहवां सत्र, 2018

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 10380/17/23]

12. विवरण सं. 17 सोलहवां सत्र, 2018

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 10381/17/23]

13. विवरण सं. 17 सत्रहवां सत्र, 2019

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 10382/17/23]

सत्रहवीं लोक सभा

14. विवरण सं. 20 पहला सत्र, 2019

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल. टी.10383/17/23]

15. विवरण सं. 16 दूसरा सत्र, 2019

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 10384/17/23]

16. विवरण सं. 15 तीसरा सत्र, 2020

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 10385/17/23]

17. विवरण सं. 15 चौथा सत्र, 2020

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 10386/17/23]

18. विवरण सं. 15 पांचवां सत्र, 2021

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 10387/17/23]

19. विवरण सं. 14 छठा सत्र, 2021

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 10388/17/23]

20. विवरण सं. 8 सातवां सत्र, 2021

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 10389/17/23]

21. विवरण सं. 8 आठवां सत्र, 2022

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 10390/17/23]

22. विवरण सं. 5 नौवां सत्र, 2022

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 10391/17/23]

23. विवरण सं. 3 दसवां सत्र, 2022

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 10392/17/23]

24. विवरण सं. 3 ग्यारहवां सत्र, 2023

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 10393/17/23]

25. विवरण सं. 1 बारहवां सत्र, 2023

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 10394/17/23]

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (साध्वी निरंजन ज्योति): माननीय अध्यक्ष जी, श्री फग्गन सिंह कुलस्ते जी की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं:-

(1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(क) (एक) एनएमडीसी स्टील लिमिटेड, हैदराबाद के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) एनएमडीसी स्टील लिमिटेड, हैदराबाद का वर्ष 2022-2023 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

. [ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 10395/17/23]

(ख) (एक) एमएसटीसी लिमिटेड और उसकी अनुषंगी कंपनी फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) एमएसटीसी लिमिटेड और उसकी अनुषंगी कंपनी फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2022-2023 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 10396/17/23]

(ग) (एक) मेकॉन लिमिटेड, रांची के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) मेकॉन लिमिटेड, रांची का वर्ष 2022-2023 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 10397/17/23]

(घ) (एक) एमओआईएल लिमिटेड, नागपुर के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) एमओआईएल लिमिटेड, नागपुर का वर्ष 2022-2023 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 10398/17/23]

(ङ) (एक) केआईओसीएल लिमिटेड, बेंगलुरू के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) केआईओसीएल लिमिटेड, बेंगलुरू का वर्ष 2022-2023 का वार्षिक

प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 10399/17/23]

(च) (एक) राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, विशाखापत्तनम के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, विशाखापत्तनम का वर्ष 2022-2023 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 10400/17/23]

(छ) (एक) स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2022-2023 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 10401/17/23]

(ज) (एक) एनएमडीसी लिमिटेड, हैदराबाद के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) एनएमडीसी लिमिटेड, हैदराबाद का वर्ष 2022-2023 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 10402/17/23]

(2) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) एमएसटीसी लिमिटेड (कन्सोलिडेटेड) तथा इस्पात मंत्रालय के बीच वर्ष 2023-2024 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 10403/17/23]

(दो) स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड तथा इस्पात मंत्रालय के बीच वर्ष 2023-2024 और वर्ष 2024-2025 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 10404/17/23]

(तीन) मेकोन लिमिटेड तथा इस्पात मंत्रालय के बीच वर्ष 2023-2024 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 10405/17/23]

(चार) एनएमडीसी लिमिटेड तथा इस्पात मंत्रालय के बीच वर्ष 2023-2024 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 10406/17/23]

(पांच) एमओआईएल लिमिटेड तथा इस्पात मंत्रालय के बीच वर्ष 2023-2024 और वर्ष 2024-2025 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 10407/17/23]

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री; कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दानवे रावसाहेब दादाराव): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 28 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) आणविक खनिज रियायत (संशोधन) नियम, 2023, जो दिनांक 22 सितम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.682(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) सा.का.नि.736(अ) जो दिनांक 12 अक्टूबर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, जिनके द्वारा खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की उसमें उल्लिखित दूसरी अनुसूची में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(तीन) खनिज (परमाणु और हाइड्रो कार्बन ऊर्जा खनिज के सिवाय) रियायत (संशोधन) नियम, 2023, जो दिनांक 12 अक्तूबर, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.737(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 10408/17/23]

(2) रेल अधिनियम, 1989 की धारा 199 के अंतर्गत भारतीय रेल (ओपन लाइन्स) सामान्य (तीसरा संशोधन) नियम, 2023 जो दिनांक 30 नवम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.870(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 10409/17/23]

(3) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(क) (एक) नालको लिमिटेड, भुवनेश्वर के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नालको लिमिटेड, भुवनेश्वर का वर्ष 2022-2023 का वार्षिक प्रतिवेदन,

लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 10410/17/23]

(ख) (एक) हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2022-2023 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 10411/17/23]

(ग) (एक) कंटेनर कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) कंटेनर कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2022-2023 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 10412/17/23]

(घ) (एक) रेल विकास निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) रेल विकास निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2022-2023 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 10413/17/23]

(ङ) (एक) डेडीकेटेड फ्रेट कॉरिडॉर कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष

2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) डेडीकेटेड फ्रेट कॉरिडॉर कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2022-2023 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 10414/17/23]

(च) (एक) नेशनल हाई स्पीड रेल कार्पोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नेशनल हाई स्पीड रेल कार्पोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2022-2023 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 10415/17/23]

(छ) (एक) हासन मैंगलोर रेल विकास कंपनी लिमिटेड, बैंगलोर के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हासन मैंगलोर रेल विकास कंपनी लिमिटेड, बैंगलोर का वर्ष 2022-2023 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 10416/17/23]

(4) (एक) कोयला खान भविष्य निधि आयुक्त, धनबाद के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) कोयला खान भविष्य निधि आयुक्त, धनबाद के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण

की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 10417/17/23]

(5) (एक) एनआरटीयू फाउंडेशन, वडोदरा के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एनआरटीयू फाउंडेशन, वडोदरा के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 10418/17/23]

(6) (एक) रेलवे खेलकूद संवर्धन बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) रेलवे खेलकूद संवर्धन बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 10419/17/23]

(7) (एक) रेल भूमि विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) रेल भूमि विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 10420/17/23]

(8) (एक) रेल सूचना प्रणाली केंद्र, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) रेल सूचना प्रणाली केंद्र, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 10421/17/23]

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (साध्वी निरंजन ज्योति): माननीय अध्यक्ष जी, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं:-

(1) भारतीय खाद्य निगम, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(2) भारतीय खाद्य निगम, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 10422/17/23]

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती अनुप्रिया पटेल): माननीय अध्यक्ष जी, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं:-

(1) विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, 2005 की धारा 55 की उप-धारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) विशेष आर्थिक क्षेत्र (दूसरा संशोधन) नियम, 2023 जो 1 मई, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 334(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) विशेष आर्थिक क्षेत्र (तीसरा संशोधन) नियम, 2023 जो 5 जुलाई, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 481(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) विशेष आर्थिक क्षेत्र (चौथा संशोधन) नियम, 2023 जो 7 नवम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 824(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 10423/17/23]

(2) रबड़ अधिनियम, 1947 की धारा 25 की उप-धारा (3) के अंतर्गत रबड़ (संशोधन) नियम, 2023 जो 6 नवम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 819(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 10424/17/23]

(3) (एक) शेलाक एण्ड फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल (शेफेक्सिल) (पूर्ववर्ती शेलाक एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल), कोलकाता के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) शेलाक एण्ड फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल (शेफेक्सिल) (पूर्ववर्ती शेलाक एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल), कोलकाता के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) शेलाक एण्ड फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल (शेफेक्सिल) (पूर्ववर्ती शेलाक एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल), कोलकाता के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 10425/17/23]

(4) (एक) गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (जीईएम), नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (जीईएम), नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के

कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 10426/17/23]

(5) (एक) इंडियन डायमंड इंस्टिट्यूट, सूरत के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन डायमंड इंस्टिट्यूट, सूरत के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 10427/17/23]

(6) (एक) ईईपीसी इंडिया, कोलकाता के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) ईईपीसी इंडिया, कोलकाता के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 10428/17/23]

(7) (एक) सर्विसेज एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) सर्विसेज एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 10429/17/23]

(8) (एक) फार्मास्युटिकल्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल (फार्मेक्सिल), हैदराबाद के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) फार्मास्युटिकल्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल (फार्मेक्सिल), हैदराबाद के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 10430/17/23]

(9) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) पीईसी लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) पीईसी लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2022-2023 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 10431/17/23]

(10) (एक) प्लास्टिक्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल (प्लेक्सकॉन्सिल), मुंबई के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) प्लास्टिक्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल (प्लेक्सकॉन्सिल), मुंबई के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 10432/17/23]

(11) (एक) जेम एण्ड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, मुम्बई के वर्ष 2022-2023 के

वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) जेम एण्ड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, मुम्बई के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 10433/17/23]

(12) (एक) समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, कोच्चि के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, कोच्चि के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 10434/17/23]

(13) (एक) बेसिक केमिकल्स, कॉस्मेटिक्स एंड डाइज एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल (केमेक्सिल), मुम्बई के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) बेसिक केमिकल्स, कॉस्मेटिक्स एंड डाइज एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल (केमेक्सिल), मुम्बई के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 10435/17/23]

विधि और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री; संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): माननीय अध्यक्ष जी, श्री राजीव चन्द्रशेखर जी की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन, नई दिल्ली का वर्ष 2022-2023 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 10436/17/23]

(2) (एक) सेमी-कंडक्टर लेबोरेटरी, एस.ए.एस. नगर के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेमी-कंडक्टर लेबोरेटरी, एस.ए.एस. नगर के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 10437/17/23]

(3) (एक) राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 10438/17/23]

(4) (एक) भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लिकेशन्स एंड जियो-

इन्फॉर्मैटिक्स (बीआईएसएजी-एन), गांधीनगर के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लिकेशन्स एंड जियो-इन्फॉर्मैटिक्स (बीआईएसएजी-एन), गांधीनगर के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 10439/17/23]

[अनुवाद]

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूँ:-

(1) (एक) भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान, भदोही के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान, भदोही के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 10440/17/23]

(2) (एक) मैन-मेड टेक्सटाइल्स रिसर्च एसोसिएशन, सूरत के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदनएक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) मैन-मेड टेक्सटाइल्स रिसर्च एसोसिएशन, सूरत के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 10441/17/23]

(3) (एक) केन्द्रीय ऊन विकास बोर्ड, जोधपुर के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेज़ी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) केन्द्रीय ऊन विकास बोर्ड, जोधपुर के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 10442/17/23]

(4) (एक) सरदार वल्लभभाई पटेल इंटरनेशनल स्कूल ऑफ़ टेक्सटाइल्स एंड मैनेजमेंट, कोयम्बटूर के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सरदार वल्लभभाई पटेल इंटरनेशनल स्कूल ऑफ़ टेक्सटाइल्स एंड मैनेजमेंट कोयम्बटूर के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 10443/17/23]

(5) (एक) अहमदाबाद टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज रिसर्च एसोसिएशन, अहमदाबाद के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) अहमदाबाद टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज रिसर्च एसोसिएशन, अहमदाबाद के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 10444/17/23]

(6) (एक) इंडियन जूट इंडस्ट्रीज रिसर्च एसोसिएशन, कोलकाता के वर्ष 2022-2023 के

वार्षिक प्रतिवेदनकी एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन जूट इंडस्ट्रीज रिसर्च एसोसिएशन, कोलकाता के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण कीसरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 10445/17/23]

(7) (एक) बॉम्बे टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन, मुंबई के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) बॉम्बे टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन, मुंबई के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 10446/17/23]

(8) (एक) वूल रिसर्च एसोसिएशन, ठाणे के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी) तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) वूल रिसर्च एसोसिएशन, ठाणे के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 10447/17/23]

(9) (एक) साउथ इंडिया टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन, कोयम्बटूर के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) साउथ इंडिया टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन, कोयम्बटूर के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 10448/17/23]

(10) (एक) नॉदर्न इंडिया टेक्सटाइल्स रिसर्च एसोसिएशन, गाजियाबाद के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नॉदर्न इंडिया टेक्सटाइल्स रिसर्च एसोसिएशन, गाजियाबाद के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 10449/17/23]

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोम प्रकाश): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं: -

(1) विस्फोटक अधिनियम, 1884 की धारा 6 की उप-धारा (1) के अंतर्गत जारी अधिसूचना सं. का.आ. 4255 (अ) जो दिनांक 29 सितम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा पूरे देश में इलेक्ट्रिक डेटोनेटर के विनिर्माण, कब्जे और आयात को 1 अप्रैल 2025 से प्रतिषिद्ध किया गया है की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 10449क/17/23]

(2) भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 की धारा 16 के अंतर्गत जारी निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक प्रति (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) बॉटल्ड वाटर डिस्पेंसर्स (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2023 जो दिनांक 25 अक्तूबर, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ. 4647 (अ) में प्रकाशित हुआ था।

(दो) पुलिस बल, नागरिक सुरक्षा और व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए हेलमेट (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2023 जो दिनांक 25 अक्तूबर, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ. 4649 (अ) में प्रकाशित हुआ था।

(तीन) लीगल मेट्रोलॉजी - मैटेरियल मेजर्स ऑफ लेंग्थ (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2023 जो दिनांक 23 नवम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ. 5029 (अ) में प्रकाशित हुआ था।

(चार) स्टील वायर्स या स्ट्रैण्ड, नायलॉन या वायर रोप्स और वायर मेश (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2023 जो दिनांक 22 नवम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ. 5022 (अ) में प्रकाशित हुआ था।

(पांच) डोर फिटिंग (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2023 जो दिनांक 25 अक्तूबर, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ. 4646 (अ) में प्रकाशित हुआ था।

(छह) ड्रम और टिन (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2023 जो दिनांक 20 अक्तूबर, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ. 4596 (अ) में प्रकाशित हुआ था।

(सात) कॉपर उत्पाद (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2023 जो दिनांक 20 अक्तूबर, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ. 4595 (अ) में प्रकाशितहुआ था।

(आठ) प्रेसिजन रोलर और बुश चेन, अटैचमेंट और संबद्ध चेन स्प्रोकेट्स (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2023 जो दिनांक 27 सितम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ. 4242 (अ) में प्रकाशित हुआ था।

(नौ) मिसलेनियस स्टील प्रोडक्ट्स (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2023 जो दिनांक 27 सितम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ. 4240 (अ) में प्रकाशित हुआ था।

(दस) एल्युमीनियम एवं एल्युमीनियम एलॉय उत्पाद (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2023 जो दिनांक 27 सितम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ. 4241(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(ग्यारह) सेल्फ- कंटेंड ड्रिंकिंग वाटर कूलर (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2023 जो दिनांक 27 सितम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ. 4243(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(बारह) फ्लक्स कोर सोल्डर वायर (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2023 जो दिनांक 18 सितम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ. 4092 (अ) में प्रकाशित हुआ था।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 10450/17/23]

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री देवुसिंह चौहान): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ: -

(1) भारतीय डाकघर अधिनियम, 1898 की धारा 74 के अंतर्गत भारतीय डाकघर (पांचवां संशोधन) नियम, 2023 जो दिनांक 31 अक्तूबर, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का. नि. 809(अ) में प्रकाशित थे की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 10451/17/23]

(2) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उपधारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(क) (एक) टेलिकम्युनिकेशन्स कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) टेलिकम्युनिकेशन्स कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2022-2023 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 10452/17/23]

(ख) (एक) आई.टी.आई. लिमिटेड, बेंगलुरु के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) आई.टी.आई. लिमिटेड, बेंगलुरु का वर्ष 2022-2023 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 10453/17/23]

(ग) (एक) इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, नई दिल्ली का वर्ष 2022-2023 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक - महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 10454/17/23]

<u>अपराह्न 12.03 बजे</u>

राज्य सभा से संदेश

तथा

राज्य सभा द्वारा यथा पारित विधेयक*

[अनुवाद]

महासचिव: महोदय, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना देनी है:-

(1) "राज्य सभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों के नियम 127 के प्रावधानों के अनुसार, मुझे लोक सभा को यह सूचित करने का निर्देश दिया गया है कि राज्य सभा ने 11 दिसंबर, 2023 को हुई अपनी बैठक में जम्मू और कश्मीर आरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2023 में बिना किसी संशोधन के सहमति व्यक्त की, जिसे लोक सभा ने 6 दिसंबर, 2023 को अपनी बैठक में पारित किया था।"

(2) "राज्य सभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों के नियम 127 के प्रावधानों के अनुसार, मुझे लोक सभा को यह सूचित करने का निर्देश दिया गया है कि राज्य सभा ने 11 दिसंबर, 2023 को हुई अपनी बैठक में जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2023 में बिना किसी संशोधन के सहमति व्यक्त की, जिसे लोक सभा ने 6 दिसंबर, 2023 को अपनी बैठक में पारित किया था।"

(3) "राज्य सभा के प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों के नियम 111 के प्रावधानों के अनुसार, मुझे मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, सेवा शर्तें और पदावधि) विधेयक, 2023 की एक प्रति संलग्न करने का निर्देश दिया गया है, जिसे राज्य सभा ने 12 दिसंबर, 2023 को हुई अपनी बैठक में पारित किया है।"

---

* सभा पटल पर रखा गया।

महोदय, मैं राज्य सभा द्वारा 12 दिसम्बर, 2023 को यथा पारित मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, सेवा शर्तें और पदावधि) विधेयक, 2023 सभा पटल पर रखता हूँ।

अपराह्न 12.03½ बजे

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति

35वां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्रीमती लॉकेट चटर्जी (हुगली): महोदय, मैं उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग) से संबंधित "मोटे अनाज का उत्पादन और वितरण" विषय के बारे में उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति के 31वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में समिति (2023-2024) का 35वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करती हूँ।

<u>अपराह्न 12.03¾ बजे</u>

<u>शिक्षा, महिला, बाल, युवा और खेल संबंधी स्थायी समिति</u>

357वें से 359वां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री लावू श्रीकृष्णा देवरायालू (नरसाराओपेट): महोदय, मैं शिक्षा, महिला, बालक, युवा और खेल संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ:

(1) 'युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय की अनुदानों की मांगों 2023-24 के बारे में 351वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई संबंधी 357वां प्रतिवेदन।

(2) 'विज्ञान और संबंधित क्षेत्रों में अनुसंधान आधारित शिक्षा एवं अनुसंधान परिदृश्य के बारे में 358वां प्रतिवेदन।

(3) 'महिला और बाल विकास मंत्रालय की अनुदानों की मांगों 2023-24 के बारे में 350वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई संबंधी 359वां प्रतिवेदन।

<u>अपराह्न 12.04 बजे</u>

(श्री राजेन्द्र अग्रवाल *पीठासीन* हुए)

मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

[अनुवाद]

(एक) (क) पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2020-2021) (मांग सं. 23) के बारे में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन संबंधी स्थायी समिति के 332वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति *

पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री किरेन रिजीजू): मैं पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2020-2021) (मांग संख्या 23) पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन संबंधी स्थायी समिति की 332वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के संबंध में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूँ।

(ख) पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2021-2022) (मांग सं. 23) के बारे में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन संबंधी स्थायी समिति के 347वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति *

पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री किरेन रिजीजू): मैं पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2021-2022) (मांग संख्या 23) पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन संबंधी स्थायी समिति की 347वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के संबंध में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूँ।

---

* सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया, देखिए संख्या क्रमश: एल.टी 10316/17/23 और एल.टी 10317/17/23 ।

(ग) पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2022-2023) (मांग सं. 24) के बारे में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन संबंधी स्थायी समिति के 364वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति *

पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री किरेन रिजीजू): मैं पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2022-2023) (मांग संख्या 24) पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन संबंधी स्थायी समिति की 364वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के संबंध में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूँ।

(घ) पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2022-2023) के बारे में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन संबंधी स्थायी समिति के 364वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई के बारे में समिति के 372वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति *

पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री किरेन रिजीजू): मैं पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय से संबंधित अनुदान की मांगों (2022-2023) के बारे में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन संबंधी स्थायी समिति के 364वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में समिति के 372वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के संबंध में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूँ।

---

* सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया, देखिए संख्या क्रमश: एल.टी 10318/17/23 और एल.टी 10319/17/23 ।

(ड़) पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2023-2024) (मांग सं. 24) के बारे में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन संबंधी स्थायी समिति के 379वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति *

पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री किरेन रिजीजू): मैं पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2023-2024) (मांग संख्या 24) पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन संबंधी स्थायी समिति की 379वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के संबंध में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूँ।

---

* सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया, देखिए संख्या एल.टी 10320/17/23 ।

<u>अपराह्न 12.05 बजे</u>

[अनुवाद]

(दो) अंतरिक्ष विभाग से संबंधित अनुदानों की मांगों (2023-2024) के बारे में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन संबंधी स्थायी समिति के 377वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के संबंध में समिति के 384वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति[3*] [4]

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री, प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री, तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह): माननीय सभापति महोदय, आपकी अनुमति से, मैं अंतरिक्ष विभाग से संबंधित अनुदानों की मांगों (2023-2024] के बारे में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन संबंधी स्थायी समिति के 377 वेंप्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में समिति के 384वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के संबंध में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूँ।

---

* सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया, देखिए संख्या एल.टी 10321/17/23 ।

अपराह्न 12.06 बजे

(तीन) इस्पात मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2023-24) के बारे में कोयला, खान और इस्पात संबंधी स्थायी समिति के 40वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति* 5□

[हिन्दी]

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (साध्वी निरंजन ज्योति): महोदय, श्री फग्गनसिंह कुलस्ते जी की ओर से मैं इस्पात मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2023-24) के बारे में कोयला, खान और इस्पात संबंधी स्थायी समिति के 40वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य सभा पटल पर रखती हूं।

---

* सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया, देखिए संख्या एल.टी 10322/17/23 ।

।

<u>अपराह्न 12.06½ बजे</u>

(चार)(क) रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) से संबंधित 'रेल भूमि विकास प्राधिकरण का कार्यनिष्पादन' के बारे में रेल संबंधी स्थायी समिति के 16वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति*

[हिन्दी]

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री; कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दानवे रावसाहेब दादाराव): महोदय, मैं रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) से संबंधित 'रेल भूमि विकास प्राधिकरण का कार्यनिष्पादन' के बारे में रेल संबंधी स्थायी समिति के 16वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं।

(ख) कोयला मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2022-23) के बारे में कोयला, खान और इस्पात संबंधी स्थायी समिति के 30वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति *

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री; कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दानवे रावसाहेब दादाराव): महोदय, मैं कोयला मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2022-23) के बारे में कोयला, खान और इस्पात संबंधी स्थायी समिति के 30वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं।

(ग) कोयला मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2023-24) के बारे में कोयला, खान और इस्पात संबंधी स्थायी समिति के 38 वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति*

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री; कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दानवे रावसाहेब दादाराव): महोदय, मैं कोयला मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2023-24) के

---

* सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया, देखिए क्रमशः संख्या एल.टी. 10323/17/23, एल.टी. 10324/17/23 और एल.टी 10325/17/23।

बारे में कोयला, खान और इस्पात संबंधी स्थायी समिति के 38वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं।

अपराह्न 12.07 बजे

(पांच) दूरसंचार विभाग, संचार मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2023-2024) के बारे में संचार और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति के 43वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों / टिप्पणियों के कार्यान्वयन की स्थिति *

[अनुवाद]

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री देवुसिंह चौहान) : माननीय सभापति महोदय, माननीय लोक सभा सभापति महोदय के निदेश 73क के अनुसरण में मैं दूरसंचार विभाग, संचार मंत्रालय से संबंधित अनुदान की मांगों (2023-2024) के बारे में संचार और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति के 43वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य प्रस्तुत करता हूँ।

---

* सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया, देखिए संख्या एल.टी 10326/17/23 ।

अपराह्न 12.08 बजे

समितियों के लिए निर्वाचन

(एक) प्राक्कलन समिति

[हिन्दी]

डॉ. संजय जायसवाल (पश्चिम चम्पारण): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :-

"कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियम के नियम 311 के उप-नियम (1) के साथ पठित नियम 254 के उप-नियम (3) द्वारा अपेक्षित रीति से, कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर, जिन्होंने 6 दिसम्बर, 2023 से लोक सभा से त्यागपत्र दे दिया है, के स्थान पर प्राक्कलन समिति के शेष कार्यकाल के लिए समिति के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से एक सदस्य निर्वाचित करें।"

माननीय सभापति : प्रश्न यह है :-

"कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियम के नियम 311 के उप-नियम (1) के साथ पठित नियम 254 के उप-नियम (3) द्वारा अपेक्षित रीति से, कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर, जिन्होंने 6 दिसम्बर, 2023 से लोक सभा से त्यागपत्र दे दिया है, के स्थान पर प्राक्कलन समिति के शेष कार्यकाल के लिए समिति के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से एक सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 12.09 बजे

(दो) सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति

[हिन्दी]

श्री जनार्दन मिश्र (रीवा): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :-

"कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियम के नियम 312ख के उप-नियम (1) के साथ पठित नियम 254 के उप-नियम (3) द्वारा अपेक्षित रीति से, श्री उदय प्रताप सिंह, जिन्होंने 6 दिसम्बर, 2023 से लोक सभा से त्यागपत्र दे दिया है, के स्थान पर सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के शेष कार्यकाल के लिए समिति के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से एक सदस्य निर्वाचित करें।"

माननीय सभापति : प्रश्न यह है :-

"कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियम के नियम 312ख के उप-नियम (1) के साथ पठित नियम 254 के उप-नियम (3) द्वारा अपेक्षित रीति से, श्री उदय प्रताप सिंह, जिन्होंने 6 दिसम्बर, 2023 से लोक सभा से त्यागपत्र दे दिया है, के स्थान पर सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के शेष कार्यकाल के लिए समिति के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से एक सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 12.10 बजे

(तीन) अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति

[हिन्दी]

श्री राजेश वर्मा (सीतापुर): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:-

"कि सभा द्वारा 24.06.2019 को स्वीकृत प्रस्ताव में अंतर्विष्ट क्रम सं. 7 में अंतर्विष्ट है, की मद के पैरा (3) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य लोग सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियम के नियम 254 के उप-नियम (3) द्वारा अपेक्षित रीति से, श्री बालक नाथ जिन्होंने 7 दिसम्बर, 2023 से लोक सभा से त्यागपत्र दे दिया है, के स्थान पर अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति के शेष कार्यकाल के लिए समिति के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से एक सदस्य निर्वाचित करें।"

माननीय सभापति: प्रश्न यह:

"कि सभा द्वारा 24.06.2019 को स्वीकृत प्रस्ताव में अंतर्विष्ट क्रम सं. 7 में अंतर्विष्ट है, की मद के पैरा (3) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य लोग सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियम के नियम 254 के उप-नियम (3) द्वारा अपेक्षित रीति से, श्री बालक नाथ जिन्होंने 7 दिसम्बर, 2023 से लोक सभा से त्यागपत्र दे दिया है, के स्थान पर अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति के शेष कार्यकाल के लिए समिति के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से एक सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

<u>अपराह्न 12.11 बजे</u>

कार्य मंत्रणा समिति के 46वें और 47वें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव

[हिन्दी]

संसदीय कार्य मंत्री; कोयला मंत्री तथा खान मंत्री (श्री प्रहलाद जोशी): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि यह सभा 12 दिसम्बर, 2023 को सभा को प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के 46वें प्रतिवेदन से सहमत है।"

माननीय सभापति: प्रश्न यह है :

"कि यह सभा 12 दिसम्बर, 2023 को सभा को प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के 46वें प्रतिवेदन से सहमत है।"

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।</u>

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्री, कोयला मंत्री तथा खान मंत्री (श्री प्रह्लाद जोशी): महोदय, मैं निम्नलिखित प्रस्ताव करता हूं:-

"कि यह सभा 12 दिसम्बर, 2023 को सभा को प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के 47वें प्रतिवेदन से सहमत है।"

[हिन्दी]

माननीय सभापति: प्रश्न यह है :

"कि यह सभा 12 दिसम्बर, 2023 को सभा को प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के 47वें प्रतिवेदन से सहमत है।"

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।</u>

[हिन्दी]

माननीय सभापति: आइटम नम्बर- 26, श्रीमती निर्मला सीतारमण जी।

<u>अपराह्न 12.13 बजे</u>

सरकारी विधेयक - पुरःस्थापित

(एक) केंद्रीय माल और सेवा कर (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2023*

[अनुवाद]

वित्त मंत्री और कॉरपोरेट कार्य मंत्री (श्रीमती निर्मला सीतारमण): महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूँ कि केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

माननीय सभापति: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

> "कि केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

प्रो. सौगत राय (दम दम): महोदय, नियम 71 के अन्तर्गत, मैं केंद्रीय माल और सेवा कर (दूसरा संशोधन) विधेयक को पुरःस्थापित किए जाने का विरोध करता हूँ। यह सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण, राज्य मूल्य वर्धित कर न्यायाधिकरण आदि में न्यायाधिकरण के न्यायाधीशों की आयु बढ़ाने के संबंध में है। एक न्यायाधिकरण में आयु 67 वर्ष से बढ़ाकर 70 वर्ष की जा रही है। ऐसा कोई कारण नहीं है कि इसे बढ़ाया जाना चाहिए। दूसरे न्यायाधिकरण में सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष से बढ़ाकर 67 वर्ष करने की मांग की गई है। यह बिल्कुल अनावश्यक है। हो सकता है कि जिन्हें नियुक्तियां मिल रही हैं, ऐसे कुछ लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए इन्हें प्रभावी किया गया हो। इसी को

---

* भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खण्ड-2 दिनांक 13.12.2023 में प्रकाशित ।

'तुच्छ विधान' कहते हैं। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। … (*व्यवधान*) इसलिए, मंत्री जी को इस तरह के तुच्छ विधान लाने के बजाय मुद्रास्फीति के मामले पर गौर करना चाहिए। नवंबर में खाद्य पदार्थों के मूल्य बढ़कर 3.5 प्रतिशत हो गए है। … (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

माननीय सभापति: प्रश्न यह है :

> "कि केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।</u>

माननीय सभापति: चर्चा में जवाब हो जाएगा। इसे माननीय मंत्री जी पर छोड़ दिया जाए।

माननीय मंत्री जी, आप विधेयक को पुर:स्थापित कीजिए।

[अनुवाद]

श्रीमती निर्मला सीतारमण: महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित ** करती हूँ।

** राष्ट्रपति की सिफारिश से पुर:स्थापित ।

[हिन्दी]

माननीय सभापति: आइटम नम्बर- 27, श्रीमती निर्मला सीतारमण जी।

<u>अपराह्न 12.14 बजे</u>

(दो) अनंतिम कर संग्रहण विधेयक, 2023*

[अनुवाद]

श्रीमती निर्मला सीतारमण: महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूँ कि सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क लगाने या उनमें वृद्धि करने से संबंधित विधेयकों में उपबंधों की सीमित अवधि के लिए तत्काल प्रभाव हेतु उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

माननीय सभापति: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

> "कि सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क लगाने या उनमें वृद्धि करने से संबंधित विधेयकों में उपबंधों की सीमित अवधि के लिए तत्काल प्रभाव हेतु उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): महोदय, नियम 72 (1) के तहत, मैं इस आधार पर अनंतिम कर संग्रहण विधेयक, 2023 को पुरःस्थापित करने का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूँ कि यह विधेयक संविधान के अनुच्छेद 265 के उपबंधों का स्पष्ट रूप से उल्लंघन करता है।

महोदया, आपकी सुविधा के लिए, अनुच्छेद 265 प्रावधान करता है कि कानून के प्राधिकार के अतिरिक्त कोई कर ना तो लगाया जाएगा अथवा ना ही एकत्र किया जाएगा। वर्तमान संविधान के अन्तर्गत कर एकत्र करने की अंतरिम व्यवस्था तब तक नहीं की जा सकती जब तक कि अनुच्छेद 265 में यह उपयुक्त संशोधन नहीं किया जाता। तथ्य यह है कि करों का अनंतिम कर संग्रहण अधिनियम, 1931 तब अधिनियमित किया गया था जब भारत सरकार अधिनियम, 1919 में ऐसा कोई उपबंध नहीं था।

---

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खण्ड-2 दिनांक 13.12.2023 में प्रकाशित।

महोदय, मैं सरकार से अनुरोध करूँगा कि कम-से-कम विधेयक को पुरःस्थापित करने पर पुनर्विचार करें क्योंकि यह प्रतिष्ठापित अनुच्छेद 265 का स्पष्ट रूप से उल्लंघन करता है, तथा वे विपक्ष की आवाज़ को दबाने का करने का प्रयास न करें। विधेयक को पुरःस्थापित करते समय सरकार विपक्ष की आवाज़ को दबाना चाहती है। प्रत्येक मुद्दे पर, हमारी बात को ठीक से सुना भी नहीं जाता है।

[हिन्दी]

श्रीमती निर्मला सीतारमण : महोदय, मैं आपकी अनुमति से जवाब देना चाहती हूं।

[अनुवाद]

महोदय, सबसे पहले, किसी की भी आवाज़ को दबाने का कोई प्रयास नहीं किया गया है, और निश्चित रूप से श्री अधीर रंजन चौधरी जी की आवाज़ को तो बिलकुल भी नहीं।

महोदय, इस विधेयक में जो प्रावधान हैं, वह बिल्कुल वही हैं जो पहले अनंतिम कर संग्रहण अधिनियम, 1931 में मौजूद थे। 1931 का संदर्भ इसी 1931 के अधिनियम के मौजूदा प्रावधानों को शामिल करता है। इसमें कोई नयापन नहीं है। सामान्य रूप से, मुझे विश्वास है कि माननीय सदस्य इस बात से भली भांति अवगत हैं कि यह विधेयक क्यों अस्तित्व में है और इसे कभी-कभी क्यों लागू किया जाता है। मैं सिर्फ उसके बारे में विस्तार से बताऊँगी, और यह कहना सही नहीं है कि सदस्यगण इसे समझ नहीं सकते, लेकिन इसके सामान्य समझ के लिए - मैं सिर्फ एक बहुत ही सामान्य उदाहरण दे रही हूँ - मान लीजिए अगर हम वित्त विधेयक में किसी प्रकार का कर प्रस्ताव लाते हैं और वह सदन में घोषित हो जाता है, तो जाहिर है यह सदन में और सभी मान्यवर सदस्यो को सूचित किया जाता है, लेकिन वित्तीय वर्ष, जिस दिन से वित्त विधेयक पारित होता है और अन्य सभी प्रावधान लागू होते हैं, 1 अप्रैल से शुरू होता है। यदि सीमा शुल्क या किसी अन्य कर से संबंधित महत्वपूर्ण घोषणाएं की जाती हैं, तो यह विधेयक इस सदन द्वारा पारित होने से पहले ही लागू हो जाती हैं। इससे बहुत सारी अटकलें लग सकती हैं, जिसे इस विशेष अधिनियम को लागू करके हम 'अस्थायी रूप से' – यही शब्द है यहाँ – इसका समाधान कर सकते हैं, जब तक यह विधेयक पारित नहीं हो जाता। इसके पारित हो जाने के बाद, यह

नियमित हो जाता है। लेकिन अगर यह पारित नहीं होता है, लेकिन अगर यह पारित नहीं होता, तो जाहिर है हम वापस जाकर कहेंगे 'नहीं'। तो, यह सिर्फ यह सुनिश्चित करने के लिए है कि कोई अटकलें न लगें, क्योंकि यह वित्त विधेयक का हिस्सा बन चुका है, जो बजट प्रस्तावित होने पर घोषित होता है। यह 1931 के उस अधिनियम से ही अस्तित्व में है। मैं कुछ नया नहीं ला रही हूं। यह वही पुरानी बात है।

[हिन्दी]

माननीय सभापति : प्रश्न यह है :

> "कि सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क लगाने या उनमें वृद्धि करने से संबंधित विधेयकों में उपबंधों की सीमित अवधि के लिए तत्काल प्रभाव हेतु उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।</u>

माननीय सभापति : माननीय मंत्री जी, अब आप विधेयक को पुरःस्थापित करें।

[अनुवाद]

श्रीमती निर्मला सीतारमण: महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित ** करती हूँ।

** राष्ट्रपति की सिफारिश से पुर: स्थापित ।

[हिन्दी]

माननीय सभापति : अब शून्य काल।

… (व्यवधान)

श्री राजीव प्रताप रूडी (सारण) : महोदय, एक व्यवस्था से संबंधित प्रश्न है।

माननीय सभापति : जीरो ऑवर चलने दीजिए।

श्री राजीव प्रताप रूडी : महोदय, जीरो ऑवर में आपका नाम नंबर वन पर है, लेकिन आप ही आसन पर बैठे हुए हैं, तो कैसे होगा?

माननीय सभापति : कोई बात नहीं, उसको बाद में करेंगे। मैं यहां से तो नहीं बोल सकता हूं।

....(व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय सभापति: इसकी अनुमति नहीं है।

....(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राजीव प्रताप रूडी : महोदय, आपका नाम बैलेट में नंबर वन पर है और आप ही आसन पर बैठे हुए हैं।…(व्यवधान)

माननीय सभापति : मुझे बाद में अवसर मिल जाएगा।

श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले जी।

… (व्यवधान)

श्री रितेश पाण्डेय (अम्बेडकर नगर) : महोदय, मेरा प्वाइंट ऑफ आर्डर है।…(व्यवधान)

माननीय सभापति : आप बैठ जाइए।

श्री गौरव गोगोई (कलियाबोर) : आप देश की अवस्था पर अपनी बात रख सकते हैं।…(व्यवधान)

श्री रितेश पाण्डेय : महोदय, मुझे प्वाइंट ऑफ आर्डर उठाने का मौका दिया जाए।

माननीय सभापति : क्या प्वाइंट ऑफ ऑर्डर है?

श्री रितेश पाण्डेय : महोदय, अभी-अभी प्रश्न काल में माननीय मंत्री जी ने कुछ मेंबर्स के ऊपर ये लांछन लगाया है…(व्यवधान)

माननीय सभापति : नहीं-नहीं।

… (व्यवधान)

श्री रितेश पाण्डेय : महोदय, आप उसको चेक करवाकर हटवाइए।…(व्यवधान) कुछ पूर्व राज्य सभा मेंबर्स के भी नाम लिए गए हैं।…(व्यवधान) उसको चेक करवाकर हटवाइए।…(व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय सभापति: कार्यवाही-वृत्तान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

….(व्यवधान) … *

[हिन्दी]

माननीय सभापति : श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले जी।

[अनुवाद]

श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले (बारामती): महोदय, मैं माननीय रेल मंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि कोविड-19 के दौरान, [हिन्दी] जो ये सीनियर सिटिजन्स या ज्येष्ठ नागरिक हैं उनको जो छूट दी जाती थी उनको रेलवे में कन्सेशन मिलता था, वह कोविड के कारण बंद कर दिया गया था। इस देश के जो ज्येष्ठ

---

* कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

नागरिक हैं, ट्रेन का टिकट बुक करते समय महिलाओं को 50 प्रतिशत छूट दी जाती थी और पुरुषों को 40 प्रतिशत छूट दी जाती थी।

उस समय कहा था कि जब कोविड खत्म हो जाएगा, रेलवे ठीक हो जाएगा तो फिर से वह कंसेशन शुरू करेंगे, लेकिन सीनियर सिटीजन्स का रेल का कंसेशन अभी भी बंद है। आप एक तरफ बुलेट ट्रेन्स और पता नहीं कौन-कौन सी नई ट्रेन्स चलवा रहे हैं, अगर उनके पास इतना पैसा है तो ज्येष्ठ नागरिकों का जो हक है, जिनके कारण हम सब यहां खड़े हैं, उनकी मेहनत से यह देश 25-30 साल चला है, उनका जो ट्रेन का कंसेशन है, वह सीनियर सिटीजन्स को फिर से शुरू किया जाए।

श्री अनुराग शर्मा (झांसी) : सभापति महोदय, धन्यवाद। माननीय प्रधान मंत्री जी ने कोविड से अभी तक हम सभी को मुफ्त राशन देने का प्रावधान किया था और मोदी जी की गारंटी है कि अगले पांच साल भी विशेष रूप से इसको बढ़ाया जाए। सरकार से मेरा एक ही निवेदन था कि मैं अत्यंत ही आर्थिक रूप से पिछड़े इलाके बुंदेलखंड से आता हूं और विशेष रूप से झांसी और ललितपुर से आता हूं। हमारे यहां तकरीबन 79 परसेंट प्रतिशत जनसंख्या को यह राशन दिया जा रहा है।

मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि इसको 85 परसेंट कर दिया जाए और विशेष रूप से ऐस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में कर दिया जाए। अगर इसको मेरे ऐस्पिरेशनल ब्लॉक्स में बढ़ा दिया जाएगा तो हमारे यहां सौ प्रतिशत लाभ होगा। आदरणीय प्रधान मंत्री जी चाहते हैं कि मोदी की गारंटी और मोदी जी का यह राशन हर जगह वितरित हो जाए। अगर विशेष रूप से देखा जाए तो बड़ागांव, चिरगांव, बबीना, गुरसराय, मऊरानीपुर, बंगरा, बार, तालबेहट, जखौरा, महरौली मड़ावरा जैसे क्षेत्रों में अगर यह 4 से 5 प्रतिशत बढ़ा दिया जाएगा तो मेरे यहां प्रधान मंत्री जी की मंशा से सभी लोगों को लाभ प्राप्त हो सकेगा। मेरा आपके माध्यम से यही आग्रह था।

सभापति महोदय, दूसरा आग्रह यह था कि हमारे कुछ क्षेत्रों में, जहां पर चावल कम खाया जाता है, अगर उसकी जगह श्री अन्न दे दिया जाए तो लोगों को पोषण में बहुत फायदा होगा।

श्री राजीव प्रताप रूडी : सर, आपका भी समय अब हमें मिल गया। मैं एक ऐसे विषय को उठा रहा हूं, जिससे पूरा सदन जुड़ेगा। बिहार की आबादी 14 करोड़ है। मैं बिहार की चिंता हमेशा इस सदन में पेश करता हूं। क्या बिहार में होनहार बच्चे नहीं हैं? क्या बिहार में कामयाब बच्चे नहीं हैं? क्या बिहार में देश के शानदार बच्चे नहीं हैं? पिछले 75 वर्ष में बिहार में एक भी ऐसा स्टेडियम नहीं बना है, जिसमें बच्चे खेल सकें। आज बिहार के बच्चे टेलीविज़न और आई फोन पर आईपीएल देखते हैं, वर्ल्ड कप देखते हैं। मेरा एक बड़ा सवाल है कि आखिर बिहार में ऐसा क्यों है कि 75 साल में हम राजनेताओं ने 14 करोड़ की आबादी, जो देश की दूसरी सबसे बड़ी आबादी है, उस आबादी को पिछले 75 वर्षों में भी एक स्टेडियम नहीं दिया?

सभापति महोदय, मैं इस विषय को थोड़ा और आगे बढ़ाना चाहता हूं। अभी हाल फिलहाल नरेन्द्र मोदी स्टेडियम में वर्ल्ड कप हुआ। स्टेडियम में 1 लाख 32 हजार लोगों ने बैठकर देखा और करोड़ों लोगों ने पूरे भारत में देखा। कोलकाता का ईडन गार्डन है, वहां पर 75 हजार लोग बैठकर देख सकते हैं। रायपुर का इंटरनेशल स्टेडियम है, वहां 65 हजार लोग बैठकर देख सकते हैं। हैदराबाद का इंटरनेशनल स्टेडियम है, वहां उस राज्य के लोग बैठकर देख सकते हैं। केरल की आबादी 3.5 करोड़ है, वहां अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम है। गोवा की आबादी 16 लाख है, वहां की आबादी पर अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम है, लेकिन बिहार के हम राजनेताओं ने 75 साल में एक भी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम नहीं दिया। छोड़ दीजिए कि आज बिहार में एक भी फाइव स्टार होटल नहीं है, छोड़ दीजिए कि बिहार में एक भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं है।

महोदय, मैं बिहार की दुर्दशा के बारे में सदन में इसलिए चर्चा करता हूं कि हम रोजगार नहीं दे सकते हैं, लेकिन बिहार के प्यारे बच्चों को कम से कम अपने राज्य में क्रिकेट खेलने का मौका तो दे सकते हैं। हमारे राज्य की एक और स्थिति है। मैं खेल से ही जुड़ी हुई बात बताना चाहूंगा। अभी वर्ल्ड कप हुआ। गुजरात में इतना खूबसूरत वर्ल्ड कप हुआ कि पूरा स्टेडियम भरा हुआ था। एक वर्ल्ड कप से एक राज्य को 22 हजार करोड़ रुपये और देश को 30 से 40 हजार करोड़ रुपये की आमदनी होती है। क्या बिहार के हम नेताओं को पिछले 75 वर्ष में इतना भी नहीं दिखा कि हम बिहार की आमदनी कैसे बढ़ा

सकेंगे? … (व्यवधान) आज की तारीख में हम लोग अहमदाबाद में या कहीं भी जाते हैं, जहां आईपीएल होता है।

होटलों का किराया 40000-50000 होता है, हवाई जहाज का किराया 40000-50000 होता है और इससे आमदनी बढ़ती है। मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि आज प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में खेलो इंडिया के तहत पूरा भारत विकसित हो रहा है। आईपीएल में बिहार का लड़का ईशान किशन झारखण्ड की तरफ से वर्ल्ड कप में खेलता है, आईपीएल में खेलता है। मुकेश कुमार आईपीएल में खेलता है और अभी साउथ अफ्रीका में खेल के आया है। वह बिहार का है और पश्चिम बंगाल से खेलता है। महोदय, अब सिर्फ एक ही भरोसा है और उसी भरोसे पर हम लोग चल रहे हैं। बिहार के लोगों को एक ही भरोसा है और वह भरोसा नरेन्द्र मोदी जी का है। 75 साल के इस कार्यकाल के परिवर्तन का भरोसा है।

श्री राजेश वर्मा (सीतापुर): सभापति महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे जीरो ऑवर में बोलने का समय दिया।

महोदय, मैं अपने संसदीय क्षेत्र की रेलवे से संबंधित एक समस्या उठाना चाहता हूं। मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि कोरोना काल के दौरान और उसके पहले हमारे यहां सीतापुर से लखनऊ तक डेली पैसेंजर ट्रेन चलती थी और अप-डाउन करती थी। कोरोना काल के बाद वह ट्रेन बंद हो गयी है। इस संबंध में मैंने रेल मंत्री जी से पैसेंजर ट्रेन चलाने के लिए कई बार अनुरोध किया और पत्र भी दिया। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि हम जल्दी ही सीतापुर तक वंदे भारत ट्रेन ले जाएंगे। मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि आपके दिए गए आश्वासन के बाद भी अभी तक मेरी मांग की पूर्ति नहीं हो पायी है। मैं आपके माध्यम से रेल मंत्री जी से मांग करता हूं कि कानपुर से लखनऊ होते हुए, हमारी कई वंदे भारत ट्रेन्स चलती हैं। एक वंदे भारत ट्रेन कानपुर से लखनऊ, लखनऊ से सीतापुर और सीतापुर से शाहजहांपुर तक जाए और प्रतिदिन वह वापसी करे, ऐसी मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं। धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्री कुरूवा गोरांतला माधव (हिंदुपुर): सभापति महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं चीन के साथ बढ़ते व्यापारिक असंतुलन के मुद्दे पर बात करना चाहूँगा।

चीन के साथ व्यापार-घाटा 100 बिलियन डॉलर के आंकड़े को पार कर गया है, जो कि एक चिंताजनक विषय है। इस व्यापारिक असंतुलन के साथ दो प्रमुख समस्याएं हैं। सबसे पहले, इसके बड़े परिमाण का अर्थ है कि हमारी अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव डालने की इसमें बहुत ताकत है। हमें इस प्रकार इतना कमज़ोर नहीं होना चाहिए क्योंकि यह हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित कर सके। दूसरी बात, बढ़ाते व्यापार-घाटे का एक सुसंगत स्वरूप है। वर्ष 2021 में व्यापार-घाटा 69 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, और यह केवल दो वर्षों के समय के भीतर ही काफी बढ़ गया है। ऐसा होने का एक बड़ा कारण यह है कि कम प्रति-यूनिट मूल्य के माल की बहुत कम वस्तुएं ही चीन को निर्यात की जा रही है। मैं सरकार से उच्च प्रति यूनिट माल के निर्यात के लिए चैनल सुनिश्चित करने का आग्रह करता हूँ।

भेषज बहुत महत्वपूर्ण हैं और उनकी व्यवहार्यता को जिला विशिष्ट विकास द्वारा सहायता भी प्रदान की गई है, उदाहरण के लिए, विशाखापट्नम और पूर्वी गोदावरी में। भेषज उनके कुछ शीर्ष निर्यातों में से एक है। इसके अलावा, यदि केवल निर्यात के उद्देश्यों से तंबाकू क्षेत्र में निवेश की अनुमति दे दी जाती है, तों इसमें कुछ भी गलत नहीं है क्योंकि यह गुंटूर और संबद्ध क्षेत्रों जैसे तंबाकू किसानों की आय बढ़ाने में भी मदद करेगा। इस प्रकार के निर्यात को बढ़ावा देने से देश और विशिष्ट जिलों को भी मदद मिल सकती है।

धन्यवाद, महोदय।

[हिन्दी]

श्री प्रदीप कुमार सिंह (अररिया): सभापति महोदय, आपने मुझे मौका दिया, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी की गारंटी के इस कालखंड में लोकतंत्र का यह नया मंदिर नए भारत निर्माण में अहम भूमिका निभाएगा। आज जिस विषय के संबंध में मैं अपनी बात रखूंगा, वह अतिगंभीर व विचारणीय है।

सभापति महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र के फारबिसगंज से नरपतगंज होते हुए सहरसा तथा दरभंगा के बीच के रेलखंड पर हो रहा अमान परिवर्तन कार्य पूर्ण हो चुका है। दोनों रेलखंड फारबिसगंज से ट्रेनों के परिचालन के लिए पूरी तरह तैयार हैं। फारबिसगंज से इनकी कनेक्टिविटी भी कर दी गई है। 11 जनवरी, 2023 को मुख्य सुरक्षा आयुक्त द्वारा निरीक्षण करके अनापत्ति प्रमाण पत्र भी दे दिया गया है एवं पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के कटिहार एवं पूर्व मध्य रेलवे के समस्तीपुर मंडल द्वारा कहा गया है की ट्रेन परिचालन को लेकर हम लोगों के यहां से कोई भी तकनीकी समस्या नहीं है।

आज से 6 महीने पहले पूर्व मध्य रेलवे द्वारा जोगबनी से फारबिसगंज होकर दानापुर एवं सहरसा के लिए 2 जोड़ी एक्सप्रेस ट्रेनों तथा दरभंगा एवं सहरसा से 2 जोड़ी ट्रेनों को फारबिसगंज तक विस्तारित करते हुए इसकी समय सारणी भी जारी कर दी गई है, बावजूद इसके इस रेलखंड पर यात्री ट्रेनों का परिचालन अब तक शुरू नहीं किया जाना काफी दुर्भाग्यपूर्ण है, जिसकी वजह से लोग सड़क मार्ग से यात्रा करने को मजबूर हैं तथा लोगों का आर्थिक शोषण भी होता है।

अतः आपके माध्यम से मैं माननीय रेल मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि इस रेलखंड पर घोषित ट्रेनों के परिचालन को जल्द से जल्द शुरू करें। साथ ही मैं लोकहित का ख़्याल रखते हुए एक नई एक्सप्रेस ट्रेन जोगबनी से पटना तथा अयोध्या एवं वाराणसी के लिए शुरू किए जाने का आग्रह करता हूँ।

श्री कौशलेन्द्र कुमार (नालंदा): सभापति महोदय, आंगनबाड़ी सेविका एवं सहायिका भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास के अन्तर्गत देश में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में कार्य करती हैं और राज्य सरकार इसकी देखरेख करती है।

केन्द्र सरकार की आंगनबाड़ी योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में गर्भवती महिलाओं एवं कुपोषित बच्चों के विकास हेतु कार्य करने के साथ-साथ आंगनबाड़ी स्कूल के संचालन का भी कार्य इनके तहत होता है। अत: इनका सामाजिक दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण कार्य है, किन्तु ये काफी कठिन परिस्थितियों में अपना कार्य करती हैं। उचित संसाधनों का आंगनबाड़ी केन्द्रों पर अभाव है। जितनी राशि की और सामग्री की जरूरत है, वह पूरी नहीं होती है। इसके अतिरिक्त आंगनबाड़ी केन्द्र टूटे-फूटे घरों से संचालित होते हैं।

इनके द्वारा कठिन परिस्थितियों में किए जा रहे कार्यों के दृष्टिकोण से इनका मानदेय काफी कम है। आज आसमान छूती मंहगाई के समय में आंगनबाड़ी सेविका का मानदेय कम से कम 15 हजार रुपये प्रतिमाह और सहायिका का मानदेय 10 हजार रुपये प्रतिमाह निर्धारित करने की नितान्त आवश्यकता है।

माननीय मुख्य मंत्री, श्री नीतीश कुमार जी ने उनकी पीड़ा को समझते हुए बिहार राज्य में आंगनबाड़ी सेविका का मानदेय 3,000 रुपये से बढ़ाकर 4,500 रुपये और आंगनबाड़ी सहायिका का 2250 रुपये से बढ़ाकर 3500 रूपये करने का काम किया है। इसका वित्तीय भार भी राज्य के ऊपर पड़ रहा है। बिहार के साथ-साथ देश में आंगनबाड़ी सहायिका एवं सेविका अपने स्तर से मानदेय बढ़ाने के लिए आंदोलन करती आ रही हैं।

ऐसी परिस्थिति में आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि आंगनबाड़ी सेविका एवं सहायिका का मानदेय क्रमशः 15 हजार रुपये एवं 10 हजार रुपये प्रतिमाह करने की इनकी उचित माँग को जल्द से जल्द लागू किया जाए।

[अनुवाद]

श्री मगुंटा श्रीनिवासुलू रेड्डी (ओंगोले): सभापति महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। सबसे पहले, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी और सड़क, परिवहन और राजमार्ग मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उनके मार्गदर्शन में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने मेरे संसदीय क्षेत्र में 3.60 किलोमीटर लंबी पट्टी, जो कि कालीकिवाया और सिंगरायकोंडा के बीच चिलकालूरिपेट से नेल्लोर खंड में राष्ट्रीय राजमार्ग-16 पर 1274 किलोमीटर से 1277.6 किलोमीटर तक है, को आपातकालीन लैंडिंग सुविधा के निर्माण के लिए चयनित किया है।

दिनांक 26.12.2019 को एन.एच.ए.आई. तथा ठेकेदार के द्वारा इस आपातकालीन लैंडिंग सुविधा के विकास के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए थे। दिनांक 20.12.2021 को प्रमुख सिविल कार्य पूर्ण किए गए।

28 जुलाई 2021 को एन.एच.ए.आई. तथा भारतीय वायु सेना की टीम द्वारा संयुक्त निरीक्षण किया गया था, और उन्होंने टिप्पणी की कि ई.एल.एफ. में कुछ छोटे-मोटे मोड़ और घुमाव को ठीक करने की आवश्यकता है। पी एनएचएआई-नेल्लोर के पीडी ने एनएचएआई, भारतीय वायु सेना, ठेकेदारों और सलाहकारों के प्रतिनिधियों द्वारा संयुक्त साइट दौरे के बाद छोटे मोड़ों और घुमावों को सीधा करने की संभावना का पता लगाया।

दिनांक 25.01.2023 को आर.ओ. विजयवाड़ा ने इन छोटे मोड़ों और टेढ़े-मेढ़े रास्तों के सुधार के लिए 20.60 करोड़ रुपये और भूमि अधिग्रहण के लिए लगभग 6 करोड़ रुपये की प्राक्कलन लागत के प्रस्ताव अनुमोदन हेतु एन.एच.ए.आई. के सक्षम प्राधिकारी को भेजे गए थे। यह अभी तक स्वीकृत नहीं हुआ है तथा पिछले ग्यारह महीनों से एन.एच.ए.आई. के समक्ष लंबित है। भले ही माननीय मंत्री जी ने एन.एच.ए.आई. के सदस्य को इस परियोजना को पूरा करने के लिए निर्देश दिए थे, फ़िर भी इसमें विलम्ब हो रहा है।

मैं माननीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री जी से अनुरोध करता हूँ कि प्राथमिकता के आधार पर इन अनुमानों को मंजूरी देने के लिए एन.एच.ए.आई. को निर्देश दें क्योंकि यह ई.एल.एफ. रणनीतिक तौर पर बहुत लाभकारी है। आपदा आंध्र प्रदेश में हाल ही में आए मीचौंग जैसे चक्रवात जैसी आपदा की सिथति में यह उपयोगी होगा। इस ई.एल.एफ. परियोजना को राष्ट्रीय हित में जल्द से जल्द पूरा किया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

डॉ. हिना विजयकुमार गावीत (नन्दुरबार): सभापति महोदय, आपने मुझे शून्य काल में बोलने का अवसर दिया है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूं। आज मैं सदन के समक्ष हमारे आदिवासी समाज की भावनाओं से संबंधित एक अत्यंत संवेदनशील मुद्दे की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहती हूं।

अमर बलिदानी खाज्या नाईक का जन्म मध्य प्रदेश के सेंधवा में हुआ था। वह भील समाज के राष्ट्रीय नायक की तरह भी जाने जाते हैं। वर्ष 1857 के संग्राम में उन्होंने भीलों की सेना बना कर अंग्रेजों से संघर्ष प्रारंभ किया और उन्हें जान-माल का भारी नुकसान पहुंचाया। वर्ष 1857 की क्रांति के समाप्त हो जाने के बाद भी खाज्या नाईक अंग्रेजों से लड़ते रहे। 3 अक्टूबर, 1860 को अंग्रेजों के इशारों पर सूर्य उपासना करते समय खाज्या नाईक की निर्मम हत्या कर दी गई थी। खाज्या नाईक के जीवन से संबंधित एक स्थान बाटवापाड़ा, जो मेरे लोक सभा क्षेत्र के धुले जिले के शिरपुर तालुका के अंतर्गत आता है। यह स्थान आदिवासी समाज के लिए एक तीर्थ स्थान जैसा है, क्योंकि खाज्या नाईक अपने संघर्ष के समय इसी तालुका में रूकते थे और यहीं से आगे प्रस्थान करते थे।

बाटवापाड़ा आदिवासी समाज के लिए एक तीर्थ स्थल जैसा है। यहां बहुत वर्षों से मांग हो रही है कि खाज्या नाईक के शौर्य और उनके योगदान को सम्मानित करने हेतु एक स्मारक बनाई जाए। वर्तमान में बाटवापाड़ा तक जाने के लिए कोई पक्की सड़क नहीं है, क्योंकि यह फॉरेस्ट एरिया के अंतर्गत आता है। यहां प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत वर्ष 2012 में बाटवापाड़ा से काकड़माल तक सड़क

बनाने की स्वीकृति ग्रामीण विकास विभाग द्वारा दी गई थी। इस सड़क के निर्माण के लिए 9.90 हेक्टेयर फॉरेस्ट एरिया के डायवर्जन की अनुमति भी डीसीएफ, धुले डिविजन द्वारा दी गई है। इस रोड के निर्माण के लिए फाइनल अप्रूवल का निवेदन भारत सरकार के वन मंत्रालय के समझ बहुत सालों से पेंडिंग है।

मेरा सरकार से विनम्र निवेदन है कि 2012 में अप्रूव्ड बाटवापाड़ा से काकड़माल तक की सड़क बनाने की स्वीकृति तत्काल दी जाए और खाज्या नाईक के स्मारक का निर्माण करने के लिए आवश्यक निर्देश दे।

माननीय सभापति : श्री भर्तृहरि महताब।

… (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : सर, यह कैसे हो गया। आपका नम्बर?…(व्यवधान)

श्री भर्तृहरि महताब (कटक): नम्बर में थोड़ा अदल-बदल हो गया है।…(व्यवधान)

माननीय सभापति : इनका कल का नम्बर है।

…(व्यवधान)

माननीय सभापति : कल यह शून्य काल में बोलने से वंचित रह गए थे।

…(व्यवधान)

माननीय सभापति : लाँग पेंडिंग है।

…(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : यह स्पेशल है।… (व्यवधान)

श्री भर्तृहरि महताब : यह स्पेशल नहीं है, यह कल से पेंडिंग है।

मैं ओड़िया में बोलना चाहता हूं। मैंने कल नोटिस दी थी।

[अनुवाद]

[*]**श्री भर्तृहरि महताब (कटक):** आदरणीय महोदय, मैं उड़िया में बात करना चाहता हूँ, इसके लिये मैंने कल सूचना दी थी।

झारखंड राज्य में उड़िया भाषा में शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान स्वतंत्रता से पहले से ही जारी हैं।

अनुच्छेद 350ख के अन्तर्गत हमारा संविधान हर राज्य में अपनी-अपनी मातृभाषा में भाषाई अल्पसंख्यक समूह के लिए शिक्षा की गारंटी देता है। नई शिक्षा नीति 2020 भी मातृभाषा में शिक्षा प्रदान करने को प्रोत्साहित करती है और इस पर ज़ोर देती है।

इसी तरह, ओडिशा सरकार प्राथमिक स्कूलों से लेकर हाईस्कूल स्तर तक तेलुगु, बांग्ला, हिन्दी माध्यम स्कूल चलाती है। झारखंड में भी अब तक 35 उड़िया भाषा के विद्यालय चल रहे हैं। लेकिन मुद्दा यह है कि इन विद्यालयों में रिक्त पदों पर उड़िया शिक्षकों की भर्ती नहीं की जाती है। उड़िया भाषा के शिक्षकों के सेवानिवृत्त होने पर रिक्त पड़े पदों को हिन्दी शिक्षकों द्वारा भरा जा रहा है।

इस मामले को स्थानीय लोगों द्वारा ओडिशा के माननीय मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक जी तथा झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन के संज्ञान में लाया गया और उनसे हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया गया था। ओडिशा के मुख्यमंत्री ने भी श्री सोरेन को पत्र लिखकर इस मुद्दे से अवगत कराया। लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई।

महोदय, मैं आपके माध्यम से केन्द्रीय सरकार से आग्रह करता हूँ कि इस मामले का संज्ञान लिया जाए। अनुच्छेद 350ख तथा नई शिक्षा नीति के अन्तर्गत भी यह एक संवैधानिक उपबंध है, फिर भी मामला अभी भी लंबित क्यों है? इस मामले में केंद्रीय सरकार का शीघ्र हस्तक्षेप आवश्यक है। केन्द्रीय सरकार को झारखंड सरकार के लिये इस मामले में आवश्यक कार्य करने के लिए और उड़िया माध्यम के

---

[*] मूलतः उड़िया में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

स्कूलों को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक कदम उठाने और रिक्त पदों पर उड़िया शिक्षकों की नियुक्ति करने के लिए निर्देश जारी करने चाहिए।

[हिन्दी]

श्री विनायक भाउराव राऊत (रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग): सभापति महोदय, इस वर्ष 4 दिसंबर को नेवी डे नौदल के माध्यम से, महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले में छत्रपति शिवाजी महाराज ने अरेबियन सी में जो किला बनाया था, उस किले के सामने नेवी डे मनाया गया। इस अवसर पर देश के प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी साहब आए थे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी आए थे और नेवी के सारे ऑफिसर्स आए थे। नेवी डे को बड़ी धूमधाम से मनाया गया और हमें भी बहुत खुशी हुई। इस नेवी डे के माध्यम से नौदल वहां आया तथा देश के प्रधान मंत्री और राजनाथ सिंह साहब वहां आएं। इसकी हमें बहुत खुशी हुई। इस अवसर पर महाराष्ट्र राज्य की तरफ से, महाराष्ट्र शासन के माध्यम से छत्रपति शिवाजी महाराज की एक प्रतिमा का अनावरण भी किया जा चुका है। जहां छत्रपति शिवाजी महाराज ने 400 वर्ष पहले समुद्र में किले का निर्माण किया था, वहीं राजकोट में महाराष्ट्र सरकार ने इस अवसर पर छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का निर्माण किया और आदरणीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी साहब, आदरणीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के हाथों से उसका अनावरण करवाया। यह बहुत गर्व की बात थी और गर्व की बात भी है। लेकिन दुर्भाग्य से, मैं शून्यकाल में कहना चाहता हूं कि छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे योद्धा का, जिन्होंने सबसे पहले आर्मर का निर्माण किया था। ऐसे छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का पंतप्रधान नरेन्द्र मोदी साहब और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के हाथों से अनावरण किया गया। शिवाजी महाराज की प्रतिमा के अनावरण के आठ दिन के बाद वहां जो बुर्ज तैयार किए थे, वे धंसने लगे। जो टाइल्स लगाई थीं, वे निकल पड़ीं। इस तरीके का घटिया काम, मेरे पास फोटो है, इस तरीके का घटिया काम महाराष्ट्र सरकार के माध्यम से करके छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान किया।

इसके साथ-साथ अपने देश के पंत प्रधान और अपने देश के रक्षा मंत्री का भी अवमान महाराष्ट्र सरकार ने किया है।

मैं आपके माध्यम से, रक्षा मंत्री जी से महाराष्ट्र सरकार को सूचित करने की विनती करता हूँ कि भविष्य में छत्रपति शिवाजी महाराज, देश के प्रधानमंत्री और देश के रक्षा मंत्री जी का अपमान करने जैसा घटिया काम नहीं होना चाहिए। इसके लिए इस तरफ ध्यान देना चाहिए।

जिस ठेकेदार ने ऐसा घटिया काम किया है, उस ठेकेदार के ऊपर कड़ी कार्रवाई करने की आवश्यकता है।

श्री अब्दुल खालेक (बारपेटा) : माननीय सभापति महोदय, दुनिया के 21 देशों में कम्पल्सरी वोटिंग की व्यवस्था है। हमारे देश भारत में भी कम्पल्सरी वोटिंग की चर्चा हो रही है। वोटिंग परसेंटेज को बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग और सरकार के साथ ही, सारी मशीनरी इसके लिए कोशिश कर रही है। लेकिन हमारे देश में वर्ष 1983 में, मैं असम राज्य से आता हूँ, वहाँ जब लोग वोट डालने गये थे, तब नेल्ली मैसेकर में कत्लेआम हुआ था। केवल नेल्ली में सरकारी परिसंख्या के अनुसार 2,191 कत्ल हुए थे। दूसरे स्थानों पर भी, जैसे गांवपुर में, दोरांग जिले के चाउनखुवा, वर्तमान बोगाईगांव जिले में भी कत्लेआम हुआ था। यह अफसोस की बात है, वर्ष 1985 में असम समझौता हुआ, असम में शांति हुई और असम आन्दोलन में जो लोग शहीद हुए थे, उनको शहीद का दर्जा मिला, लेकिन जो लोग लोकतंत्र बचाने के लिए वोट डालने गये थे, जो लोग संविधान को बचाने के लिए वोट डालने गये थे, उन लोगों को अभी तक इंसाफ नहीं मिला है।

इसके लिए तिवारी कमीशन बना था, लेकिन तिवारी कमीशन की रिपोर्ट कभी लाइट में नहीं आई, वह रिपोर्ट पब्लिश नहीं हुई। वर्तमान भारत सरकार के एक मंत्री ने इसी हाउस में नेल्ली मैसेकर का जिक्र भी किया था। इसलिए मैं होम मिनिस्टर और केन्द्र सरकार से गुज़ारिश करता हूँ कि जिन लोगों ने नेल्ली और दूसरे जगहों पर अपनी जान की कुर्बानी दी थी, वर्ष 1983 में जिन लोगों ने अपना बलिदान दिया था, उनको इंसाफ मिलना चाहिए, उनको शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। इसके साथ ही, एक नेल्ली मेमोरियल का निर्माण होना चाहिए।

श्री घनश्याम सिंह लोधी (रामपुर) : माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार को एक गंभीर विषय से अवगत कराना चाहता हूँ।

आज के समय में चायवाला, फलवाला, पानवाला यूपीआई से लेना-देना करता है। लेकिन आजकल यदि कोई दुकानदार यूपीआई से भुगतान स्वीकार कर लेता है तो बैंक उसके खाते को फ्रीज़ या लॉक कर देता है, जबकि सरकार द्वारा डिजिटल भुगतान के लिए प्रेरित किया जाता है। आज के समय में अधिकांश उपभोक्ता पे-टीएम, फोन-पे आदि से भुगतान करते हैं। यदि कोई व्यक्ति दुकान से कोई सामान खरीदता है या होटल से कुछ खाने के लिए खरीदता है, तो वह डिजिटल पेमेंट का उपयोग करके भुगतान करता है। दुर्भाग्यवश, जिस डिजिटल खाते से भुगतान किया जाता है, यदि वह ऑनलाइन धोखाधड़ी से जुड़ा होता है, तो इसके परिणामस्वरूप पुलिस के आदेश पर उस होटल या दुकान के बैंक खाते को बंद कर दिया जाता है। इसके साथ ही, यदि उस दुकानदार द्वारा अन्य लोगों को भी भुगतान किया गया हो, तो उन सभी खातों को फ्रीज कर दिया जाता है। ऐसी घटनाएं केवल एक या दो राज्यों तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि देश भर में हो रही हैं। आजकल पुलिस के निर्देशानुसार सैंकड़ों ग्राहकों के बचत खाते को बैंक्स फ्रीज कर रहे हैं। छोटे-छोटे दुकानदारों, बुज़ुर्गों और दिहाड़ी मजदूरों को बैंक खाते फ्रीज होने का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है।

हालांकि, कुछ मामलों में खातों को फ्रीज करने की आवश्यकता हो सकती है। यह बड़ा मुद्दा है कि पुलिस और बैंक्स मामले में पर्याप्त जांच के बिना, मामूली आधार पर लोगों को अपनी स्वयं की बैंक बचत तक पहुंचने से रोक रहे हैं।

सभापति महोदय, मेरा माननीय वित्त मंत्री महोदया से अनुरोध है कि इस प्रकार की साइबर धोखाधड़ी के केसों में यदि दुकानदार को उसके सामान को बेचने पर कोई भुगतान प्राप्त होता है, तो उसके फ्रीज्ड अकाउंट को तुरंत प्रभाव से खोल देने का प्रावधान होना चाहिए।

महोदय, पीड़ित दुकानदार के राज्य में ही नजदीकी संबद्ध साइबर क्राइम ब्रांच – 1 अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी कर दे, ताकि पीड़ित दुकानदार को अन्य राज्यों में भागना न पड़े।

धन्यवाद।

श्री रणजितसिंह नाईक निंबालकर (माधा) : माननीय सभापति महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि मुझे यहां बोलने का मौका दिया।

महोदय, मैं अपनी मातृभाषा मराठी में बात करना चाहता हूं। … (व्यवधान)

माननीय सभापति : जी, बोलिए।

… (व्यवधान)

[अनुवाद]

*__श्री रणजितसिंह नाईक निंबालकर:__ माननीय सभापति महोदय, मैं अपनी मातृभाषा मराठी में बात करना चाहूँगा। महोदय, मेरे राज्य महाराष्ट्र में मराठा और धनगर समुदाय के आरक्षण का मुद्दा बहुत गम्भीर हो गया है। महोदय, महाराष्ट्र की कुल आबादी का लगभग 33% मराठा हैं और जहां भी आवश्यकता होती है, मराठा देश की सेवा करते हैं। मराठों ने देव, देश और धर्म के लिए हमेशा संघर्ष किया है। लेकिन, अब मराठों की बहुत दुर्दशा है तथा उनकी स्थिति बहुत कमज़ोर, वे पहले 25 एकड़ भूमि के मालिक थे, लेकिन आज केवल मामूली 2.5 एकड़ के मालिक ही रह गए हैं। मराठा युवाओं को वित्तीय संकट का सामना करना पड़ रहा है और वे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा ग्रहण करने का खर्च उठा नहीं पा रहे हैं। ये परिवार घोर गरीबी में जीवन गुज़ार रहे हैं और मराठा समुदाय में किसानों की आत्महत्या के मामलों की संख्या बहुत अधिक है। उन्हें भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है और इसीलिए उन्हें ओ.बी.सी. कोटे के अन्तर्गत आरक्षण दिया जाना चाहिए। धनगर समुदाय भी इसी प्रकार की स्थिति का सामना कर रहा है। 'धनगर' और 'धनगड़' समुदाय के नामों के वर्तनी में समस्या है और महाराष्ट्र में 'धनगर' समुदाय से संबंधित कोई भी व्यक्ति नहीं है। महाराष्ट्र सरकार ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि यह शब्द 'धनगर' है न कि 'धनगड़'। महाराष्ट्र को छोड़कर अन्य राज्यों में धनगर समुदाय अनुसूचित जनजाति वर्ग के अन्तर्गत सभी आरक्षण लाभ प्राप्त कर रहा है, लेकिन महाराष्ट्र में वे अभी भी इससे वंचित हैं। इसलिए, मैं आपके

* मूलतः मराठी में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

तथा इस सभा के माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूँ कि इस मामले को प्राथमिकता देने के लिए तत्काल एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाएं। जय हिन्द। जय महाराष्ट्र ।

[हिन्दी]

डॉ. एस. टी. हसन (मुरादाबाद) : सर, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

सर, मेरा विषय हम सब सांसदों का विषय है। मैं आपसे बड़े अफसोस के साथ कहना चाहता हूं कि 17वीं लोक सभा में सांसदों के बहुत से प्रोटोकॉल और अधिकारों को खत्म कर दिया गया है।

सर, मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि सांसद निधि, जो हमारी पांच करोड़ रुपए है और विधायकों की भी पांच करोड़ रुपए है। हमारे पास पांच विधान सभा क्षेत्र हैं और विधायक के पास एक विधान सभा क्षेत्र है। 'सोना पर सुहागा' यह है कि हमारी दो सालों की निधि भी रोक दी गई, जबकि आदरणीय सीतारमण जी ने … (व्यवधान)

माननीय सभापति : वह तो राष्ट्रीय संकट था। राष्ट्रीय संकट के कारण उसे रोका गया था।

… (व्यवधान)

डॉ. एस. टी. हसन : सर, माननीय सीतारमण जी ने कहा था कि इसे पोस्टपोन कर रहे हैं। हम फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, फाइव ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ जा रहे हैं, फिर आखिर यह काम क्यों किया गया?

सर, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि एम्स के अंदर सांसदों के प्रोटोकॉल को कम कर दिया गया है। अगर सांसद एम्स में जाता है, तो उसको एक आम आदमी की तरह ही वहां ट्रीट किया जाएगा, जबकि पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। … (व्यवधान)

सर, हमने डिमांड की थी कि सेंट्रल स्कूल के अंदर हमें 25 एडमिशन्स की इजाजत दी जाए, ताकि हम गरीब बच्चों को वहां भेज सकें। इजाज़त तो क्या, हमारा वह अधिकार भी खत्म कर दिया गया।

महोदय, हम कभी-कभी मिलिट्री डिस्पोजल के व्हीकल ले लिया करते थे। वे सांसदों को दिए जाते थे। वह भी खत्म कर दिया गया।

महोदय, मेरी एक रिक्वेस्ट है कि सांसद से ज्यादा कोई नहीं जानता कि उसके क्षेत्र का कौन सा अधिकारी ईमानदार है, कौन सा अधिकारी भ्रष्ट है या कौन सा अधिकारी साम्प्रदायिक भावनाओं से काम करता है। जिस तरह से एक मेयर अपने सिटी कमिश्नर की सी.आर. लिखता है, उसकी सर्विस रिपोर्ट लिखता है, उसी तरह से सांसदों को भी यह अधिकार दिया जाए कि वे अपने क्षेत्र के अधिकारियों की सर्विस रिपोर्ट लिखें।

माननीय सभापति: जी-जी।

डॉ. एस. टी. हसन : सर, हमने देखा है कि अगर हम किसी बात की सिफारिश करते हैं तो हमें नियम बता दिए जाते हैं। महीने भर बाद वह आदमी हमारे पास आता है कि मैंने यह काम करा लिया। वह काम उसने किस तरह से करा लिया, यह हमें और आपको सभी को मालूम है।

माननीय सभापति : डॉ. साहब, ठीक है।

डॉ. एस. टी. हसन : सर, मुझे एक सेकेंड का समय दीजिए। ... *

माननीय सभापति: नो-नो।

डॉ. शशि थरूर जी।

---

* अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया गया।

[अनुवाद]

डॉ. शशि थरूर (तिरूवनन्तपुरम): बहुत-बहुत धन्यवाद, माननीय सभापति महोदय।

मैं माननीय रेल मंत्री जी का ध्यान मेरे निर्वाचन क्षेत्र के लोगों द्वारा त्रिवेंद्रम रेलवे डिवीजन द्वारा हाल ही में शुरू किए गए एकीकृत ब्लॉक सिग्नलिंग प्रणाली से संबंधित समस्याओं की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, प्लेटफार्मों की अनुपलब्धता और स्टेशन पर अत्यधिक भीड़ के कारण वर्तमान में त्रिवेंद्रम जाने वाली ट्रेनों को त्रिवेंद्रम सेंट्रल के आउटर में नियमित रूप से रोका जा रहा है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र के कई लोग मुझसे आकर कह रहे हैं कि इस समस्या के कारण ट्रेन प्लेटफार्म पर नहीं लगता और वे उतर नहीं पाते है और वे ट्रेनों में आधे घंटे या चालीस मिनट तक बैठे रहते हैं। दरअसल, हाल ही में शुरू की गई और अत्यधिक सफल वंदे भारत ट्रेनों के कारण यह समस्या और बढ़ गई है, क्योंकि इससे अन्य यात्री ट्रेनों के समय-सारणी पर भी असर पड़ता है।

इन रुकावटों के कारण होने वाली देरी यात्रियों के लिये अत्यधिक असुविधा का कारण बन रही है, विशेष रूप से वे लोग जो अपने कार्यस्थलों और आस-पास के राष्ट्रीय एवं सार्वजनिक महत्व के अन्य संस्थानों जैसे इसरो, क्षेत्रीय कैंसर केंद्र, विमानपत्तन, तकनीकी-पार्क, एच.एल.एल., श्री चित्रा तिरुनल चिकित्सा संस्थान तक पहुंचने के लिए इन रेलगाड़ियों में प्रतिदिन यात्रा करते हैं। यदि मौजूदा प्रणाली को इस तरह से संशोधित किया जाए कि इन रेलगाड़ियाँ को या तो त्रिवेंद्रम पेट्टा अथवा कोचुवेली स्टेशन पर ठहराव दिया जाता है, तो यात्री अपने गंतव्यों तक पहुँचने के लिए कहीं भी उतर सकते हैं और समय पर अपने कार्यस्थलों पर पहुँच सकते हैं, बजाय की बीच में बैठकर इंतजार करने के, वे इन स्टेशन पर उतर सकते हैं

इसके अन्य लाभ भी हो सकते हैं जैसे कि त्रिवेंद्रम सेंट्रल स्टेशन पर प्लेटफॉर्म तथा यातायात की भीड़भाड़ में कमी आएगी और उन्नत स्वचालित सिग्नलिंग को संभावित रूप से अपनाने सहित सिग्नलिंग प्रणाली में सुधार भी रेलगाड़ियों के सुचारू मार्ग को सुनिश्चित करने में मदद करेगा। नेमोम कोचिंग टर्मिनल

में लंबे समय से लम्बित, प्रतीक्षित और बहुत विलंबित विकास, जिसका माननीय मंत्री जी ने स्वयं वादा किया था, अभी तक शुरू नहीं हुआ है और यह निश्चित रूप से स्टेशन पर भीड़ को कम करने में मदद करेगा।

यह देखते हुए कि इस तरह के उपायों से केरल की राजधानी में बड़ी संख्या में यात्रियों को यात्रा करने में बहुत आसानी तथा सुविधा होगी, मैं अति आभारी रहूँगा यदि वे इस मुद्दे की तत्काल जाँच कर सकें और आने-जाने वाले लोगों के हित में अत्यावश्यक परिवर्तनों को लागू कर सकें।

धन्यवाद, सभापति महोदय।

*[*]***श्री गुरजीत सिंह औजला (अमृतसर):** महोदय, मुझे एक महत्वपूर्ण मामले पर बोलने का अवसर देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं आपका ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ कि किसान आंदोलन के दौरान केन्द्रीय सरकार ने 'एकीकृत किसान मोर्चे' के साथ एक लिखित समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। हालांकि, इस संबंध में अभी तक कुछ भी नहीं किया गया है। 9 दिसंबर, 2021 को सरकार द्वारा किसानों को एक लिखित आश्वासन दिया गया था कि उनकी मांगों को पूरा किया जाएगा। दिनांक 11 दिसंबर, 2021 को, किसानों ने अपना एक वर्ष से चल रहा आंदोलन समाप्त कर दिया था। उन्हें सरकार पर भरोसा जताया।

महोदय, मैंने तथा मेरे अन्य साथियों ने इन किसानों के समर्थन में एक साल तक जंतर-मंतर पर आंदोलन किया था। हमने भी 13 नवंबर को अपना विरोध समाप्त कर दिया था। लेकिन महोदय, एक वर्ष बीत चुका है और किसानों की इन मांगों के बारे में कुछ भी नहीं किया गया है। मैं सरकार से आग्रह करता हूँ कि स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप, सी2+50% सूत्र को लागू किया जाए। फसलों का क्रय मूल्य निर्धारित किया जाना चाहिए और सरकार द्वारा फसल खरीदने की गारंटी भी दी जानी चाहिए। खेतीबाड़ी की लागत बढ़ गई है। फसलों के लिए लाभकारी न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाना चाहिए। किसानों को 80% का नुकसान हो रहा है। उनका कर्ज़ माफ कर दिया जाना चाहिए। बिजली सुधार विधेयक को पारित नहीं किया जाना चाहिए था। लेकिन, किसानों से परामर्श नहीं किया गया है। लखीमपुर खीरी में किसानों को मार दिया गया था। संबंधित मंत्री को बर्खास्त कर जेल में डालना चाहिए। साथ ही, महोदय, बीमारियों और आपदाओं के कारण क्षतिग्रस्त फसलों का बीमा भी किया जाना चाहिए। छोटे तथा उपेक्षित किसानों (पुरुषों और महिलाओं सहित) को 10,000/- रुपये पेंशन दी जानी चाहिए।

महोदय, किसानों के खिलाफ दायर कि गई सभी एफ.आई.आर. को हटा दिया जाना चाहिए। यह आंदोलन आम लोगों के लिए था। आंदोलन के दौरान मारे गए किसान शहीद थे। इन शहीदों की स्मृति में एक स्मारक बनाने के लिए सिंघु बॉर्डर पर थोड़ा स्थान दिया जाना चाहिए। अटारी सीमा के रास्ते,

---

[*] मूलतः पंजाबी में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

पाकिस्तान के साथ व्यापार शुरू किया जाना चाहिए। जी20 में, रेशम मार्ग खोलने का उल्लेख किया गया था। इसे अटारी सीमा के माध्यम से खोला जाना चाहिए।

महोदय, अमृतसर में श्री गुरु रामदास जी अंतरराष्ट्रीय विमानपत्तन पर कार्गो सुविधा तैयार है। किसानों को अरब देशों और रूस तक अपनी उपज इस विमानपत्तन के कार्गो टर्मिनल के माध्यम से भेजनी चाहिए। मुझे उम्मीद है कि सरकार किसानों की मांगों को मानेगी।

अपराह्न 1.00 बजे

माननीय सभापति: जो सदस्य संबद्ध होना चाहते हैं, वे अपनी पर्ची भेजें। तभी आपको संबद्ध माना जाएगा।

[हिन्दी]

श्री खगेन मुर्मु (माल्दहा उत्तर): धन्यवाद, सभापति महोदय। अपने पत्र के क्रम में, जिसमें मैंने बार-बार उड़ान योजना के तहत हवाई अड्डे की स्थापना की मांग की थी, आपके माध्यम से मैं फिर से पश्चिम बंगाल के माल्दहा में हवाई अड्डे की स्थापना के लिए अनुरोध कर रहा हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरे संसदीय क्षेत्र में हवाई अड्डे की स्थापना सार्वजनिक हित के साथ-साथ झारखंड और ओडिशा जैसे राज्यों की सीमावर्ती क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए भी है।... (व्यवधान)

अपराह्न 1.01 बजे

इस समय दो घुसपैठिये दर्शक दीर्घा से कूदकर सभा में आ गए।

[अनुवाद]

उन सदस्यों की सूची, जिन्होंने अविलम्बनीय लोक महत्व के मामलों के तहत उठाए गए विषयों के साथ स्वयं को सम्बद्ध किया

सदस्य, जिनके द्वारा अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय उठाये गए	**सदस्य, जिन्होंने उठाए गए विषयों के साथ स्वयं को सम्बद्ध किया**
श्री राजेश वर्मा	श्री अशोक कुमार रावत श्री मलूक नागर
श्री राजीव प्रताप रूडी	श्री मलूक नागर श्री एस. सी. उदासी
श्री अनुराग शर्मा	श्री मलूक नागर श्री जगदम्बिका पाल श्री एस. सी. उदासी
श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले	श्री मलूक नागर श्री अरविंद सावंत श्री जगदम्बिका पाल
श्री कौशलेन्द्र कुमार	श्री जगदम्बिका पाल श्री गिरीश चन्द्र श्री मलूक नागर
डॉ. हिना विजयकुमार गावीत	श्री मलूक नागर
श्री मगुंटा श्रीनिवासुलू रेड्डी	श्री मलूक नागर
श्री विनायक भाऊराव राऊत	श्री अरविंद सावंत श्री मलूक नागर
श्री भर्तृहरि महताब	श्री महेश साहू श्रीमती मंजुलता मंडल श्री मलूक नागर

श्री घनश्याम सिंह लोधी	श्री मलूक नागर
डॉ. एस.टी. हसन	श्री गिरीश चन्द्र डॉ. डी.एन.वी. सेंथिलकुमार एस. श्री मलूक नागर
डॉ. शशि थरूर	डॉ. डी.एन.वी. सेंथिलकुमार एस.
श्री गुरजीत सिंह औजला	डॉ. डी.एन.वी. सेंथिलकुमार एस.

[हिन्दी]

माननीय सभापति : सभा की कार्यवाही दो बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

अपराह्न 1.01 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा अपराह्न दो बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.02 बजे

लोक सभा अपराह्न दो बजकर दो मिनट पर पुन: समवेत हुई।

(माननीय अध्यक्ष *पीठासीन हुए*)

अध्यक्ष द्वारा उद्घोषणा

दर्शक दीर्घा से दो घुसपैठियों के सदन में कूदने की घटना

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, जो घटना शून्य काल के समय घटित हुई थी, उस घटना की लोक सभा अपने स्तर पर सम्पूर्ण जांच कर रही है। इस संबंध में दिल्ली पुलिस को भी आवश्यक निर्देश दे दिए गए हैं, लेकिन हम सब की चिंता थी कि वह धुआँ क्या था, तो अभी तक जो प्रारंभिक जांच हुई है, उस प्रारंभिक जांच में वह धुआँ एक साधारण धुआँ था और सनसनी फैलाने वाला धुआँ था, इसलिए वह धुआँ कोई चिंता का विषय नहीं है। उसकी प्रारंभिक जांच ठीक से कर ली गयी है।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : बालू जी, हम सब वरिष्ठ सदस्य हैं।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : हम किसी को दोष नहीं दे रहे हैं। कोई किसी को दोष नहीं दे रहा है।

सारी घटना की अभी प्रारंभिक जांच आई है। जब अंतिम जांच आएगी तो मैं सदन को सारी चीजों से अवगत करा दूंगा।

आपकी जो चिंता है, वह पूरे सदन की चिंता है।

… (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री टी.आर. बालू (श्रीपेरम्बुदुर): महोदय, संसदीय कार्य मंत्री जी को इस पर जवाब देना चाहिए। आप इस सदन के संरक्षक हैं, लेकिन यह उन्हें करना चाहिए। उन्हें किसने अनुमति दी है?

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : बालू जी, आप वरिष्ठ सदस्य हैं।

… (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री टी.आर. बालू: उन व्यक्तियों ने किसकी अनुमति से यहाँ प्रवेश किया है?

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : यह जिम्मेदारी मेरी है और मेरी जिम्मेदारी यह भी है कि कौन लोग आए।

आप लोग क्यों डिबेट कर रहे हैं?

… (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन (कोल्लम): महोदय, पहले से ही "भारतीय संसद पर हमला करेंगे" जैसी एक घोषणा हुई है।

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : मैं आपको बोलने का मौका दूंगा, पर आप एक मिनट के लिए मेरी बात सुनिए।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : प्रेमचन्द्रन जी, जो विषय आप बता रहे हैं, वह वाला विषय नहीं है। यह मैं आपको प्रारंभिक जांच के बाद क्लियर कर दूंगा।

जब तक सदन के पटल पर विस्तृत जाँच रिपोर्ट नहीं आ जाए तब तक उस पर बोलने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन प्रारंभिक जाँच के अंदर वे दोनों लोग पकड़ लिए गए हैं। उनकी सारी सामग्री को जब्त कर लिया गया है और जो दो लोग बाहर थे उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है।

… (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री टी.आर. बालू: महोदय, सवाल यह है कि उन व्यक्तियों को परिसर में प्रवेश करने की अनुमति किसने दी। … (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : बालू जी ने जो विषय उठाया है, मैं उस विषय पर बताता हूँ।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मैं आपको बोलने दूँगा, एक मिनट रुकिए। बालू जी ने जो विषय उठाया है, मैं पहले उसको क्लियर कर दूँ।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : ठीक है, अधीर जी, आप बताइए, आपको क्या कहना है?

… (व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): सर, आज संसद पर हमले की बरसी है। वर्ष 2001 में आज के ही दिन, 13 दिसम्बर को हमारे पुराने संसद भवन पर हमला हुआ था। आज सुबह हम सभी ने उन लोगों को श्रद्धांजलि दी थी, जो संसद भवन की सुरक्षा में शहीद हो गए थे। उन शहीदों को हमने पुष्पांजलि दी है। उप-राष्ट्रपति जी से ले कर प्रधान मंत्री जी, मैडम सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन जी आदि हम सभी लोग वहां पर उपस्थित थे।

सर, आज ही इत्तेफ़ाक से यहाँ पर भी हमला हुआ है। हम मानते हैं कि उस समय का हमला एक प्रकार का था और आज का हमला दूसरे प्रकार का था। सर, लेकिन बात तो यह है कि इस हमले वर्ष में इस तरह की घटना कैसी घटी? … (व्यवधान) क्या इससे साबित होता है कि हमें जो सावधानी बरतनी चाहिए थी, हम वह नहीं बरत रहे हैं? … (व्यवधान) सर, दूसरी बात यह है कि बड़ी दिलचस्पी के साथ, बड़ी हिम्मत के साथ यह कहने में अच्छा लगता है कि इन दोनों शख्सों को हमारे सांसदों ने दबोच लिया। हमारे सांसदों ने निडर हो कर उनको दबोच लिया। … (व्यवधान) सर, तीसरी बात यह है कि हमारी जो पार्लियामेंट की अपनी सिक्योरिटी है, वह निहत्थे पुराने सदन को बचाने में सफल हुई थी। हमारे वे निहत्थे लोग आज कम दिखाई दे रहे हैं। … (व्यवधान) यह दिल्ली पुलिस कहाँ से आ गई? लेकिन जो हमारे सदन के छोटे-बड़े ऑफिसर्स थे, वे कहाँ गए? … (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : ओके, मैं यह विषय आपको बताता हूँ।

… (व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी: सर, उन सबको खाली कर दिया गया है। … (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : अधीर रंजन जी, इस पर वाद-विवाद नहीं करना चाहिए। इस पर चिंता व्यक्त करनी चाहिए, वाद-विवाद नहीं करना चाहिए। अच्छी बात है, हम सब सीनियर व्यक्ति है, चिंता व्यक्त करनी चाहिए, देश देखता है।

… (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री सुदीप बंदोपाध्याय (कोलकाता उत्तर): महोदय, हमें और अधिक सतर्क रहना चाहिए। प्रवेश द्वार पर सैकड़ों लोग इकट्ठा होते हैं, और जब हम सब सांसद इस भवन में प्रवेश करते हैं, तो हमारे लिए भीतर जाने के लिए एक बहुत कठिन स्थिति बन जाती है। … (*व्यवधान*) लोग सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक फोटो और सेल्फी लेने के लिए द्वार पर खड़े रहते हैं और कोई भी अनुमान नहीं लगा सकता है कि उसमें कौन संसद सदस्य है और कौन नहीं है।… (*व्यवधान*) आज की घटना बहुत चिंताजनक है। … (*व्यवधान*) यह सुरक्षा में एक चूक है। … (*व्यवधान*) यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि भविष्य में इस तरह की घटना दोबारा ना हो। … (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण्, मेरी बात सुनिए।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : सुदीप जी, आपने जो चिंता व्यक्त की है, मैं आपकी चिंताओं को, सदन के कांग्रेस दल के नेता की चिंता को, सत्ता पक्ष के लोगों की चिंता को, सभी की चिंताओं को समझता हूँ। इस विषय पर, सदन के चलने के एक-दो घंटे बाद हम सभी लोग बैठेंगे। कई बार ओपन हाउस में अपने सदन की चर्चा करना ठीक नहीं है। आप सभी को मैं बुला रहा हूँ और आप सबकी चिंताओं से हम और बढ़िया इंतज़ाम कर सकते हैं। जो आपके सुझाव हों, उन सुझावों को माना जाएगा।

… (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री सुदीप बंदोपाध्याय: ठीक है, महोदय। बेहतर होगा यदि आप सभी दलों के सदस्यों को बुलाएं। … (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : मैं सबको बुलाऊंगा और आप सभी के सुझाव मानेंगे। उन सभी सुझावों पर अमल भी करेंगे। क्योंकि यह हम सब की जिम्मेदारी है। हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के कहने से ही दर्शक दीर्घा में जाते हैं। उस विषय पर भी बात करनी पड़ेगी कि हमें पास बनाते समय क्या-क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, कैसे बरतनी चाहिए। यह हम सबकी चिंता का विषय है।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आपका विषय मैं समझ गया हूँ। आपने मेरी नॉलेज में डाल दिया है। मैं अभी सबको बुला कर बात करूंगा। देश में हम सब लोग राष्ट्र की सेवा के लिए आए हैं।

कितनी भी विपरीत परिस्थिति हो, उसके बाद भी सदन चले, यह हम सब की जिम्मेदारी है। उस घटना के बाद भी सदन चला था, आज भी सदन चलेगा, कोई सदनों को रोक नहीं सकता।

… (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री सुदीप बंदोपाध्याय: संसद सदस्यों के लिए एक अलग प्रवेश द्वार होना चाहिए।

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष: सुदीप जी, मैं आपको बुला रहा हूं।

… (व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी : सर, सदन चलेगा, कार्यवाही चलेगी, सब कुछ चलेगा, मगर हमें सावधानी बरतनी चाहिए।... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: मैं आप सबको बुला रहा हूं।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: मैं सबको बुलाने के बाद सदन के अंदर चर्चा करूंगा।

... (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्रीमती कनिमोझी करूणानिधि (थूथुक्कुडी): अभी भी धुआं है।

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष: नो स्मोक, मैंने स्मोक की जांच करा ली है। आपको चिंता करने की जरुरत नहीं है। मैं सदन में बैठा हूं।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आपके सामने मैं भी सदन में बैठा हूं। मैं जिम्मेदारी के साथ बैठा हूं।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: कल्याण जी, मैं आप सभी को बुला कर इस विषय पर बात करूंगा।

... (व्यवधान)

अपराह्न 2.12 बजे

नियम 377 के अधीन मामले *

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष: जिन माननीय सदस्यों को आज नियम 377 के अधीन मामलों को उठाने की अनुमति प्रदान की गई है, वे अपने मामले के अनुमोदित पाठ को तुरंत व्यक्तिगत रूप से सभा पटल पर रख सकते हैं।

(एक) ग्वालियर क्षेत्र में रेल सुविधाओं में सुधार किए जाने के बारे में

श्री विवेक नारायण शेजवलकर (ग्वालियर): मैं, माननीय रेल मंत्री जी का ध्यान ग्वालियर अंचल में रेल सुविधाओं के बेहतरीकरण हेतु निम्न बिंदुओं एवं सुझावों पर कराना चाहता हूं।

1. ग्वालियर से पुणे के लिये हमसफर एक्सप्रेस एव संपर्क क्रांति एक्सप्रेस, अयोध्या एवं हरिद्वार के लिये ट्रेनों का स्टॉपेज।

2. डबरा स्टेशन पर ट्रेनों का ठहराव अमृत भारत स्टेशन योजना में शामिल डबरा स्टेशन पर जीटी, उज्जैवनी ट्रेन के ठहराव एवं गोडवाना एक्सप्रेस का ठहराव पुन: किये जाने की आवश्यकता लंबे समय से महसूस की जा रही है।

3. ग्वालियर - अहमदाबाद एक्सप्रेस 22547 को प्रतिदिन करने हेतु ग्वालियर से सप्ताह में तीन दिन चलने वाली ग्वालियर अहमदाबाद एक्सप्रेस 22547 को प्रतिदिन संचालित करने की आवश्यकता है। ग्वालियर में अनुरक्षण हेतु वाशिंग साइड का निर्माण हो चुका है, इसीलिये इसे प्रतिदिन संचालित कराया जा सकता है।

---

* सभा पटल पर रखे गए माने गए।

4. ग्वालियर का पर्याप्त जनरल रिजर्वेशन की सीट का कोटा बढाने अथवा प्रदान करने हेतुः- 22222/22221 राजधानी एक्सप्रेस 22182 - निजामुददीन-जबलपुर एक्सप्रेस 12190 महाकौशल एक्सप्रेस 12724 - तेलंगाना एक्सप्रेस 12616 जीटी एक्सप्रेस 12156 12156

भोपाल एक्सप्रेस 11077 झेलम एक्सप्रेस 12919 - मालवा एक्सप्रेस 18477 - उत्कल एक्सप्रेस 18478 कलिंगा उत्कल एक्सप्रेस को संचालित कराया जा सकता है।

आशा है माननीय रेल मंत्री जी उपरोक्त मांगों पर गंभीरतापूर्वक विचार करेंगे।

(दो) दरभंगा से नई हाई स्पीड ट्रेन चलाए जाने की आवश्यकता

श्री गोपाल जी ठाकुर (दरभंगा): समस्तीपुर रेल मंडल अंतर्गत दरभंगा रेलवे स्टेशन, ए-1 क्लास स्टेशन की श्रेणी में आता है, जहां से समस्तीपुर मंडल को सर्वाधिक राजस्व प्राप्त होता है। वर्तमान में दरभंगा से देश के किसी भी महानगर व शहर के लिए कोई हाई स्पीड ट्रेन का परिचालन नहीं होता है। देश के प्रमुख महानगरों व शहरों में लाखों की संख्या में दरभंगा व मिथिला के लोग निवास करते है और प्रतिदिन हजारों की संख्या में लोग रोजगार, इलाज, शिक्षा, तीर्थाटन सहित अन्य कार्य को लेकर दरभंगा रेलवे स्टेशन से यात्रा करते है। गुजरते समय के साथ यात्रियों की बढ़ती संख्या एवं यात्रा में हो रही असुविधा को ध्यान में रखते हुए मिथिला व उत्तर बिहार के केंद्र दरभंगा से देश के प्रमुख महानगरों व शहरों के लिए वंदे भारत, शताब्दी अथवा दुरंतो एक्सप्रेस जैसी नई हाई स्पीड ट्रेन का प्रतिदिन परिचालन प्रारंभ किया जाना अति आवश्यक हो गया है। मैं माननीय रेल मंत्री से आग्रह करता हूं कि मिथिला के केंद्र दरभंगा से यथाशीघ्र वंदे भारत, शताब्दी अथवा दुरंतो एक्सप्रेस जैसी नई हाई स्पीड ट्रेन का देश के प्रमुख महानगरों व शहरों के लिए प्रतिदिन परिचालन प्रारंभ किया जाए।

(तीन) झाड़ग्राम स्टेशन पर विभिन्न रेलगाड़ियों का ठहराव प्रदान किए जाने के बारे में

[अनुवाद]

श्री कुनार हेम्ब्रम (झाडग्राम): मैं दक्षिण पूर्वी रेलवे के अंतर्गत खड़गपुर डिवीजन और आद्रा डिवीजन के रेल मामलों की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, झारग्राम जिला मुख्यालय है और जिले का एक महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन और प्रमुख पर्यटक आकर्षण केंद्र भी है। झाडग्राम से भुवनेश्वर और पुरी के लिए कोई सीधी ट्रेन नहीं है, जबकि ये दोनों शहर चिकित्सा और तीर्थयात्रा के लिहाज से अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं। पुरी-हरिद्वार उत्कल एक्सप्रेस दोनों शहरों को जोड़ती है। झारग्राम और आसपास के क्षेत्रों के काफी संख्या में प्रवासी श्रमिक पुरुषोत्तम एक्सप्रेस और नीलाचल एक्सप्रेस द्वारा भारत के उत्तरी राज्यों की यात्रा करते हैं, क्योंकि ये दोनों ट्रेनें भारत की राजधानी को जोड़ती हैं। अगर झाडग्राम में गीतांजलि एक्सप्रेस को ठहराव दिया जाए, तो भारत के पश्चिमी राज्यों में आईटी क्षेत्र और अन्य औद्योगिक या असंगठित क्षेत्रों में कार्यरत कई लोगों को झाडग्राम से सीधे ट्रेन मिल सकेगी। घाटशिला और झाडग्राम में ठहराव देने के साथ यशवंतपुर-टाटानगर एक्सप्रेस, जो भारत के दक्षिणी राज्यों को जोड़ती है, को खड़गपुर तक विस्तारित किया जाए। गढ़बेटा में हावड़ा-चक्रधरपुर एक्सप्रेस का ठहराव पहले की तरह फिर से शुरू किया जाए। इसलिए, मैं माननीय रेल मंत्री जी से अनुरोध करता हूँ कि वे संबंधित अधिकारियों को निर्देश दें कि झाडग्राम स्टेशन पर उपरोक्त रेलगाड़ियों को जल्द से जल्द ठहराव दिया जाए।

(चार) महाराष्ट्र के मराठवाड़ा क्षेत्र में एक्स-बैंड डॉपलर मौसम रडार स्थापित किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री सुधाकर तुकाराम श्रंगरे (लातूर): मराठवाडा तथा उत्तर महाराष्ट्र क्षेत्र पिछले कई दशकों से मौसम की मार झेल रहा है। कभी भयंकर सूखा, कभी अति वृष्टि, कभी बाढ़, कभी ओला वृष्टि। इस क्षेत्र में विभिन्न फसलों का भारी मात्रा में उत्पादन होता है। परन्तु मौसम की मार के कारण तथा मौसम की समय पर सही जानकारी किसानों को नहीं मिलने के कारण हर साल हजारों करोड़ रूपयों की फसलें बर्बाद हो रही है। विगत कई वर्षों से मैं सरकार से यहां पर एक एक्स बैंड डॉप्लर रडार स्थापित किए जाने की मांग कर रहा हूं ताकि मौसम से होने वाली फसलों की बरबादी से बचाया जा सके। ऐसा प्रतीत होता है कि कतिपय ब्यूरोक्रेटिक समस्याओं के कारण डॉप्लर रडार की स्थापना का मामला विगत एक दशक से लटका हुआ है। काफी दबाव डालने पर अब सरकार यहां सी बैंड रडार स्थापित करने जा रही है। परन्तु इसका कवरेज एरिया कम होने के कारण किसानों को सही एवं समय पर जानकारी मिलना असंभव है तथा इसकी स्थापना से किसानों का कोई फायदा होने वाला नहीं है। अतः मेरा सरकार से अनुरोध है कि शीघ्रातिशीघ्र यहां पर एक्स बैंड डॉप्लर रडार स्थापित किए जाने हेतु तत्काल कदम उठाए जाएं।

(पांच) अजमेर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में किशनगढ़ के शहरी क्षेत्र में रेलवे लाइन पर एक अंडरपास/फुट ओवर ब्रिज का निर्माण किए जाने के बारे में

श्री भागीरथ चौधरी (अजमेर): मेरे संसदीय क्षेत्र अजमेर के किशनगढ़ शहरी क्षेत्र में स्थित रेलवे लाईन के उस पार मालियों की ढाणी, गांधीनगर, सांवतसर क्षेत्र के 19 वार्डों में लगभग 80000 से 90000 की आबादी निवासरत है। इस क्षेत्र के वाशिंदों को प्रतिदिन उक्त रेलवे लाईन को पारकर मदनगंज शहरी क्षेत्र एवं पॉवर लूम क्षेत्र एवं मार्बल एरिया में मजदूरी हेतु आवाजाही करनी पड़ती है। जिसके चलते रेलवे लाईन क्रॉस करते समय अधिकांशतः दुर्घटनाएं होती रहती है। इसके अतिरिक्त उक्त गांधी नगर क्षेत्र की आबादी वर्तमान में रेलवे पुल संख्या 293 जो कि पूर्व में एक गन्दा नाला था। उससे गत 40-50 वर्षो से आवाजाही कर रही थी लेकिन डीएफसी के अन्तर्गत रेल लाईन बिछ जाने से उक्त एकमात्र रास्ता भी बन्द हो गया है। जिससे अब आमजन में काफी रोष व्याप्त है। अतः किशनगढ स्थित उक्त रेलवे पुल संख्या 293 पर नवीन ब्लॉक डालकर एक अण्डरपास अथवा पुराने बस स्टैण्ड के पीछे राम मन्दिर वाली गली से मालियों की ढाणी को जोड़ने वाली गली में रेलवे लाईन पर एक नवीन फुट ओवर पाथ का निर्माण कराकर आमजन को सुगम आवाजाही का मार्ग उपलब्ध कराने हेतु अविलम्ब दिल्ली एवं जयपुर स्थित विभागीय रेल्वे उच्चाधिकारियों एवं डीएफसीसी अधिकारियों को निर्देशित कराकर, सक्षम स्वीकृति जारी करवाई जाए।

(छह) धौलपुर रेलवे स्टेशन पर तेलंगाना एक्सप्रेस और केरला एक्सप्रेस के ठहराव के बारे में

डॉ. मनोज राजोरिया (करौली-धौलपुर): मेरे संसदीय क्षेत्र करौली एवं धौलपुर दोनों जिलों के हजारों युवा रोजगार के संबंध में हैदराबाद, सिकंदराबाद, एवं दक्षिण सहित भारत के अन्य क्षेत्र केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु में आते जाते हैं। उक्त दोनों क्षेत्रों में रेल ही आवागमन का महत्वपूर्ण साधन है। परन्तु तेलंगाना एक्सप्रेस (12723-12724) एवं केरला एक्सप्रेस (12625-12626) का ठहराव धौलपुर रेलवे स्टेशन पर नहीं होने के कारण लोगों को आगरा अथवा ग्वालियर जाकर उक्त रेल में बैठना पडता है, जिससे क्षेत्र वासियों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि इन ट्रेनों का ठहराव धौलपुर रेलवे स्टेशन पर करने की कृपा करें जिससे क्षेत्र वासियों को रेल सुविधा का सरलता से लाभ मिल सके।

(सात) असम के दरांग जिले को रेल कनेक्टिविटी प्रदान किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री दिलीप शइकीया (मंगलदोई): दरांग जिला असम के सबसे पिछड़े जिलों में से एक है। इसके पिछड़ेपन को ध्यान में रखते हुए नीति आयोग ने व्यापक विकास के लिए दरांग जिले को एक आकांक्षी जिले के रूप में चयनित किया है। भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्ष बाद भी यह जिला देश के रेलवे मानचित्र पर नहीं है। जिले की 12 लाख से अधिक आबादी रेल सुविधा से वंचित है। सुचारू और सस्ती संचार सेवाओं तथा वाणिज्यिक उपयोग के लिए जिले में रेल नेटवर्क को जोड़ने के लिए वर्ष 1962 (भारत-चीन युद्ध) से लोगों की लंबे समय से मांग है। जिले में बड़े स्तर पर कृषि उत्पादन होता है। लेकिन रेल नेटवर्क नहीं होने के कारण किसानों को उत्पाद के उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा हैं क्योंकि वे देश के अन्य हिस्सों में अपनी फसल भेजने में असमर्थ हैं। मैं सरकार से आग्रह करता हूँ कि रंगिया से डकरगांव तक, बेजेरा, दुमनी, चौकी, सिपाझर मंगलदोई खारुपेतिया, दालगांव और औरंग से होते हुए, नई रेल लाइन के माध्यम से दरांग जिले को रेल नेटवर्क से जोड़ा जाए।

इसके अलावा, मैं रेलवे मंत्रालय से निवेदन करता हूँ कि कोविड के कारण जो ट्रेनें बंद की गई थीं, उन्हें फिर से शुरू किया जाए और मंगलदोई, लोक सभा तक जो स्टॉपेज़ बंद किए गए थे, उन्हें भी फिर से चालू किया जाए।

(आठ) मरियम्मनाहल्ली - शिवमोगा एस.एच.-25 का राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में उन्नयन किए जाने की आवश्यकता

श्री जी. एम. सिद्देश्वर (दावनगेरे): मैं कर्नाटक में मारियम्मनाहल्ली - शिवमोगा एस.एच.-25 का राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में उन्नयन किए जाने की आवश्यकता की ओर माननीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। कर्नाटक में मारियम्मनाहल्ली एन.एच.-50 (पुराना एन.एच.-13) से शिवमोगा एन.एच.-69 (पुराना एन.एच.-206) तक होसापेट-मैंगलोर सड़क (एस.एच.-25) को मुख्य रूप से वर्ष 2017 में राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में अनुमोदित किया गया था। पूरे खंड को दो भागों में विभाजित किया गया है, एन.एच.-4 से शिवमोगा से होते हुए हन्नई, मेलबेन्नुर, हरिहर-हारापनहल्ली (आई.पी.28) तक और मारियम्मनाहल्ली-इटागी- हरपनहल्ली-हरिहारा-जंक्शन से एन.एच.-4 (आई.पी.32) तक है। होसापेटे-मैंगलोर सड़क, एस.एच.-25 एक महत्वपूर्ण प्रमुख अंतर-राज्यीय राजमार्ग सड़क है जो मारियम्मनाहल्ली में राष्ट्रीय राजमार्ग-50 (पुराना एन.एच.-13) को जोड़ती है, हरिहर में एन.एच. 48 को जोड़ती है और एन.एच.-69 (पुराना एन.एच. 206) पर शिवमोगा में समाप्त होती है, जो केंद्रीय कर्नाटक के तीन प्रमुख जिलों अर्थात विजयनगर, दावनगेरे और शिवमोगा से गुजरती है। छह वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बाद भी उक्त राजमार्ग को विकसित करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई है जिसके उन्नयन से मध्य कर्नाटक के सामाजिक-आर्थिक विकास में सुधार होता। यह मेरे दावनगेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लोगों की अति वास्तविक मांगों में से एक है जिसके लिए तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता है। मैं केन्द्रीय सरकार से आग्रह करता हूँ कि कर्नाटक में मारियम्मनाहल्ली - शिवमोगा एस.एच.-25 की मांग को प्राथमिकता के आधार पर एक राष्ट्रीय राजमार्ग में उन्नत करने पर विचार किया जाए।

(नौ) नन्दुरबार और पुणे के बीच दैनिक आधार पर एक इंटरसिटी रेलगाड़ी शुरू किए जाने की आवश्यकता

डॉ. हिना विजयकुमार गावीत (नन्दुरबार): मैं नन्दुरबार लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती हूँ जो एक आदिवासी बहुल क्षेत्र तथा एक आकांक्षी जिला है। वर्तमान में, नन्दुरबार में उच्च शिक्षा के लिए विकल्प बहुत कम हैं। शिक्षा के मामले में सीमित अवसरों के कारण छात्रों को पुणे जाना पड़ता है, जो इंजीनियरिंग, प्रबंधन, चिकित्सा या कानून जैसे उच्च शिक्षा में पाठ्यक्रम करने के लिए दुनिया का शैक्षिक केंद्र है। छात्रों के अलावा, नन्दुरबार से बड़ी संख्या में व्यवसायी, मज़दूर और कामकाजी पेशेवर हैं जो अक्सर पुणे तक की यात्रा करते हैं। नन्दुरबार और पुणे के बीच कम आवृत्ति और सीधी रेलगाड़ी ना होने के कारण, नन्दुरबार के लोगों को बहुत असुविधा का सामना करना पड़ता है। नन्दुरबार और पुणे के बीच एक इंटरसिटी एक्सप्रेस की मांग बहुत समय से लंबित है। मैं सरकार से अनुरोध करती हूँ कि इस मार्ग पर बार-बार कामकाज, व्यवसाय या शैक्षिक उद्देश्यों की वजह से यात्रा करने वाले हज़ारों कामकाजी पेशेवरों, छात्रों, व्यापारियों और नागरिकों के लाभ के लिए नन्दुरबार और पुणे के बीच दैनिक आधार पर एक इंटरसिटी ट्रेन शुरू की जाए। यात्रा में आसानी होने से इंटरसिटी रेलगाड़ी मेरे लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र के सामाजिक-आर्थिक विकास में सहायता करेगी तथा मानव विकास सूचकांक में सुधार करेगी। यह पश्चिमी महाराष्ट्र और उत्तरी महाराष्ट्र के बीच कनेक्टिविटी को भी बढ़ावा देगी।

(दस) 'जलवायु परिवर्तन' को प्राकृतिक आपदा घोषित किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री तीरथ सिंह रावत (गढ़वाल): हिमालय वैश्विक औसत की तुलना में तेजी से गर्म हो रहा है, जिसका कृषि पर तत्काल प्रभाव पड़ रहा है फसल चक्र बढ़ते मौसम और मिट्टी की नमी में बदलाव आ रहा है। उत्तराखंड में जो मुख्य रूप से पहाड़ी प्रांत है कुछ तलहटी और मैदानी इलाकों के साथ समस्या बहुत बढ़ गई है, क्योंकि अधिकांश कृषि योग्य भूमि है। जैसे-जैसे जलवायु परिस्थितियों बदलता है उत्तराखंड में कुछ किसान लाभप्रदता बनाए रखने के लिए सरकार या गैर सरकारी संगठनों की मदद से नई फसलों की ओर रुख कर रहे हैं। दुर्भाग्य से कहीं महिलाओं और दलित किसानों के लिए संभव नहीं है। हालांकि राज्य सरकार अब कीवी पौधों के वितरण पर सब्सिडी देती है लेकिन फल उगाने के लिए महत्वपूर्ण निवेश की आवश्यकता होती है। सरकार और अन्य संगठन एक ओर जलवायु अनुकूलन पहल का सुझाव दे रहे हैं- वह है 'जड़ी बूटी और औषधीय फसलों की खेती। लेकिन इसके लिए बहुत अधिक भूमि की आवश्यकता होती है, जो गरीब किसानों महिला किसानों या दलित किसानों के पास होने की संभावना नहीं है। लोगों को जलवायु परिवर्तन के अनुकूल ढालने में मदद करने के लिए सरकार और विभिन्न गैर सरकारी संगठनों द्वारा जैविक खेती एक और उपाय है। इस बदलाव को सुविधाजनक बनाने के लिए उत्तराखंड राज्य जैविक प्रमाणीकरण एजेंसी की स्थापना की गई थी। फिंगर बाजार, मंडुवा, झंगोरा और बार्नयार्ड बाजरा जैसी स्वदेशी फसलों पर जोर दिया गया है। जो अधिक जलवायु लचीली फफूंदे प्रतिरोधी है। अक्सर सिंचाई के बिना उगाई जा सकती है। सीमांत किसान भी अधिक वर्षा के उतार-चढ़ाव से जूझ रहे हैं। उत्तराखंड में केवल 45% कृषि भूमि सिंचित है इसलिए अधिकांश लोग अपनी फसलों के लिए वर्षा पर निर्भर है। ऐसे अप्रत्याशित मौसम पैटर्न के साथ सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जैसी फसल बीमा योजना का समर्थन किया है। उत्तराखंड सरकार स्थानीय किसानों को बीच उर्वरक और भारी मशीनरी उपलब्ध कराने के लिए कई योजनाएं चल रही है। जंगल की आग और कम बारिश जैसी जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को अनुकूलित करने में असमर्थ है। हिमालय राज्य में छोटे किसानों को अपनी

आजीविका खोने का जोखिम उठाना पड़ रहा है। मैं भारत सरकार से आग्रह करता हूं कि उत्तराखंड राज्य में जलवायु परिवर्तन को एक प्राकृतिक आपदा घोषित किया जाए और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के कारण पड़ने वाले वित्तीय बोझ को वहन करने के लिए राज्य सरकार को विशेष वित्तीय सहायता प्रदान की जाए।

(ग्यारह) रेल यात्रियों को रेल टिकट काउंटर से खरीदे गए रेलवे टिकट की वर्तमान स्थिति जानने की सुविधा प्रदान करने के लिए एक प्रणाली स्थापित किए जाने की आवश्यकता

श्री घनश्याम सिंह लोधी (रामपुर) : रेलगाड़ियों के लिए आरक्षण चार्ट तैयार होने पर यदि विंडो टिकट कन्फर्म नहीं होती है तो ट्रेन के अपने गंतव्य स्थान से रवाना होने के अधिकतम आधा घंटे तक विंडो टिकट को रद्द करवाने का नियम है लेकिन यदि यात्री की ट्रेन अगले दिन सुबह की है तो रेलगाडी के लिए आरक्षण चार्ट सामान्यतः पिछली रात्रि में तैयार हो जाते है। अब बहुत क्षेत्रो में देर रात्रि या प्रातः में रेलवे आरक्षण विंडो के ना खुलने के कारण यात्रियों की टिकट कैंसिल नहीं हो पाती है और यात्री की धनराशि वापस नहीं मिलती है। बहुत सारे यात्री अपने गंतव्य रेलवे स्टेशन से 2 या 3 घंटे की दूरी पर रहते है और वहीं कई यात्री अपने क्षेत्रीय सांसदों से रेलवे कन्फर्मेशन के लिए प्रयास करते है लेकिन फिर भी टिकट कन्फर्म नहीं हो पाती है। इसलिए मेरा सरकार से अनुरोध है कि यदि यात्री के पास विंडो से खरीदा हुआ टिकट है तो ऐसे यात्रियों को कॉल सेंटर नंबर जारी किया जाना चाहिए ताकि यात्री अपनी टिकट की कन्फर्मेशन ना होने के कारण यात्रा नहीं करने की जानकारी प्रदान कर सके और उस यात्री को टिकट कैंसिल करने का उचित समय मिल सके और उसे धनराशि मिल सके।

(बारह) चुरू संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग पर रेलवे पुल (आर.ओ.बी.), मवेशी अंडरपास (सी.यू.पी.) एवं वाहन अंडरपास (वी.यू.पी.) का निर्माण किए जाने की आवश्यकता

श्री राहुल कस्वां (चुरू): मेरे लोक सभा क्षेत्र चुरू में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 52 को 2 लेन से 4 लेन का किये जाने हेतु कार्य प्रारंभ हो चूका हैं। सड़क निर्माण से पूर्व सड़क की सुरक्षा की दृष्टि से विभिन्न विभाग के अधिकारीयों के द्वारा सड़क का निरिक्षण किया था। इस निरिक्षण के दौरान पाया गया की अनेक स्थानों पर दुर्घटनाओं में कमी लाये जाने हेतु वी.यू.पी. व सी.यू.पी. बनाये जाने की आवश्यकता हैं। गाँव भांगीवाद, बाघसरा आथुना, खोटिया, ढाणी डीसपुरा, रामसरा, ढाढर, लाखाऊ, लादडीया, दुधवा खारा, खेमाणा, ढढाल व गुलपुरा के रास्ते पर, श्योपुरा व इन्दासर वे गाँव हैं जहाँ इनकी मांग थी। काफी स्थानों पर ग्रामीणजन के द्वारा आर.ओ.बी. बनाये जाने हेतु भभी मांग की थी। इनका एक मुख्य कारण यह भी हैं की इन गाँबों में रिहापशी ईताका एक तरफ व सभी सरकारी संस्थाएं व रेलवे स्टेशन दूसरी तरफ पड़ता हैं और आमजन को सड़क को पार करना पड़ता है, जिससे लगातार दुर्घटना होने की आशंका रहती हैं । और काफी स्थानों पर दुर्घटनाये होती भी हैं।

अतः मेरा सरकार से अनुरोध हैं की इन सभी स्थानों पर आर.ओ.बी., वी.यू.पी. व सी.यू.पी. बनवाए जावे ताकि दुर्घटनाओं को होने से बचाया जा सकें।

(तेरह) रतलाम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

इंजीनियर गुमान सिंह दामोर (रतलाम): मेरे लोक सभा क्षेत्र रतलाम, के जिले रतलाम, झाबुआ एवं आलीराजपुर में सिंचाई की सुविधायें पर्याप्त नहीं होने के कारण जनजाति परिवारों को सिर्फ एक फसल पर आश्रित रहना पड़ता है। झाबुआ एवं आलीराजपुर जिले में 88 प्रतिशत आबादी गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करती है तथा रोजगार की तलाश में इन्हें अन्य राज्यों में जाना पड़ता है। सिंचाई की सुविधायें उपलब्ध होने से रोजगार भी उपलब्ध होगा तथा आर्थिक क्षमता में भी वृद्धि होगी। मैं सरकार से मांग करता हूँ कि इन 3 जिलों में सिंचाई सुविधाओं में वृद्धि किए जाने का अनुरोध है।

(चौदह) दिल्ली-हावड़ा एवं दिल्ली-मुंबई मार्ग पर अत्यधिक रेलवे ट्रैफिक के बारे में

[अनुवाद]

सुश्री सुनीता दुग्गल (सिरसा): मैं माननीय रेल मंत्री जी का ध्यान दिल्ली-हावड़ा, दिल्ली-मुंबई आदि मुख्य मार्गों पर अत्यधिक यातायात के संचालन के मुद्दे की ओर आकर्षित करना चाहती हूँ। रेल नेटवर्क के भीतर वैकल्पिक मार्गों में विविधता लाने से इन मुख्य मार्गों पर अत्यधिक यातायात की लगातार बनी रहने वाले मुद्दे का समाधान करने की अपार संभावनाएं हैं। जबकि इन प्रमुख रास्तों पर अधिकतम रेलगाड़ियों के कारण भीड़भाड़ रहती है, कई समानांतर मार्ग मौजूद हैं जो थोड़े लंबे ज़रूर हैं लेकिन इनका काफी कम उपयोग होता है। इन द्वितीयक मार्गों का लाभ उठाने से न केवल प्रमुख रास्तों पर बोझ कम हो सकता है, बल्कि यात्रियों को सुगम यातायात प्रदान करने के अलावा गुणात्मक रूप से क्षेत्रीय विकास को भी बढ़ावा मिल सकता है। इनमें से कई मार्ग, जिन्हें श्रेणी-बी., सी. अथवा डी. खंडों के रूप में वर्गीकृत किया गया है, यहाँ वर्तमान में सीमित रेल सेवाएं हैं, जिसके परिणामस्वरूप इन मार्गों में कम यात्री यातायात करते हैं। रणनीतिक योजना और इन द्वितीयक मार्गों को दिल्ली, हावड़ा और मुंबई जैसे श्रेणी-ए. स्टेशन से जोड़ने वाली रेलगाड़ियों की शुरुआत के साथ, यात्री यातायात में काफी वृद्धि का अनुमान लगाया जा सकता है। रेलवे अधिकारियों को मुंबई से अमृतसर अथवा जम्मू के लिए मथुरा-सिरसा के रास्ते सीधी रेलगाड़ी, जैसे नए मार्गों को शुरू करने पर विचार करना चाहिए। विविध मार्गों से आपात स्थिति, रखरखाव या प्रमुख रास्तों पर अप्रत्याशित व्यवधानों के दौरान वैकल्पिक मार्ग प्रदान करके रेल प्रणाली के लचीलेपन को भी बढ़ाया जा सकेगा और यात्री, माल ढुलाई सेवाओं पर व्यवधानों के प्रभाव को कम किया जा सकेगा।

(पंद्रह) मध्य प्रदेश के खरगौन संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज की स्थापना के बारे में

[हिन्दी]

श्री गजेन्द्र उमराव सिंह पटेल (खरगौन): मेरा संसदीय क्षेत्र खरगौन (मध्य प्रदेश) एक जनजाति बाहुल्य क्षेत्र है। जहां पर स्वास्थ सुविधाओं का अभाव बना रहता है, जिसके कारण संसदीय क्षेत्र के मरीजों को दूर दराज के क्षेत्रों में या अन्य राज्य में आना जाना पड़ता है। मेरा माननीय मंत्री जी से सविनय आग्रह है कि मेरे संसदीय क्षेत्र में एक मेडिकल कॉलेज की सुविधा उपलब्ध कराई जाए जिससे बड़वानी जिले के सभी आस पास के जनजाति बाहुल्य क्षेत्र को लाभ प्राप्त हो । जनजाति समाज द्वारा विगत कई वर्षों से मेडिकल कॉलेज की मांग की जा रही है। बड़वानी जिला जो कि आकांक्षी जिले की श्रेणी में आता है मेडिकल कॉलेज की सुविधा प्राप्त होने से जनजाति बाहुल्य क्षेत्र को समावेशी लाभ प्राप्त होगा। जिससे रोजगार एवम् स्वास्थ के क्षेत्र में वृद्धि होगी। जनजाति बाहुल्य समाज की मांग को शीघ्रताशीघ्र पूरा किया जाए जिससे बड़वानी जैसे आदिवासी बाहुल्य अंचल के निवासियों को लाभ प्राप्त हो सके।

(सोलह) मध्य प्रदेश में मक्सी - रुथियाई रेलवे लाइन के दोहरीकरण के बारे में

श्री रोड़मल नागर (राजगढ़): मेरा संसदीय क्षेत्र राजगढ़ एक कृषि प्रधान क्षेत्र है जो कि आगरा-मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग के मध्य में स्थित है। यहाँ से इन्दौर, मुंबई, गुजरात, भोपाल, नागपुर आगरा, दिल्ली का सीधा सड़क संपर्क होने के बाद भी यह क्षेत्र आजादी के 70 सालों से विकास के लिये आशान्वित रहा है। मोदी सरकार द्वारा आशान्वित से आकांक्षी स्वरूप दिया जाकर विगत वर्षों में सभी आधारभूत संरचनाओं का निर्माण का संकल्प सिद्ध कर आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर है। सम्पूर्ण लोक सभा क्षेत्र में पश्चिम-मध्य रेलवे के एकमात्र रेलखण्ड मक्सी- रुठीयाई रेलमार्ग को माननीय प्रधानमंत्री जी व रेलमंत्री द्वारा विद्युतीकरण की ऐतिहासिक सौगात दी है। इसी क्रम में रुठियाई से मक्सी रेलखंड का दोहरीकरण सर्वे आदि की समस्त औपचारिकताएं पूर्ण कर स्वीकृति लिये लंबित है, जिसकी स्वीकृति होने से राजगढ़ संसदीय क्षेत्र के सारंगपुर, ब्यावरा, पचोर, नरसिंहगढ़, सुसनेर, खिलचीपुर, गुना, राघौगढ़, चाचौड़ा आदि के लाखों लोगों एवं व्यापारी वर्ग को दिल्ली से मुंबई तक की सीधी सस्ती व कम दूरी की अनेक रेल सेवाओं का लाभ मिल सकेगा एवं रेलवे को भी मालढुलाई के लिए फास्ट ट्रैक मिल सकेगा जिससे राजगढ़ के समग्र विकास का मार्ग प्रशस्त होगा। राजगढ़ लोक सभा क्षेत्र की जनाकांक्षाओं के अनुरूप माननीय रेलमंत्री जी से मक्सी-रूठीयाई रेलखण्ड को दोहरीकरण की स्वीकृति के लिये अनुरोध करता हूँ।

(सत्रह) अंगमाली-एरुमाली-सबरी नई रेल लाइन परियोजना के लिए निधि आवंटन और उसे पुनः प्रारंभ किए जाने के बारे में

[अनुवाद]

श्री बैन्नी बेहनन (चालाकुडी): इस वर्ष के बजट में सबरीमाला मंदिर के प्रवेश द्वार, अंगमाली से एरुमाली को जोड़ने वाली सबरी रेलवे लाइन परियोजना के लिए रेलवे ने 100 करोड़ रुपये आवंटित किए थे। हालाँकि, चूंकि परियोजना को अभी तक शुरू नहीं किया गया है, इसलिए यह आशंका व्यक्त की जा रही है कि यह आवंटन उचित रूप से उपयोग किए बिना ही समाप्त हो जाएगा। जबकि चेंगन्नूर से पंबा तक फीडर लाइन के लिए एक नया प्रस्ताव आया है जो निश्चित रूप से अंगमाली एरुमाली लाइन का विकल्प नहीं होगा। इस लाइन से थोडुपुझा, जो 50,000 से अधिक जनसंख्या वाला एक बड़ा व्यापारिक केंद्र है, और इडुक्की जिले को रेल नेटवर्क से जोड़ने का अवसर मिलेगा। यह विशेष रूप से इडुक्की जिले के विकास के लिए भी एक बड़ा वरदान सबित होगा।

इन पहलुओं पर विचार करते हुए, मैं सरकार से पिछले केंद्रीय बजट में अंगमाली - एरुमाली सबरी नई लाइन परियोजना के लिए आवंटित राशि 100 करोड़ रुपये प्रदान करने और उपरोक्त परियोजना के लिए कार्यों को फिर से शुरू करने के लिए आदेश देने का का आग्रह करता हूँ।

(अठारह) ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में उपलब्ध चिकित्सा सुविधाओं के बीच विसंगति से निपटने के लिए कानून बनाए जाने की आवश्यकता

श्री अब्दुल खालेक (बारपेटा): देश में जनसंख्या की तुलना में चिकित्सा सुविधाओं की उपलब्धता कम हैं। गाँवों और ग्रामीण क्षेत्रों, जहाँ अधिकतम आबादी निवास करती है, की तुलना में बड़े शहरों और कस्बों में उपलब्ध चिकित्सा सुविधाओं में भी एक बड़ा असंतुलन है। हमारे जैसे देश में चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराना एक बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन हमें इसका समाधान चाहिए। गाँवों और पिछड़े क्षेत्रों के लोग अपने घर से दूर उपलब्ध महंगी चिकित्सा सुविधाओं का खर्च वहन नहीं कर पाते हैं। उनमें से भले ही कुछ खर्च वहन कर सकते हों, लेकिन कई बार स्थिति उन्हें शहर तक पहुंचने का समय नहीं देती है। गाँवों और दूर-दराज के स्थानों पर अच्छे डॉक्टरों की आवश्यकता है। लेकिन दुर्भाग्य से, बहुत कम डॉ. वहाँ उनकी सेवा करने के लिए मौजूद हैं। इस कमी को दूर करने के लिए, एम.बी.बी.एस. की अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले मेडिकल छात्रों के लिए डिग्री प्रदान किए जाने से पहले गांवों और ग्रामीण क्षेत्रों में तीन साल की सेवा अनिवार्य कर देनी चाहिए। यहां तक कि जो लोग विदेश से एम.बी.बी.एस. की डिग्री प्राप्त करते हैं और एम.सी.आई. की परीक्षा उत्तीर्ण करते हैं, उन्हें भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए। यह संभवतः स्वास्थ्य देखभाल में असंतुलन को कम करने का सबसे बेहतर तरीका है। इसलिए, मैं स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री से अनुरोध करता हूँ कि इस संदर्भ में एक कानून लाया जाए, क्योंकि यह ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा में बड़ा बदलाव लाएगा।

(उन्नीस) पेरम्बलुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में रेलगाड़ियों के ठहराव के बारे में

डॉ. टी.आर. पारिवेन्धर (पेरम्बलुर): मेरे पेरम्बलुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के छह विधानसभा क्षेत्रों में से लालगुड़ी एक विधानसभा क्षेत्र है जो कई तीर्थ स्थानों से घिरा हुआ है। भगवान वेंकटेश्वर के 108 दिव्य देशम में से 03 दिव्य देशम लालगुड़ी में हैं। यहाँ प्रतिदिन राज्य और देश के विभिन्न हिस्सों से कई श्रद्धालु आते हैं।

मेरे निर्वाचन क्षेत्र के लोगों ने अनुरोध पर मैं रेलवे मंत्रालय से निवेदन करता हूँ कि गुरुवायुर एक्सप्रेस (16127), मंगलौर एक्सप्रेस (12685) और वैगई एक्सप्रेस (12635) को ललगुडी रेलवे स्टेशन पर ठहराव दिया जाए और यह उनके लिए बहुत सहायक होगा। जनता की प्रतिक्रिया देखने के लिए कम से कम छह महीने का परीक्षण किया जा सकता है। मैं मंत्रालय से तिरुचिरापल्ली रेल मंडल के अंतर्गत थिरुमाझापड़ी सड़क पर पुल्लमबाडी समपार पुल 216 कि.मी. 300/200/300 में एक रेलवे उपरिपुल (आर.ओ.बी.) का निर्माण करने और कुलिथालाई-वलंदूर में एक अंडरपास का निर्माण करने का भी अनुरोध करता हूं जहां एक पूरा गांव पिछले तीन वर्षों से यह सहायता मांग रहा है जो सेलम रेलवे डिवीजन के अंतर्गत आता है।

(बीस) केंद्र सरकार के अधीन रिक्त पदों को भरे जाने के बारे में

श्री बेल्लाना चन्द्र शेखर (विज़यानगरम): वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा दी गई वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, 2022 तक केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत कुल पदों में से 24.29% पद रिक्त थे। रिक्त पद न केवल सरकारी कार्यों की गुणवत्ता पर गहरा प्रभाव डालते हैं, बल्कि यह वर्तमान में काम कर रहे कर्मचारियों पर अत्यधिक दबाव डालता है, जो अंततः लंबे समय में उनके कार्य में दक्षता को प्रभावित करता है। इससे भी अधिक चिंता की बात यह है कि इन नौकरियों की सबसे अधिक संख्या समूह ख (अराजपत्रित) से है, जिसमें रिक्त पदों का उच्चतम प्रतिशत 32.22% है। यह समूह केवल सरकारी कार्यों की नींव नहीं है, बल्कि मध्य वर्ग के बहुत से लोगों के लिए यह एक सपना भी है, क्योंकि इसमें स्थायित्व वेतन होता है। चूंकि संविदा-आधारित रोजगार में वेतन मिलने में इस प्रकार का स्थिरता नहीं होता है, इसलिए इन रिक्तियों को स्थायी अनुबंधों से भरने और संविदा-आधारित कर्मचारियों को स्थायी कर्मचारियों में बदलने का प्रयास किया जाना चाहिए। इसके अलावा, शैक्षणिक संस्थानों के साथ सहयोग से संभावित उम्मीदवारों की आरंभ में ही पहचान किया जा सकता है और उन्हें प्रशिक्षण दिया जा सकता है। मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इस महत्वपूर्ण समस्या पर ध्यान दे और समुचित उपचारात्मक उपाय कार्यान्वित करे।

(इक्कीस) किसानों के लिए व्यवहार्यता मूल्य का निर्धारण किए जाने के बारे में

श्री श्रीधर कोटागिरी (एलुरु): मैं माननीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री जी के ध्यान में यह बात लाना चाहूंगा कि भारत सरकार का वर्तमान व्यवहार्यता मूल्य किसानों की कीमत पर प्रसंस्करणकर्ताओं के अनुकूल है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में 19.32% ओ.ई.आर. और गिरी की हिस्सेदारी शामिल है। भारत सरकार द्वारा किसानों को दिए जा रहे व्यवहार्यता मूल्य में गिरी का हिस्सा शामिल नहीं है। मैं भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह किसानों के हित में व्यवहार्यता मूल्य और खाद्य तेल में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए पुर्नविचार करे और व्यवहार्यता मूल्य में गिरी के हिस्से को शामिल करे जिसे अब तक किसानों के साथ बांटा जाता था। कर्नाटक मूल्य आयोग द्वारा वर्ष 2020 के लिए बताई गई उत्पादन लागत 14980 रुपये प्रति टन है। लेकिन वर्ष 2022-23 के लिए भारत सरकार की व्यवहार्य मूल्य 13349 रुपये प्रति टन है। यह मूल्य अनुचित है और पाम तेल उत्पादक किसानों पर पाम तेल एफ.एफ.बी. के लिए नकारात्मक सब्सिडी बोझ पर रहा है। हाल के दिनों में उर्वरक और श्रम की कीमत दोगुनी होने के कारण खेती की लागत 18000 रुपये प्रति टन हो गया है और ऑयल पाम किसानों को इसकी खेती करने के लिए न्यूनतम लाभकारी मूल्य 20,000 रुपये प्रति टन करने की आवश्यकता है। अन्यथा, अतीत की तरह किसानों को अपने बागानों को उखाड़ने के लिए मजबूर होना पड़ेगा।

(बाईस) पश्चिम बंगाल के लिए मनरेगा के अंतर्गत पर्याप्त निधि उपलब्ध कराए जाने के बारे में

श्रीमती अपरूपा पोद्दार (आरामबाग): अगस्त 2005 में ग्रामीण विकास पर केंद्रित महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) की स्थापना की गई थी। यह पहल अकुशल सार्वजनिक कार्य में लगे ग्रामीण परिवारों के वयस्क सदस्यों के लिए न्यूनतम मजदूरी पर प्रति वर्ष 100 दिनों के रोजगार की गारंटी देती है। यह ग्रामीण बुनियादी ढांचे और परिसंपत्तियों के निर्माण में प्रत्यक्ष भूमिका निभाता है, अप्रत्यक्ष रूप से ग्रामीण मांग और रोजगार को प्रभावित करता है। वर्ष 2023-24 में मनरेगा के लिए आवंटित बजट को घटाकर 60,000 करोड़ रुपये कर दिया गया है। बंगाल पर मनरेगा के तहत केंद्र सरकार का 7,000 करोड़ रुपये से अधिक का बकाया है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में पश्चिम बंगाल नियोजित लोगों (एक करोड़ से अधिक) और श्रम-दिवस (36 करोड़) उत्पन्न कर अग्रणी रहा। 15 दिनों के काम के बाद मनरेगा फंड वितरित करने के नियम के बावजूद, केंद्र सरकार से राज्य को बकाया राशि का भुगतान करने में देरी हुई है। केंद्र सरकार ने पहले ही पश्चिम बंगाल के वित्त पोषण को वर्ष 2021-22 में 11,45,405.21 करोड़ रुपये से घटाकर वर्ष 2022-23 में 7,50,780.15 करोड़ रुपये कर दिया था। इससे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग अपनी उचित आय से भी वंचित हो गए हैं। योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए पर्याप्त धन महत्वपूर्ण है। मनरेगा के लिए धन की कमी को दूर करने, इसे सफलतापूर्वक जारी रखने और ग्रामीण समुदायों की सहायाता के लिए तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है।

(तेईस) पश्चिम बंगाल को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एन.एच.एम.) निधियां जारी किए जाने के बारे में

श्रीमती प्रतिमा मण्डल (जयनगर): इतनी सारी इमारतों की मरम्मत के माध्यम से रंग ब्रांड में बदलाव करने से बुनियादी ढांचे का काफी खर्च होगा। हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी ने माननीय प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखकर पश्चिम बंगाल को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एन.एच.एम.) के अंतर्गत निधियां जारी करने के लिए स्वास्थ्य और कल्याण केन्द्रों के लिए विशिष्ट रंग ब्रांडिंग शर्तों को हटाने के लिए उनके हस्तक्षेप की मांग की थी ताकि गरीब लोग गुणवत्तायुक्त स्वास्थ्य सेवाओं की कमी से प्रभावित न हों। पश्चिम बंगाल सरकार 11,000 कार्यात्मक स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों के माध्यम से सभी को सस्ती, सुलभ और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा प्रदान कर रही है, जो हर दिन 3 लाख से अधिक लोगों को सेवा प्रदान करती है। भवनों का निर्माण वर्ष 2011 से राज्य में कलर ब्रांडिंग के अनुसार किया गया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा एन.एच.एम. के तहत निधि जारी करना अन्य शर्तों को पूरा करने के बावजूद स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों में कुछ रंग ब्रांडिंग दिशानिर्देशों का पालन न करने के आधार पर रोक दिया गया है। मैं इस महती सभा के माध्यम से सरकार से पश्चिमी बंगाल राज्य को एन.एच.एम. निधियां शीघ्रातिशीघ्र जारी करने का आग्रह करती हूं।

(चौबीस) विस्कोस फिलामेंट यार्न (वी.एफ.एन.) पर एंटी डंपिंग शुल्क हटाए जाने के बारे में

डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे (कल्याण): विस्कोस फिलामेंट यार्न (वी.एफ.वाई.) पर एंटी-डंपिंग ड्यूटी को हटाने से वस्त्र उद्योग की स्थिति और अधिक कमजोर हो गई है। चीन से वी.एफ.वाई. आयात की आमद हमारे निर्माताओं की व्यापारिक क्षमता को प्रभावित कर रहा है, उनके निवेश को खतरे में डाल रहा है, और न बिकी हुई स्टॉक की अधिकता का कारण बन रहा है। चीन का विस्कोस फिलामेंट यार्न उद्योग, जो मुख्य रूप से राज्य के स्वामित्व में है और भारी सब्सिडी प्राप्त करता है, वर्तमान में भारतीय विस्कोस फिलामेंट यार्न उद्योग से अधिक प्रतिस्पर्धा कर रहा है, जिससे यह आर्थिक रूप से अस्थिर हो गया है। इसके अलावा, चीनी उद्योग को 13% का बड़ा एक्सपोर्ट रिबेट (सरकार द्वारा निर्यातक कंपनियों को अपने उत्पादों के निर्यात पर एक निश्चित प्रतिशत की छूट) मिलता है, जिससे एक असंतुलित प्रतिस्पर्धात्मक माहौल बन रहा है जो हमारे क्षेत्र की वृद्धि को रोकता है और हमारे 'मेक इन इंडिया' उद्देश्यों को बाधित करता है। व्यापार रिमेडिज महानिदेशालय (डी.जी.टी.आर.) ने चीन से विस्कोस रेयान फिलामेंट यार्न (वी.आर.एफ.वाई.) आयात पर निश्चित डंपिंग शुल्क की सिफारिश की है। अनुशंसित डंपिंग रोधी शुल्क लागत, बीमा और माल ढुलाई (सीआईएफ) मूल्य के 5.48 प्रतिशत से लेकर वीआरएफवाई आयात पर सीआईएफ के 20.87 प्रतिशत तक है, जो उत्पादक और निर्यात के देश पर निर्भर करता है। चीन लगातार भारतीय बाजार में विस्कोस फिलामेंट यार्न की बड़ी मात्रा में आपूर्ति करता है, जो स्पष्ट रूप से प्रतिस्पर्धा को समाप्त करने का प्रयास प्रतीत होता है। इसलिए, मैं सरकार से डी.टी.आर. द्वारा यथा संस्तुत डंपिंग रोधी शुल्क को कार्यान्वित करने का अनुरोध करता हूं जो न केवल भारतीय वी.एफ.वाई. उद्योग के अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण है बल्कि इसके और विकास की क्षमता के लिए भी महत्वपूर्ण है और वस्त्र उत्पादन में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लक्ष्य को भी पूरा करता है।

(पच्चीस) काराकाट संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में एम्स या एम्स जैसे संस्थान की स्थापना के बारे में

[हिन्दी]

श्री महाबली सिंह (काराकाट): मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र काराकाट में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान या इसी कर तर्ज पर अस्पताल खोलने के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र काराकाट में आधुनिक अस्पताल की सुविधा नहीं होने के कारण क्षेत्र वासियों को रोग निदान, शारीरिक जांच की आधुनिक मशीनों, उपकरणों तथा तकनीकी के अभावा में गंभीर रोग का निदान नहीं हो पाता जिस कारण पीड़ीत रोगी महीलाओं बच्चों तथा बुजुर्गों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आधुनिक सुविधा वाले अस्पताल मेरे निर्वाचन क्षेत्र से काफी दूर बड़े शहरों में स्थित है कभी-कभी अस्पताल तक पहुंचने से पहले ही रोगी की मृत्यु हो जाती है। इस संबंध में मैं कई बार सरकार का ध्यान मौखिक तथा पत्रों द्वारा भी अवगत कराया है। लेकिन इस विषय में अभी तक किसी तरह की सकारात्मक कार्रवाई नहीं की गई है। मैं माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र काराकाट में शीघ्रतीशीघ्र अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान या इसी की तर्ज पर अस्पताल खोला जाए।

(छब्बीस) नाल्को, ओडिशा में स्थायी और संविदा कर्मचारियों की सेवा शर्तों के बीच असमानता के बारे में

[अनुवाद]

श्री महेश साहू (धेन्कानल): ओडिशा में नालको की दो इकाइयाँ हैं, एक ढेंकानाल और दूसरी कोरापुट एच.पी.सी. में हैं, । लेकिन संगठन की नीति ऐसी है कि स्थायी और संविदा कर्मचारियों के बीच असमानता है। स्थायी कर्मचारी की मृत्यु की स्थिति में मृतक की पत्नी को 15 लाख रुपये मुआवजा राशि और सेवानिवृत्ति की आयु तक पूरा वेतन मिलता है। इसके अलावा, स्थायी कर्मचारियों को आवास, स्वास्थ्य बीमा जैसी सभी सुविधाएं भी मिलती हैं। वहीं दूसरी तरफ, एक संविदा कर्मचारी की मृत्यु होने पर केवल 15 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाता है। मुआवजा सभी कर्मचारियों के लिए समान होता है, चाहे उन्होंने कंपनी में 5 साल काम किया हो या 15 साल। यह संविदा पर कार्य कर रहे कर्मचारियों के परिवारों के साथ एक बड़ा अन्याय है। मृतक कर्मचारियों के परिवारों के साथ न्याय होना चाहिए, जो केवल मुआवजा पैकेज प्राप्त करते हैं। वे भी स्वास्थ्य बीमा और सेवानिवृत्ति की आयु तक पूरे वेतन जैसे समान मुआवजे के हकदार हैं। एक ही संगठन में कार्यरत कर्मचारियों के दो समूहों के बीच समानता बहाल करने के लिए इस संबंध में कदम उठाए जाने चाहिए। इसलिए मैं खान मंत्री से इस बारे में आवश्यक कदम उठाने का अनुरोध करता हूं।

(सत्ताईस) बी.एस.एन.एल. को 4जी और 5जी सेवाएं शुरू करने की अनुमति दिए जाने की आवश्यकता

श्री पी.आर. नटराजन (कोयम्बटूर): जब निजी दूरसंचार कंपनियां तेजी से अपनी 5 सेवाओं को शुरू कर रही हैं, तो सरकारी स्वामित्व वाली बी.एस.एन.एल. ने अपनी 4जी सेवा भी शुरू नहीं की है और इस प्रकार ग्राहकों को उच्च गति डेटा सेवा प्रदान करने में पिछड़ रही है। अकेले वर्ष 2022 में 77 लाख ग्राहकों ने बी.एस.एन.एल. छोड़ दिया है। इसी समय में, सरकार ने बी.एस.एन.एल. के भविष्य के संबंध में दो महत्वपूर्ण निर्णयों की घोषणा की है। पहला बी.एस.एन.एल. की 4जी और 5जी सेवाएं हैं, दूसरा बी.एस.एन.एल. के लिए तीसरा पुनरुद्धार पैकेज है।

सरकार के निर्णय के अनुरूप, संचार मंत्री ने बी.एस.एन.एल. की 4जी और 5जी सेवाओं (इकोनॉमिक टाइम्स 24.05.2023) के बारे में कुछ घोषणाएँ की हैं। बी.एस.एन.एल. ने 200 साइटों के साथ 4जी नेटवर्क शुरू कर दिया है और 3 महीने के परीक्षण के बाद, यह प्रति दिन औसतन 200 साइटों को लॉन्च करेगा।

दूसरी बात यह है कि बी.एस.एन.एल. के 4जी नेटवर्क को नवम्बर-दिसम्बर 2023 तक 5जी में उन्नत कर दिया जाएगा। इस मामले का तथ्य यह है कि बी.एस.एन.एल. अक्टूबर-2024 में ही अपनी 4जी सेवा शुरू करने की स्थिति में होगा। इसकी वजह यह है कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टी.सी.एस.), जिससे बी.एस.एन.एल. को 4जी उपकरण खरीदने का जिम्मा दिया गया है, उसने अभी तक उपकरणों की आपूर्ति शुरू नहीं की है। टी.सी.एस. अक्टूबर 2024 से पहले बी.एस.एन.एल. को 4जी उपकरणों की आपूर्ति और स्थापना का काम पूरा करने की उम्मीद नही है। जब तक बी.एस.एन.एल. अपनी 4जी सेवाएं शुरू करेगा, तब तक ग्राहक बड़े पैमाने पर बी.एस.एन.एल. छोड़ चुके होंगे।

बी.एस.एन.एल. कम से कम 2 वर्ष पहले अपने मौजूदा 3जी उपकरणों का 4जी उपकरणों में सॉफ्टवेयर उन्नयन करके अपनी 4जी सेवा शुरू कर सकता था।

अप्रैल, 2020 में बी.एस.एन.एल. ने वैश्विक विक्रेताओं से 1 लाख 4जी बी.टी.एस. (बेस ट्रांसीवर स्टेशन) खरीदने के लिए निविदा जारी की थी। सरकार ने बाद में इन निविदाओं को रद्द कर दिया है और कहा है कि बी.एस.एन.एल. को विदेशी विक्रेताओं से 4जी उपकरण नहीं खरीदना चाहिए। जबकि, जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया जैसी निजी दूरसंचार कंपनियों ने विदेशी विक्रेताओं से अपने 4जी और 5जी उपकरण खरीदे हैं और बीएसएनएल को विदेशी दूरसंचार दिग्गजों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए समान अवसर नहीं दिया गया है। इसलिए, मैं केंद्र सरकार से सरकारी स्वामित्व वाले केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम बी.एस.एन.एल., एक को 4जी और 5जी आवंटित करने के लिए शीघ्र कार्रवाई करने का आग्रह करता हूं।

(अठाईस) कार्बन न्यूट्रल शैक्षणिक संस्थाओं को विकसित करने के लिए नीति के बारे में

श्री पी. रविन्द्रनाथ (थेनी): मैं यह कहना चाहता हूं कि जहां तक सतत विकास के भविष्य का सवाल है, जलवायु परिवर्तन के खिलाफ कार्रवाई विद्यालयों से शुरू होनी चाहिए। अब समय आ गया है कि हम अपने शैक्षिक क्षेत्र को एक स्थायी समाज की दिशा में अग्रणी नेता के रूप में देखना शुरू करें। विद्यालयों से शुरुआत करते हुए, कार्बन न्यूट्रैलिटी को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाना चाहिए ताकि युवा पीढ़ी जलवायु परिवर्तन के प्रति संवेदनशील हो सके। केवल इतना ही नहीं, विद्यालयों को अपने कार्बन फुटप्रिंट को भी कम करना चाहिए। विद्यालयों को ऊर्जा के लिए नवीकरणीय स्रोतों का उपयोग करना चाहिए, स्कूल बसों को अनिवार्य रूप से इलेक्ट्रिक बनाना चाहिए, और छात्रों को उनके अपने खाद्य अपशिष्ट से खाद बनाने की शिक्षा दी जानी चाहिए। प्रत्येक स्कूल और जिला स्तर पर पर्यावरण क्रियावली टीमों का गठन किया जाना चाहिए। ये कदम बच्चों और युवाओं को ऐसी समाधानों के बारे में सिखाने के लिए महत्वपूर्ण हैं, जिन्हें वे अपने घर पर कर सकते हैं। वास्तव में ये छोटे कदम बच्चों को अपने जीवन में इन समाधानों को समाहित करने में मदद करेंगे जिससे यह पूरे समुदाय में भी फैलेगा। मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि वह एक विशेष नीति लाए, जो हमारे कैंपसों को 2030 तक कार्बन न्यूट्रल बना सके, ताकि हम 2070 तक शुद्ध-शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य प्राप्त कर सकें।

(उनतीस) गैर-बासमती चावल के निर्यात पर प्रतिबंध हटाए जाने की आवश्यकता के बारे में

[हिन्दी]

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज): मैं सरकार का ध्यान हाल ही में गैर बासमती चावल के निर्यात पर लगाए गए प्रतिबंध की ओर आकृष्ट कराना चाहता हूं। इस रोक का असर मेरे संसदीय क्षेत्र डुमरियागंज पर पड़ा है, जो कालानमक चावल का प्राथमिक निर्यात केंद्र है। चावल की यह किस्म अपनी इतिहास छटी शताब्दी ईसा पूर्व से तराशती है; इसे भगवान बुद्ध द्वारा श्रावस्ती के लोगों के लिए एक उपहार माना जाता है। कला नमक चावल उत्तर-पूर्वी उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र के लगभग 20 जिलों में उगाया जाता है। हाल मे इसे उत्तर प्रदेश के "एक जिला, एक उत्पाद" स्कीम के अंतर्गत सिद्धातनगर के उत्पाद के रूप मे शामिल किया गया है। यह प्रतिबंध ऐसे समय में लगाया गया है जब काला नमक चावल उत्पादन में 2019 में 4,311 मीट्रिक टन से 2021-22 में 15,000 मीट्रिक टन तक तीन गुना वृद्धि देखी गई है। यूपी सरकार के आंकड़े बताते हैं कि इस चावल कि अंतर्राष्ट्रीय मांग 2019-20 में 2% से बढ़कर 2021-22 में कुल उत्पादन का लगभग 7% हो गई है। यह प्रतिबंध कालानमक चावल उगाने वाले छोटे और सीमांत किसानों को प्रभावित करता है। अतः मेरी सरकार से अनुरोध है कि जनहित मे गैर बासमती चावल के निर्यात पर रोक को समाप्त करने का कष्ट करे।

अपराह्न 2.11 बजे

सरकारी विधेयक - पुर:स्थापित - ज़ारी

(तीन) दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र विधि (विशेष उपबंध) दूसरा (संशोधन) विधेयक, 2023*

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: मद सं. 27क - श्री हरदीप सिंह पुरी।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा आवासन और शहरी कार्य मंत्री (श्री हरदीप सिंह पुरी): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र विधि (विशेष उपबंध) दूसरा अधिनियम, 2011 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

> "कि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र विधि (विशेष उपबंध) दूसरा अधिनियम, 2011 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री हरदीप सिंह पुरी: महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूँ।

माननीय अध्यक्ष: शशि थरूर जी। माननीय मंत्री जी

---

* भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-2 दिनांक 13.12.2023 में प्रकाशित।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: इस विषय पर पहले शशि थरूर जी बोलेंगे।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आप डाकघर वाले बिल पर बोल रहे हैं या बिल इंट्रोड्यूस पर बोल रहे हैं?

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: अभी मैं पोस्ट ऑफिस वाला बिल ला रहा हूं।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: क्या आप इस पर कोई विषय रखना चाहते हैं?

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: अभी मैं अश्वनी जी का बिल ला रहा हूं। पहले मैं हरदीप पुरी जी का बिल निपटाता हूं। अभी मैंने अश्वनी जी का बिल नहीं लिया है।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: मैं कह रहा हूं कि अगर कोई माननीय सदस्य बोलना चाहता है तो वह बोल ले।

… (व्यवधान)

अपराह्न 2.12 बजे

डाकघर विधेयक, 2023*

माननीय अध्यक्ष: आइटम नंबर 28, डाकघर विधेयक, 2023 ,माननीय मंत्री जी।

[अनुवाद]

रेल मंत्री, संचार मंत्री तथा इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री अश्विनी वैष्णव) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:-

> कि भारत में डाकघर से संबंधित विधि का समेकन और संशोधन करने तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथा पारित, पर विचार किया जाए।"

… (व्यवधान)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, क्या आपको कोई विषय रखना है?

श्री अश्वनी वैष्णव: जी, अध्यक्ष जी। आज के इस पोस्ट ऑफिस बिल, 2023 द्वारा इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट 1898 को रिपील किया जाएगा।

मान्यवर अध्यक्ष जी, जैसा हम सभी जानते हैं कि देश में एक इतना रिलाएबल नेटवर्क है, इसको डाकघर का नेटवर्क कहा जाता है। एक सदी से ऊपर की इसकी लेगेसी है। इस पूरे सिस्टम को किस तरह से पिछले साढ़े नौ वर्षों में टोटली ट्रांसफॉर्म किया गया है, आज का जो बिल है, वह बेसिकली इस ट्रांसफॉर्मेशन को रिफ्लेक्ट करता है।

---

* भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 2, दिनांक 13.12.2023 में प्रकाशित।

मान्यवर अध्यक्ष जी, पिछले नौ वर्षों में पोस्ट ऑफिस को मेल डिलीवरी से सर्विस डिलीवरी में कंवर्ट किया गया है। पोस्ट ऑफिस से एक बैंकिंग सिस्टम में कंवर्ट किया गया है। इसके कई अच्छे उदाहरण हैं, जो जन प्रभावी हैं। देश में जन-जन को इसका बेनिफिट मिला है।

जैसे सर्विस डिलीवरी की बात करें तो पोस्ट ऑफिस के जरिए पासपोर्ट बनाने की जो व्यवस्था बनी, उसके कई ऐसे अच्छे उदाहरण हैं। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति का एक उदाहरण है। श्री संसार चंद जी, जिनको पासपोर्ट बनवाने के लिए अगर शिमला जाना पड़ता तो 3 से 4 दिन लगते। आज कुल्लू मुख्य डाकघर में ही पासपोर्ट ऑफिस सेवा केंद्र के खुलने से एक ही दिन में पासपोर्ट बन जाता है। वैसे ही ओडिशा के बोलांगीर जिले में आदर्शपाड़ा के रहने वाले 62 वर्ष के एक भाई श्री जगदीश चंद्र पात्रो है। उनका पासपोर्ट बोलांगीर हेड ऑफिस में ही बन गया। इससे पहले उनको 300-400 किलोमीटर दूर भुवनेश्वर जाना पड़ता था।

मान्यवर अध्यक्ष जी, वैसे ही सर्विस डिलीवरी की इस भावना में डाक निर्यात केंद्र की बहुत अच्छी पहल की गई है। डाक निर्यात केंद्र के माध्यम से बिल्कुल सुदूर रिमोट एरिया में रहने वाले भारत के जो नागरिक हैं, वे भी अपनी हाथ से बनी हुई चीजें, या फिर उस एरिया की लोकल चीजों को बहुत ही आसानी से डाकघर के माध्यम से निर्यात कर पा रहे हैं। जैसे एक एग्जाम्प्ल है, उत्तराखंड में रुड़की से बहन गंगा देवी डाकघर निर्यात केंद्र द्वारा फ्रांस, कनाडा, स्पेन को ब्रॉस के आइटम्स एक्सपोर्ट कर रही हैं।

वैसे ही जोधपुर की एक बहन, कमला देवी प्रजापति हैं, वह सेरामिक नॉब्स अमेरिका और कनाडा एक्सपोर्ट कर रही हैं। भागलपुर, बिहार के भाई अहमद नदीम, आसपास में रेशम की साड़ी और कपड़े का जो काम होता है, उसकी जो कतरन होती है, उसकी बेकार सामग्री से पर्दे, सोफा कवर, पिलो कवर इत्यादि बनाते हैं और आस्ट्रेलिया, कनाडा, ब्रिटेन को डाक निर्यात केन्द्र के जरिए से एक्सपोर्ट करते हैं। वैसे ही गोवा में बहन मोना डिसूजा हैं, वह पर्सनलाइज्ड फोटो फ्रेम सिंगापुर और यूएई निर्यात करती हैं।

अध्यक्ष जी, डाकघर को डाक डिलीवरी से सर्विस डिलीवरी में कन्वर्ट किया और साथ ही साथ डाकघर को एक तरीके से पोस्ट आफिस से बैंकिंग सिस्टम में कन्वर्ट किया। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की

अगर हम बात करें, ओडिशा के गजपति जिले की 95 ईयर ओल्ड वृद्ध माता लबंगया जी को चलने-फिरने में बड़ी तकलीफ होती थी। वे 95 ईयर्स की हैं, तो उनको बैंक तक जाकर अपनी पेंशन लेने में दिक्कत होती थी। पोस्ट ऑफिस द्वारा जब यह सर्विस दी गई, तो इस फैसिलिटी से उनको घर पर ही पेंशन मिल जाती है। जन-सेवा के ऐसे अनेक उदाहरण हैं।

अध्यक्ष जी, पासपोर्ट सेवा केन्द्र से अब तक करीब सवा करोड़ से अधिक देशवासियों को इसका लाभ मिल चुका है। देश में करीब 10 करोड़ 36 लाख लोग ऐसे हैं, जिन्हें घर बैठे, अब तक 29 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा का बेनीफिट घर तक पहुंचाया जा चुका है। किसी भी बैंक का एकाउंट होल्डर हो, पोस्ट ऑफिस के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से आधार एनेबल्ड तरीके से, अच्छे से, आसानी से कनेक्ट करके आज सरकार की जो सुविधायें हैं, जो लाभ हैं, वे लोगों को घर तक पोस्ट ऑफिस के जरिए मिल रहे हैं। मैं सभी मान्यवर सांसदों से भी निवेदन करूंगा कि आप भी अपने क्षेत्र में इस फैसिलिटी का उपयोग करायें और जितना हो सके अपने क्षेत्र के निवासियों का पोस्ट ऑफिस में, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में एकाउंट खुलवायें, तो उनको घर बैठे लाभ मिल सकता है।

मान्यवर अध्यक्ष जी, पोस्ट पेमेंट बैंक के जरिए से करीब-करीब 8 करोड़ कस्टमर्स हैं, जिनमें से साढ़े 3 करोड़ कस्टमर्स तो बहनें हैं। यह आज इतनी बड़ी सुविधा भारत के प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने दी है, जिससे जन-जन के जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया है।

अध्यक्ष जी, मैं एक और विषय आपके सामने रखूंगा। वर्ष 2004 से 2014 तक इस पुराने विस्तृत नेटवर्क को एक तरीके से श्रिंक करने का, कमजोर करने का प्रयास किया गया। करीब 660 पोस्ट आफिसेज़ वर्ष 2004 से 2014 वाले पीरियड में बंद किये गये। मोदी जी के आने के बाद, एक बार फिर इस पूरे नेटवर्क को मजबूत बनाने का बीड़ा हाथ में उठाया और मजबूत बनाने के लिए कई कदम उठाये, जिसमें 5 हजार नये डाकघर खोले गये। सभी को 5 किलोमीटर के दायरे में सुगम बैंकिंग सर्विस डाकघर के जरिए से, पोस्टल बैंक के जरिए से मिल सकें, इसके लिए अभी हाल ही में 5,746 नये डाक घर भी सैंक्शन किये गये हैं।

अध्यक्ष जी, डाक सर्विस में, पोस्टल नेटवर्क में करीब 1 लाख 28 हजार लोगों को नया रोजगार दिया गया है। इसी तरह से डिजिटल नेटवर्क के 1 लाख 60 हजार डाकघरों को कोर बैंकिंग और डिजिटल बैंकिंग से जोड़ा गया है। 13,500 डाकघरों में आधार सेवा केन्द्र खोले गये हैं। अब तक साढ़े 8 करोड़ से ज्यादा लोग इसका लाभ उठा चुके हैं। 3 करोड़ से ज्यादा सुकन्या समृद्धि खाते खोले गये हैं।

अध्यक्ष जी, इस तरह से डाकघर को पूरी तरीके से परिवर्तत किया गया है और आज का यह जो बिल है, इसी परिवर्तन का एक साक्ष्य है। मैं सभी मान्यवर सांसदों से निवेदन करूंगा कि इसको यूनैनिमस्ली पास करने के लिए डिबेट करें।

माननीय अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

> "कि भारत में डाकघर से संबद्ध विधि का समेकन और संशोधन करने तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाए।"

[अनुवाद]

डॉ. शशि थरूर (तिरूवनन्तपुरम): अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, मैं आज अपनी पार्टी की ओर से इस डाकघर विधेयक, 2023 के बारे में कुछ बहुत गंभीर चिंताओं को व्यक्त करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। मैंने कई कारणों से इस विधेयक का स्वागत करने की उम्मीद की थी। डाक विभाग की देखरेख करने वाली संसदीय स्थायी समिति के पूर्व अध्यक्ष के रूप में, मैंने बार-बार भारतीय डाकघर अधिनियम, 1898 जो एक उपनिवेशी धरोहर है और अब अप्रचलित हो चुका है, को संशोधित करने और समाप्त करने की आवश्यकता को उजागर किया था। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से हम देख रहे हैं कि सरकार अपनी मानसिकता को उपनिवेशी प्रभाव से मुक्त करने और उपनिवेशी युग की नीतियों को अपडेट करने के नाम पर ऐसे क़ानून बना रही है जो उतने ही मनमाने और अनुचित हैं, या उससे भी अधिक, और जो अक्सर असंख्य भारतीयों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं।

दुख की बात है कि ऐसा ही इस विधेयक के साथ है। यहां तक कि जब यह एक औपनिवेशिक विधेयक को संशोधित करने का प्रयास करता है, तो जिस भारतीय डाक जैसे सरकारी उद्यम को संवैधानिक रूप से जिम्मेदारी का बोझ उठाना चाहिए था, यह विधेयक अपने कठोर और औपनिवेशिक प्रावधानों को बरकरार रखता है, वह भी जवाबदेही के बोझ को समाप्त करता है। अफसोस की बात है कि यह हमारे डाकघरों को 21वीं सदी में लाने के लिए कोई नया विचार प्रस्तुत नहीं करता है। मंत्री के प्रति बहुत सम्मान रखने वाले व्यक्ति के रूप में, मैं यह देखकर निराश हूं कि वे इस अधूरे सुधार को सदन के सामने पेश कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं पहले सभा को याद दिलाना चाहता हूं कि किसी भी विधेयक पर कभी भी बहस हवा में नहीं होती है। इसके लिए हमेशा एक संदर्भ होता है। लगभग एक महीने पहले, मेरे सहित विपक्ष के कई मुखर सदस्यों को ऐप्पल से एक धमकी भरा नोटिस मिला था, जिसमें हमें इस तथ्य की चेतावनी दी गई थी कि राज्य प्रायोजित हमलावर हमारे फोन में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे, जिससे वे संवेदनशील डेटा निकाल सकते थे और यहां तक कि हमारे फोन, कैमरे और माइक्रोफोन को

हैक कर सकते थे। क्या वास्तव में इतना समय बीत चुका है जब पेगासस का खतरा हमारे ऊपर मंडरा रहा था, जो हमारी हर गतिविधि और हर बात की निगरानी कर रहा था? जब हम इस विधेयक पर वाद-विवाद आरंभ कर रहे हैं तो हमें इन वास्तविकताओं को ध्यान में रखना चाहिए, जो हमारे संवैधानिक मूल्यों, हमारे मौलिक अधिकारों पर प्रहार करता है और प्रत्येक साधारण भारतीय को हमारे राज्य के अपने नागरिकों के प्रति व्यापक और संदिग्ध अविश्वास की दया पर जीने के लिए बाध्य करता है।

अध्यक्ष महोदय, एक तरफ सरकार कहती है कि वह भारतीय डाक सेवा को प्रदान की जाने वाली सेवाओं की सीमा को बढ़ाकर इसे फिर से सशक्त बनाना चाहती है ताकि यह भारतीय जनता के लिए अधिक उपयोगी हो सके। मंत्री महोदय, मैंने मेरे मित्र से ऐसे कई शानदार उदाहरण सुने हैं। मैं इस मुद्दे पर वापस आऊंगा क्योंकि मुझे नहीं लगता कि विधेयक में ऐसा कुछ किया गया है।

<u>अपराह्न 2.22 बजे</u> (श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन *पीठासीन हुए*)

महोदय, दूसरी ओर, सरकार इस विधेयक के माध्यम से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(क) के तहत गारंटीकृत वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नागरिकों के अधिकारों और निजता के अधिकार का उल्लंघन करने के लिए व्यापक शक्तियां प्रदान करती है, जिसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने के.एस. पुट्टास्वामी मामले में अनुच्छेद 21 में निहित जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार के उप-समूह के रूप में मान्यता दी है। सरकार विधेयक के खंड 9 के माध्यम से इन शक्तियों को ग्रहण करती है। मैं अपने सभी मित्रों से आग्रह करूंगा कि वे विधेयक के खंड 9 और 10 को स्क्रीन पर देखें। यह केवल एक अधिसूचना का उपयोग करके किसी भी अधिकारी को डाकघर के माध्यम से संचरण के दौरान किसी भी सामग्री को राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों आदि के हित में या इस अधिनियम या किसी अन्य कानून के किसी भी प्रावधान के किसी भी उल्लंघन की घटना पर रोकन, खोलने या हिरासत में लेने का अधिकार देता है। अब, ये बेहद अस्पष्ट आधार हैं और इनमें ऐसी कोई भी बात शामिल हो सकती है जो हमारी सरकार को पसंद नहीं है।

वास्तव में, सरकार न केवल अपने निजी पत्राचार और शिपमेंट के माध्यम से भारतीयों की जासूसी करने की मनमानी शक्तियां चाहती है, क्योंकि खंड 9(2) स्पष्ट करता है कि वे भारतीय डाकघर को भी निर्देश दे सकते हैं कि कोई भी व्यक्तिगत सामग्री जो भारत के हित के लिए खतरा बन सकता है, का निपटान अर्थात, नष्ट कर दिया जाए लेकिन उनकी यह परिभाषा अस्पष्ट है जो भारत के हित के लिए खतरा है। इसके अलावा खंड 9(3) के माध्यम से, हमारी सरकार फिर से एक साधारण अधिसूचना द्वारा डाकघर के किसी भी अधिकारी को किसी भी वस्तु को जब्त करने का अधिकार दे सकती है। मैं आपके सामने स्क्रीन पर प्रदर्शित विधेयक के अपेक्षाकृत एक लंबे कानूनी खंड का सारांश प्रस्तुत कर रहा हूं।

अब, अकेले इस एक खंड में विश्लेषण करने के लिए बहुत कुछ है, इस तथ्य से शुरू होकर कि वर्ष 1996 में उच्चतम न्यायालय ने पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज *बनाम* भारत संघ के फैसले में दूरसंचार के अवरोधन से संबंधित एक मामले में यह राय दी थी कि अवरोधन की शक्ति को विनियमित करने के लिए एक उचित और निष्पक्ष प्रक्रिया मौजूद होनी चाहिए क्योंकि इसके अभाव में, अनुच्छेद 19(1)(अ) और अनुच्छेद 21 के तहत नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना संभव नहीं है। इस खामी को दूर करने के लिए, उच्चतम न्यायालय ने कई सुरक्षोपाय निर्धारित किए जैसे कि अवरोधन की आवश्यकता स्थापित करना, अवरोधन आदेशों की वैधता को सीमित करना, उच्च-रैंकिंग अधिकारियों से प्राधिकार की आवश्यकता और, सबसे महत्वपूर्ण, अवरोधन आदेशों की एक समीक्षा समिति द्वारा जांच की जानी है। मैं आश्चर्यचकित हूँ कि हमारी सरकार इस विधेयक पर विचार करते समय सर्वोच्च न्यायालय के इतने महत्वपूर्ण फैसले को ध्यान में रखने में क्यों विफल रही, क्योंकि यह विधेयक भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों के लिए औपनिवेशिक युग की कानून की तुलना में कहीं अधिक हानिकारक है।

वास्तव में, सभापति जी, कुछ मायनों में, 1898 का अधिनियम कम मनमाना था क्योंकि यद्यपि यह अवरोधन की अनुमति देता था, लेकिन इस विधेयक के विपरीत, यह निर्दिष्ट करता था कि किन परिस्थितियों में अवरोधन किया जा सकता है।

1898 अधिनियम की धारा 26 ने केंद्र सरकार, या राज्य सरकार, या एक विशेष रूप से अधिकृत अधिकारी को लिखित आदेश के माध्यम से किसी सार्वजनिक आपातकाल की स्थिति में या सार्वजनिक

सुरक्षा या शांति के हित में किसी भी डाक सामग्री को रोकने, हिरासत में लेने या समाप्त करने का निर्देश देने का अधिकार दिया।

1968 में, जब विधि आयोग ने 1898 अधिनियम की समीक्षा की, तो उसने यह टिप्पणी की कि "आपातकाल" शब्द को स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया था, जिससे इसके व्यापक व्याख्या की संभावना बनती है और परिणामस्वरूप, बहुत अधिक निगरानी की शक्तियां मिलती हैं। आयोग ने यह भी कहा कि सार्वजनिक आपातकाल केवल तब ही संवैधानिक रूप से वैध कारण हो सकता है, जब वह राज्य की सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था या संविधान में निर्दिष्ट किसी अन्य मुद्दे को प्रभावित करता हो। इसलिए, यह कहा जा सकता है कि आपातकाल का यह मानदंड, जो दुर्भाग्यवश 2023 के विधेयक में फिर से आता है, हमारे संविधान द्वारा अनुमत उचित प्रतिबंधों के दायरे से बाहर हो सकता है।

हाल ही में वर्ष 2015 में, श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ के मामले में, उच्चतम न्यायालय ने फिर से पुष्टि की कि वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करने के लिए मनमाने ढंग से अनुमति देना असंवैधानिक हैं। यहां, फिर से, हमारी सरकार देश के सर्वोच्च न्यायालय की विद्वतापूर्ण सलाह को जानबूझकर अनदेखा कर रही है। दरअसल, 1898 अधिनियम में जहां यह स्पष्ट किया गया था कि किस प्रकार की सामग्री और वस्तु डाक द्वारा भेजी नहीं जा सकती, वहीं हमारी सरकार ने इसे परिभाषित करने से भी इनकार किया है, जिससे हमारी सरकार ने इस सामूहिक निगरानी के प्रयास से भारतीयों को और अधिक असुरक्षित बनाने की कोशिश की है।

डाकघर विधेयक, 2023 की धारा 9 न केवल सरकार को हमारे पत्राचार या हमारी प्रेषित वस्तु को रोकने, हिरासत में लेने और नष्ट करने के द्वारा हमारे जीवन में घुसपैठ करने की सभी मनमानी शक्तियां प्रदान करती है, बल्कि यह कोई भी ऐसा तंत्र प्रदान नहीं करती है जिससे संबंधित नागरिक को उनके पत्राचार या प्रषित सामग्री को रोके जाने के बारे में भी सूचित किया जा सके, और जिससे वे अपने पत्राचार को रोकने, हिरासत में लेने या नष्ट करने के भारतीय पोस्ट के फैसले का विरोध कर सकें। दूसरे शब्दों में, विधेयक में कोई शिकायत निवारण तंत्र ही नहीं है, जिसकी अनुपस्थिति आपको धारा 10 तक नीचे स्क्रॉल करने पर अधिक गहराई से महसूस होती है। भारतीयों को उनके पत्राचार और प्रेषित वस्तु को

रोकने, हिरासत में लेने या नष्ट करने के मामले में अंधेरे में रखकर और उन्हें इन निर्णयों का विरोध करने की अनुमति न देकर, जो स्वाभाविक रूप से मनमाना हैं, हमारी सरकार ने नैसर्गिक न्याय के हर सिद्धांत और कानून की उचित प्रक्रिया का उल्लंघन किया है क्योंकि ऐसे मामलों में इस तरह न तो यह दूसरे पक्ष को सुनने की जहमत उठाएगा और न ही यह संबंधित नागरिक को अपने लिए वाद लाने का अधिकार देगा।

इस संबंध में, 2023 विधेयक हमारे संविधान के अनुच्छेद 14 का भी उल्लंघन करता है। इस विधेयक की समस्या तब और भी गंभीर हो जाती है जब हम धारा 10 का अवलोकन करते हैं, क्योंकि इसमें कोई शिकायत निवारण तंत्र नहीं है। सभापति महोदय, यह कैसी विडम्बना है कि आज हमारे देश में केन्द्र सरकार के उपक्रम भारतीय डाक सेवा की तुलना में निजी कूरियर सेवाएँ भारत की जनता के प्रति कहीं अधिक जवाबदेह है। जबकि वर्ष 2019 का उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम हमारे निजी कोरियर को जिम्मेदार मानता है, लेकिन यह इंडिया पोस्ट पर लागू नहीं होता है। अब, इस विधेयक की धारा 10 के दूसरे उप-खंड के अनुसार, डाकघर का कोई भी अधिकारी डाकघर द्वारा प्रदान की गई सेवा के प्रति जवाबदेह नहीं होगा, जब तक कि अधिकारी ने धोखाधड़ी से काम नहीं किया हो या जानबूझकर नुकसान, देरी या गलत वितरण नहीं किया हो। अब, यह खंड सरकार को बिना किसी जवाबदेही के हमारे डाक सामान को अवरुद्ध, रोकने या नष्ट करने का अधिकार देता है। हम डाक कर्मचारियों को नुकसान, देरी या गलत वितरण के लिए जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। इसके बाद, हमें यह बहस करनी पड़ेगी कि क्या यह चूक जानबूझकर या धोखाधड़ी के इरादे से की गई थी, जिसमें आम नागरिक निरंतर सरकारी दांव-पेंचे में फंसा रहेगा। दरअसल, चूंकि विधेयक में शिकायत निवारण तंत्र का प्रावधान नहीं है, इसलिए भारतीयों के पास डाक सेवा को उत्तरदायी ठहराने का कोई रास्ता नहीं है और चूंकि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम भारतीय डाक पर लागू नहीं होता है, इसलिए भारत के लोग डाकघर की लापरवाही के कारण कोई नुकसान या क्षति होने पर मुआवजे के हकदार नहीं हैं। दिलचस्प बात यह है कि देनदारियों का निर्धारण अपने आप में एक ऐसी शक्ति है जो सरकार में निहित है। यदि आप धारा 10(1) को देखिए, तो यह कहती है: "किसी भी अन्य कानून के लागू होने के बावजूद, डाकघर किसी भी दायित्व के लिए जिम्मेदार नहीं

होगा, सिवाय ऐसे दायित्व के जो डाकघर द्वारा प्रदान की गई सेवा के संबंध में निर्धारित किया जा सकता है।"

अब, सभापति महोदय, मुझे मंत्री महोदय से यह अवश्य कहना चाहिए कि जब आप स्वयं निर्णय ले सकते हैं कि आप लोगों के प्रति कहां जवाबदेह होंगे, जब आप स्वयं चुन सकते हैं कि आप लोगों के प्रति जवाबदेह होना चाहते हैं या नहीं, और आप लोगों के प्रति कितना जवाबदेह हैं, इसका मतलब है कि आप बिल्कुल भी जवाबदेह नहीं हैं।

खराब ढंग से तैयार किए गए इस विधेयक का व्यापक अर्थ यही है।

इंडिया पोस्ट के माध्यम से एक पत्र या पार्सल भेजना अनिवार्य रूप से इसे बिना किसी जवाबदेही के एक ब्लैक होल में फेंकना है कि क्या यह अपने गंतव्य तक पहुंचेगा या जिसके लिए आप इसे भेज रहे हैं वह इसे प्राप्त करेगा। और तो और, आपको यह भी पता नहीं चलेगा कि आपके पत्र या पार्सल के साथ क्या हुआ, क्योंकि विधेयक में कहीं भी संबंधित नागरिक को यह सूचित करने का कोई प्रावधान नहीं है कि उनकी वस्तु रोकी गई है।

यह चिंताजनक है। अगर विधेयक केवल डाक कर्मियों को सामान को अवरुद्ध करने से संबंधित दायित्व से मुक्त करता, तो यह एक बात होती। लेकिन यह विधेयक इस तथ्य पर विचार भी नहीं करता कि उन्हें नुकसान, गलत डिलीवरी, देरी या क्षति जैसी स्पष्ट गलतियों के लिए डाक कर्मियों को जिम्मेदार ठहराया जाए, जबकि डिजिटल इंडिया की रीढ़ बन चुके ई-कॉमर्स पोर्टल्स, जो अपने उत्पादों को इंडिया पोस्ट के माध्यम से डिलीवर करना पसंद करते हैं, के लिए पूरी तरह से अस्वीकार्य है।

मुझे वे उदाहरण बहुत पसंद आए जो हमारे मंत्री जी ने हमें दिए। जो जैसे कि एक व्यक्ति यहां से अन्य व्यक्ति को और इसी तरह लोग अन्य लोग एक-दूसरे को सामान भेज रहे हैं। लेकिन इस कानून के तहत अगर वे मदें खराब हो जाती हैं, गलत डिलीवरी या चोरी हो जाती हैं, तो किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। उन्हें सूचित भी नहीं किया जाएगा। सभापति जी यह किस तरह का विधेयक है?

कुल मिलाकर, धारा 10 की व्याख्या इस प्रकार की जा सकती है कि सरकार भारतीय डाक सेवा के कर्मचारियों को - भले ही वे सरकारी कर्मचारी हैं - उस जवाबदेही से मुक्त कर रही है जो सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए नागरिकों के प्रति कानूनी रूप से आवश्यक है। इसके अलावा, यह देखते हुए कि इंडिया पोस्ट अपने कार्यों में वित्तीय सेवाओं और उत्पादों की एक श्रृंखला जोड़ने की योजना बना रहा है, तो यह जरूरी है कि जहां नागरिकों का संवेदनशील डेटा शामिल है, वहां हम, खासकर सेवाएं प्रदान करते समय, अपने उपभोक्ताओं और हमारे नागरिकों को धोखाधड़ी, डेटा उल्लंघनों और इसी तरह के उल्लंघनों से बचाने के लिए अत्यधिक सावधानी के साथ आगे बढ़ें।

मैं इस सभा को याद दिलाना चाहता हूं कि यह केवल तभी संभव है जब हम यह सख्ती से सुनिश्चित करें कि डाक कर्मचारी गलत कामों के लिए उत्तरदायी हैं, तभी हम भारतीय डाक सेवा को पुनर्जीवित करने में सफल होंगे। शिकायत निवारण तंत्र के अभाव में नागरिकों के पास हमारे संविधान के अनुच्छेद 32 और 226 के अनुसार न्यायालय में जाकर न्याय पाने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा और इससे पहले से ही अत्यधिक बोझ से दबी न्यायपालिका में लंबित मामलों के संख्या में वृद्धि होगी।

सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि 1898 का भारतीय डाकघर अधिनियम जो कि एक औपनिवेशिक कानून था, इस नए कानून की तुलना में भारतीय लोगों के प्रति कहीं अधिक जवाबदेह था, जिसे औपनिवेशिक अतीत से छुटकारा के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है। उदाहरण के लिए, 1898 के अधिनियम के तहत, डाक अधिकारी द्वारा डाक सामग्री को अवैध रूप से खोलने पर दो साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों से दंडनीय था। इसके बिल्कुल विपरीत, 2023 के इस विधेयक में हमारे निजता के अधिकार के इस तरह के घोर उल्लंघन के लिए कोई बात नहीं है।

जैसा कि मैंने पहले ही बताया है, विधेयक की धारा 10 में कहा गया है कि कोई भी अधिकारी इंडिया पोस्ट द्वारा प्रदान की गई सेवा के संबंध में उत्तरदायी नहीं होगा। बेशक, तथ्य यह है कि यदि कोई अधिकारी वास्तव में जानबूझकर अपराध करता है, तो विधेयक 1898 के विधेयक के विपरीत यह विधेयक निर्दिष्ट नहीं करता है कि सजा क्या होगी। पहले, 1898 अधिनियम के तहत, भारत पोस्ट के

कर्मचारी द्वारा चोरी, गबन, डाक सामग्री के नष्ट करने जैसे अपराध पर सात साल तक की कैद और जुर्माने से दंडनीय होते थे। लेकिन जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) अधिनियम, 2023 ने ऐसे सभी उपबंधों को रद्द कर दिया है। ऐसी सभी सजाएं खत्म कर दी गयी हैं । इसलिए, पहले जन विश्वास ने उन अपराधों और दंडों को कम कर दिया, जो 1898 अधिनियम के तहत भारतीय डाक के अधिकारी पा सकते थे, और अब यह विधेयक, इन अपराधों और दंडों को समाप्त करके भारतीय डाक के अधिकारियों, कर्मचारियों को जवाबदेही से मुक्त कर दिया है और इस प्रकार, हमारी सरकार भारत के नागरिकों के प्रति पूरी तरह से जवाबदेह से मुक्त हो गई है। वाह!

अब, डाकघर विधेयक, 2023 में किसी भी देनदारी या शिकायत निवारण तंत्र की अनुपस्थिति इस बात का खंडन करती है कि कैसे उन्ही मंत्री जी का अन्य मंत्रालय, रेलवे, खुद को भारतीयों के प्रति जवाबदेह मानता है। रेल दावा अधिकरण अधिनियम, 1987 ने भारतीय रेलवे के खिलाफ सेवाओं में चूक की शिकायतों से निपटने के लिए अधिकरण की स्थापना की। यदि आपका 2023 का विधेयक शिकायत निवारण अधिकरण की स्थापना तक करना नहीं चाहता है, तो कम से कम आप अवरोधन की शक्ति के प्रयोग के संबंध में उच्चतम न्यायालय की वर्ष 1996 की सिफारिशों को शामिल कर सकते थे।

इस विधेयक के माध्यम से हमारी सरकार ने उन सभी मामलों में स्वयं को न्यायाधीश, जूरी और कार्यपालिका बनाने का प्रयास किया है, जहां किसी नागरिक का पत्र-व्यवहार या सामग्री विधेयक के अत्यधिक अस्पष्ट आधार का उल्लंघन करती पाई जाती है। इस विधेयक में ऐसा कुछ नहीं है जो तार्किक है। बहुत कुछ ऐसा है जो कि प्रतिबंधात्मक है।

सार्वभौमिक डाक संघ के अनुसार, दुनिया भर में 73 प्रतिशत डाक सेवाओं का सुझाव है कि डाक सुविधाओं का पूर्ण रूप से डिजिटलीकरण के बिना, डाकघरों का अस्तित्व बनाए रखना संभव नहीं है। डिजिटल इंडिया, सेल्फ-रिलायंट इंडिया, आत्मनिर्भर भारत के युग में, सरकार इस तरह के पुनर्जीवन के लिए जमीनी कार्य करने में विफल रहेगी, यह अकल्पनीय और दुखद है। इस विधेयक में कल्पना की कमी है ।

आज भारतीय डाक का एकाधिकार केवल पत्र भेजने तक ही है। वे दिन गए जब उनका एकाधिकार था और हमारे डाकघर पुरातनता में डूबे हुए थे, और हतोत्साहित कर्मचारियों से भरे हुए थे जिनका एकमात्र काम फाइलों को आगे बढ़ाना था। हमारी डाक सेवाएँ आज एक महत्वपूर्ण मोड़ पर हैं और प्रासंगिक बने रहने के लिए उन्हें प्रतिस्पर्धा करनी होगी। यदि यह कल्पना की जाती है कि भारतीय डाक ई-कॉमर्स, ई-सरकार और ई-वित्त सेवाएं प्रदान करेगी, तो हमारी सरकार को इसके तेजी से डिजिटलीकरण और विविधीकरण की ओर बढ़ना चाहिए।

मैं अपनी बात का सरल ढंग से कहना चाहता हूं कि एक एन्क्रिप्टेड, डिजिटल पोस्टबॉक्स सेवा की शुरूआत की जाए जो कि इंडिया पोस्ट ई-मेल सेवा की तरह है और इससे भारतीयों की डाक संबंधी खर्चों में कमी आएगा। इस सेवा के माध्यम से नागरिक केवल एक खाते के माध्यम से एक ही स्थान पर कई प्रदाताओं से अपने डिजिटल संचार को प्रबंधित और व्यवस्थित कर सकते हैं। इस खाते के माध्यम से, नागरिक कई लेन-देन संबंधी संचारों को प्राप्त कर सकते हैं और उनका जवाब दे सकते हैं और इसे अपने यू.पी.आई से जोड़कर सुरक्षित रूप से प्रबंधित कर सकते हैं, अन्य आवश्यक कार्यों जैसे कि रेलवे, बस और हवाई टिकट बुक करना, सरकारी सेवाओं के लिए भुगतान करना - एल.पी.जी., बिजली, पानी का भुगतान और इसी तरह- नेटफ्लिक्स और स्पॉटिफाई जैसे सब्सक्रिप्शन के लिए भुगतान करना शामिल है, कर सकते हैं। उन्हें दस्तावेजों को अपलोड और संग्रहित करने और महत्वपूर्ण नोटिस और रिमाइंडर प्राप्त करने में भी सक्षम होना चाहिए। दूसरे शब्दों में, लक्ष्य यह होना चाहिए कि कुछ अलग हटकर सोच रखते हुए भारतीय डाक को आम भारतीय के लिए उपयोगी बनाया जाए, साथ ही संसद में इस पर विस्तृत चर्चा की जाए कि हमें अपने नागरिकों को किस प्रकार की सुविधाएं प्रदान करनी चाहिए और क्यों? भारत इस मोड़ पर अकेला नहीं है। यूरोपीय संघ के कई देश इससे जूझ चुके हैं - यह उनकी सरकारी बेंचमार्क प्रतिवेदन 2019 में उल्लेखित हुआ था- और उनमें से कई इस निष्कर्ष पर पहुंच गए हैं कि डाक सेवाओं को बनाए रखने में मदद करने के लिए डिजिटल सेवाएं शुरू की जानी चाहिए, और उन्हें एक शानदार नए युग में लॉन्च किया जाना चाहिए।

कई यूरोपीय सरकारों ने अपने नागरिकों के साथ डिजिटल रूप से सुरक्षित और भरोसेमंद तरीके से संवाद करने के उपाय शुरू किए हैं। फिर से, हमें याद रखना चाहिए कि नागरिक अपने व्यक्तिगत डेटा को ऑनलाइन साझा करने के लिए तभी तैयार होंगे जब उनकी सरकार उन्हें डिजिटल सुरक्षा और सुरक्षा के उच्चतम मानकों की गारंटी दे सके।

माननीय सभापति: कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।

डॉ. शशि थरूर: हमारे यहां भवन निर्माण कार्यों में बड़े पैमाने पर जालीदार काम होता है जिसे बेहतर तरीके से उपयोग में लाया जा सकता है और इसे व्यावसायिक रूप से लाभकारी बनाया जाना चाहिए।

हमारी जैसी अर्थव्यवस्था, जो तेजी से ई-कॉमर्स डिलीवरी चैनल बनती जा रही है, में, जैसा कि माननीय मंत्री ने कहा है, डाकिया जो हमारे देश के सबसे दूरदराज़ इलाकों तक जाते हैं, उन्हें आखिरी मील कनेक्टर के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है और इंडिया पोस्ट पहले ही अमेज़न के साथ सहयोग कर रहा है। हमारे पास यह मजबूत बुनियादी ढांचा है और लाखों समर्पित डाक कर्मचारी हैं। अब इसके बारे में फिर से कल्पना करने और इसे नया रूप देने का प्रयास होना चाहिए ताकि डाकघर वास्तव में 21वीं सदी में प्रवेश कर सकें, और इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक की तरह वित्तीय सेवाएं प्रदान कर सकें, जिसका पहले ही उल्लेख किया जा चुका है। उदाहरण के लिए, क्यों नही इसे संस्थागत ऋण प्रदान किया जाए? हमारे ग्रामीण क्षेत्र की लगभग 40 प्रतिशत जनसंख्या को ऋण नहीं मिल पाता है – और इस कमी को भारतीय डाक भरने का प्रयास कर सकता है।

कई देशों में, डाकघरों को उनकी पारंपरिक भूमिका से परे अतिरिक्त सेवाएं प्रदान करने के लिए पुन: तैयार किया गया है। माननीय मंत्री जी ने दूरदराज के क्षेत्रों से कई प्रकार के निर्यातों का उल्लेख किया लेकिन वह पहले से ही मौजूद था। डाकघर का काम किसी भी पैकेज को भेजना है। हम सेवा वितरण के बारे में अधिक कल्पनाशील ढंग से क्यों नहीं सोच सकते? क्या यह अद्भुत नहीं होगा कि ग्रामीण क्षेत्रों को इंटरनेट हब में बदल दिया जाए, जो छात्रों को शैक्षिक सामग्री तक पहुंच प्रदान करें और परीक्षा फॉर्म भरने जैसे औपचारिकताओं को ऑनलाइन पूरा करने में मदद करें, और वह भी बिना अपने घरों से बहुत दूर

गए? क्यों न मतदाता पंजीकरण और ड्राइविंग लाइसेंस भी प्रदान किया जाए? कुछ विदेशी डाकघरों ने जापान पोस्ट ग्रुप की तरह स्टेशनरी, किताबें और उपहार आदि बेचने सहित खुदरा सेवाओं को शामिल का प्रस्ताव किया है। कुछ देशों में, डाकघरों ने टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच और प्रिस्क्रिप्शन डिलीवरी जैसी चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने के लिए स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के साथ साझेदारी की है।

माननीय सभापति: अब, कृपया समाप्त करें।

डॉ. शशि थरूर: मैं बस एक मिनट और लूंगा। मुझे बस इसे पूरा करने दीजिए। ये महत्वपूर्ण बिंदु हैं।

माननीय सभापति: आप पहले ही विधेयक पर बोल चुके हैं। इसीलिए तो कह रहा हूं।

डॉ. शशि थरूर: मैंने विधेयक पर थोड़ा विस्तार से विचार किया है क्योंकि यह महत्वपूर्ण है। हम इस विधेयक पर गंभीरता से चर्चा कर रहे हैं। खैर, मैं यह उल्लेख करते हुए शीघ्रता से अपनी बात समाप्त करूंगा कि उन्होंने जिन मंत्री जी के लक्ष्यों का उल्लेख किया है वे सभी प्रशंसनीय आकांक्षाएं हैं। वे भारतीय डाक के पुनर्जीवन के लिए महत्वपूर्ण हैं। लेकिन शायद इस विधेयक की सबसे बड़ी खामियां यह है कि यह हमारे मौलिक अधिकारों के प्रति स्पष्ट रूप से तिरस्कार करता है, इसके अलावा तथ्य यह है कि यह अपने आकर्षक गंतव्य के बारे में बात करता है, लकिन यह स्पष्ट नहीं करता है कि इस उद्देश्य की प्राप्ति कैसे होगी। डाकघर विधेयक में कहीं भी हमारी सरकार यह नहीं बताती है कि वह भारतीय डाक को नागरिक केंद्रित सेवाओं की डिलीवरी के लिए एक नेटवर्क में कैसे परिवर्तित करना चाहती है। हमें इस तथ्य से सांत्वना लेने के लिए कहा जा रहा है कि एक बार विधेयक के कानून में पारित हो जाने के बाद, हमारी सरकार नियमों और विनियमों के जादू की छड़ी घुमाएगी और हमारी डाक सेवाओं को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी। भारत के नागरिकों से कोई विशेष वादा नहीं किया गया है, सिवाय इसके कि डाकघर जवाबदेह नहीं होगा, डाकघर उत्तरदायी नहीं होगा। … (*व्यवधान*) महोदय, मैं बस अपनी बात समाप्त करूंगा। यदि यह परिवर्तन प्रत्येक भारतीय नागरिक के स्वतंत्र भाषण और अभिव्यक्ति के अधिकार, प्रत्येक भारतीय की निजता के अधिकार, प्रत्येक भारतीय के नैसर्गिक न्याय के अधिकार और कानून की उचित प्रक्रिया को खतरे में डालने की कीमत पर आता है, तो उपचार बीमारी से भी बदतर है। इसलिए, मैं

कहूंगा कि यह विधेयक बहुत निराशाजनक है और मैं मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि कृपया इस पर पुनः विचार करें और कुछ बेहतर लेकर आएं।

धन्यवाद, सभापति महोदय। जय हिंद!

[हिन्दी]

माननीय सभापति : श्री तापिर गाव जी।

… (व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय सभापति: कृपया नहीं।

… (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

श्री कल्याण बनर्जी (श्रीरामपुर) : महोदय, राज्य सभा स्थगित हो गई है।…(व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय सभापति: राज्य सभा की कार्यवाही को यहां उद्धृत नहीं किया जा सकता।

… (*व्यवधान*)

माननीय सभापति: नहीं, राज्य सभा का लोक सभा से कोई लेना-देना नहीं है।

… (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

श्री तापिर गाव (अरुणाचल पूर्व) : माननीय सभापति महोदय, आज 1898 के इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट…(व्यवधान) आज 125 साल पुराने ब्रिटिश लिगेसी एक्ट को…(व्यवधान) मैं डाकघर विधेयक,

2023 के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं।…(व्यवधान) आज कांग्रेस पार्टी के लोग इतना हल्ला कर रहे हैं।…(व्यवधान)

माननीय सभापति: हाँ, अधीर रंजन जी।

… (*व्यवधान*)

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर) : महोदय, अभी-अभी यह खबर मिली है कि आज जो दो शख्स गैलरी में आए थे, वे दोनों बीजेपी पार्टी के किसी एमपी से पास बनवाकर सदन में घुसे थे, तो सुरक्षा कहां है?...(व्यवधान) बीजेपी के एमपी खुद…(व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय सभापति: नहीं, माननीय अध्यक्ष जी ने पहले ही आदेश दिया है कि अपराह्न 4 बजे पार्टी नेताओं की बैठक होगी।

… (*व्यवधान*)

माननीय सभापति: इस पर वहां चर्चा होगी और उसके बाद सदन में भी इस पर चर्चा होगी।

… (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

श्री तापिर गाव : महोदय, आज 125 साल पुराने ब्रिटिश लिगेसी कानून को…(व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय सभापति: जिस समय माननीय अध्यक्ष महोदय व्यवस्था दे रहे थे, उस समय अधीर रंजन जी भी वहीं उपस्थित थे। आप भी वहीं थे।

… (*व्यवधान*)

अपराह्न 2.44 बजे

इस समय श्री हनुमान बेनीवाल आगे आकर सभा पटल के निकट खड़े हो गए।

[हिन्दी]

श्री तापिर गाव : महोदय, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और माननीय मंत्री अश्वनी वैष्णव जी, इस बिल को लेकर आए हैं। इस बिल के माध्यम से…(व्यवधान) आज कांग्रेस पार्टी के लोग इतना चिल्ला रहे हैं।…(व्यवधान)

कांग्रेस के जमाने में वर्ष 2004 से लेकर 2014 तक 664 पोस्ट ऑफिसेज़ बंद करवा दिए गए थे। मोदी जी ने सत्ता में आने के बाद वर्ष 2014 से 2023 तक 5,000 नए पोस्ट ऑफिसेज़ खुलवाए हैं।…(व्यवधान) इस साल 5,746 पोस्ट ऑफिसेज़ देश भर में खुलने जा रहे हैं और खुल रहे हैं।…(व्यवधान) इन पोस्ट ऑफिसेज़ के माध्यम से दूर-दराज और बाहरी इलाकों के गांवों में पोस्टल की सारी सुविधाएं मिल रही हैं।…(व्यवधान)

अपराह्न 2.45 बजे

इस समय श्री कोडिकुन्नील सुरेश, श्री कल्याण बनर्जी, श्रीमती अपरूपा पोद्दार और कुछ अन्य माननीय सदस्य आगे आकर सभा पटल के निकट खड़े हो गए।

श्री तापिर गाव : सर, कोविड के समय में पोस्टल की बहुत सुविधा मिली थी। मोदी साहब और अश्विनी साहब इस चीज को आगे ले जा रहे हैं।... (व्यवधान) आज हिन्दुस्तान में पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैक में 28 करोड़ अकाउंट खोले गए हैं और इनमें 17 लाख करोड़ रुपये डिपॉजिट भी किए गए हैं। इसके माध्यम से सुकन्या समृद्धि योजना में 3 करोड़ अकाउंट्स खोले गए हैं और 1 लाख 41 हजार करोड़ रुपये डिपॉजिट हुए हैं। ... (व्यवधान) महिला सम्मान सेविंग्स सर्टिफिकेट्स की ओर से 21 लाख की सेविंग सर्टिफिकेट हुए हैं। पोस्टल सर्विस एक सिटीजन सेंट्रिक सर्विस है। हमारे ऑनरेबल मैंबर ऑफ पार्लियामेंट साहब बोल रहे थे कि अगर नया कानून लाते हैं तो देश की अच्छाई के लिए और सर्विस की अच्छाई के लिए लाते हैं, लेकिन कांग्रेस हर चीज के विरोध में निकल आती है और आप लोग पब्लिक सेवा को भूल जाते हैं। ... (व्यवधान) पोस्टल ऑफिसेज़ में पासपोर्ट सेवा केन्द्र बना दिए गए हैं। आज तक 434 पास पोर्ट सेवा केन्द्र देश में खुले हैं, जिनमें 1 करोड़ 25 लाख ऐप्लीकेंट्स को सुविधा मिली है। पोस्टल डिपार्टमेंट की तरफ से आधार एनरौलमेंट के लिए 13,500 सेंटर्स खुले हैं और इनमें 8.83 करोड़ कस्टमर्स को ट्रांजेक्शन की सुविधा मिली है। ... (व्यवधान)

देश में संस्थानों और संगठनों को बंद किया जाना था। सर, कांग्रेस केराज मेंइंडिया पोस्टपेमेंट्स बैंक्समें अब मोदी जी ने इस पोस्टल सर्विस को आगे बढ़ाया। पोस्टल सर्विस में 1.54 लाख एक्सेस पॉइंट्स के साथ 650 ब्रांचेस खुली हैं। ... (व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय सभापति: यदि आप अपने स्थान पर वापस जाएंगे, तो मैं आपको अवसर दूंगा।

... (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

श्री तापिर गाव : इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक्स में 8 करोड़ अकाउंट्स खुले हैं और 8 हजार 800 करोड़ रुपये डिपॉजिट हुए हैं। ... (व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय सभापति: जब अध्यक्ष महोदय यहां थे, जब शशि थरूर जी बोल रहे थे, कोई बाधा नहीं थी, कोई व्यवधान नहीं था।

… (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

श्री तापिर गाव : इसके साथ ही देश में आधार एनेबल्ड पेमेंट्स (एईपीएस) में 10 करोड़ रुपये का ट्रांजेक्शन हुआ है और 3.5 करोड़ डीबीटी अकाउंट्स खुले हैं। … (व्यवधान) पब्लिक और हमारे देशवासियों को दूर-दराज गांवों तथा हिमालय में बसे लोगों को भी इस पोस्टल सर्विस से बहुत लोगों को सुविधा मिल रही है। इसलिए मैं इस कानून का समर्थन करता हूं। … (व्यवधान)

मैं कांग्रेस और विपक्ष के लोगों से यह रिक्वैस्ट करूंगा कि पब्लिक सेवा के लिए यह कानून अमेंड करने के लिए 125 साल के बाद लाया गया है … (व्यवधान) इसलिए हम सभी को मिलकर इस बिल को पास करना है ताकि गरीब जनता को देश भर में सुविधा मिले … (व्यवधान) उनको इसकी सेवा मिले, इसलिए मैं इसका समर्थन करता हूं और साथ ही मैं माननीय मंत्री जी को यह रिक्वैस्ट करूंगा … (व्यवधान) हम जैसे गांव और दूर-दराज के इलाकों में जो लोग रहते हैं, उनको नेशनलाइज्ड बैंक्स सुविधाएं नहीं दे पाते हैं… (व्यवधान) इस पोस्टल सर्विस से हिमालय बेल्ट के दूर-दराज गांवों में पोस्टल सर्विस का अकाउंट खुले… (व्यवधान) सेंटर खुले ताकि हमारी गरीब जनता इसका उपयोग कर सके।… (व्यवधान) देश भर में इसको फैलाना चाहिए ताकि गरीब जनता को इससे सहायता मिल सके।… (व्यवधान) वे लोग इसका उपयोग कर सकें। इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं। जय हिंद।

[अनुवाद]

माननीय सभापति: अब, अगली वक्ता श्रीमती कनिमोझी करूणानिधि जी हैं।

… (*व्यवधान*)

<u>अपराह्न 2.50 बजे</u> (माननीय अध्यक्ष *पीठासीन हुए*)

… (व्यवधान)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मैंने आप सभी की भावनाओं को पहले ही यहां व्यक्त कर दिया है। मैंने 4 बजे इस विषय पर सभी दलों की मीटिंग बुलाई है।

सभा की कार्यवाही चार बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

<u>अपराह्न 2.51 बजे</u>

तत्पश्चात् लोक सभा अपराह्न चार बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 4.00 बजे

लोक सभा अपराह्न चार बजे पुनः समवेत हुई।

(माननीय अध्यक्ष *पीठासीन हुए*)

अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी

दर्शक दीर्घा से दो घुसपैठियों के सदन में कूदने की घटना

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, आज जो घटना घटी है, वह हम सबके लिए चिंता का विषय है और यह घटना गंभीर भी है। घटना के समय घटना करने वाले व्यक्तियों पर जिस तरीके से हमारे माननीय संसद सदस्यों ने, यहां के सुरक्षाकर्मियों ने, यहां के मार्शल ने, चैम्बर स्टाफ तथा सभी लोगों ने जिस मुस्तैदी के साथ घटना घटित करने वाले लोगों को पकड़ा और मैंने खुद ने भी देखा था कि निडरता के साथ उनको दबोचा, उसके लिए मैं उन सबको बधाई देता हूँ।

आज ही के दिन वर्ष 2001 में इसी तरीके से केन्द्रीय सुरक्षा बल, संसद के सुरक्षाकर्मी, यहां का स्टाफ तथा यहां के लोगों ने बहादुरी और निडरता के साथ उस हमले को विफल किया, आज हमने ऐसे ही हमले को फिर से विफल करने के लिए जो सामूहिक प्रयास किया है, उसके लिए सदन उन सबको धन्यवाद देता है।

यह घटना गंभीर और चिंतनीय है। इसलिए हम इस घटना की उच्चस्तरीय जांच करवा रहे हैं। जांच के उपरान्त इसके जो निष्कर्ष निकलेंगे, उसके अनुरूप हम अपनी कार्यवाही भी सुनिश्चित करेंगे। संसद के अंदर मौजूदा सुरक्षा व्यवस्था की भी व्यापक समीक्षा की जाएगी। ऐसे सभी दलों के माननीय नेताओं ने, संसद सदस्यों ने भी आग्रह किया है तथा सुरक्षा व्यवस्था में और क्या-क्या सुधार हो सकता है, उसके लिए भी सभी दलों के नेताओं के सुझाव लिए जाएंगे तथा सुरक्षा पुख्ता की जाएगी।

इस संबंध में सभी दलों के नेताओं से चर्चा करने के लिए मैंने आज चार बजे बैठक बुलाई है। हम सब इस मत के हैं कि इस देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है, देश ने देखा है और आगे भी हम देशहित, राष्ट्रहित में अपने दायित्वों और कर्तव्यों को निभाते रहेंगे।

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही गुरुवार, दिनांक 14 दिसम्बर, 2023 को पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

अपराह्न 4.03 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा गुरुवार, 14 दिसंबर, 2023 / 23 अग्रहायण, 1945 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

इंटरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद-विवाद का मूल संस्करण, अंग्रेजी संस्करण और हिन्दी संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध हैं***:***

https://sansad.in/ls

लोक सभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का संसद टी.वी. चैनल पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रातः 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की कार्यवाही समाप्त होने तक होता है।

© 2023 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (सत्रहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अन्तर्गत प्रकाशित